खण्ड-441, अंक-8
गुरूवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(23 मई, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2002)

खण्ड 441 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-6
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	6-7
जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्र के ब्लाक नकहा के अन्तर्गत कझडवा नदी की (परसियाघाट) पर पुल बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	7-8
जनपद बरेली में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित आंवला, बरेली, बदायूं, राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में सीलिंग की भूमि में दक्षिण पश्चिम मेड़ा से उत्तर दक्षिण मेड़ा तक 15 फुट रास्ता बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में बन्द पड़े नालों की खुदाई व सफाई कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	9
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में सिसैया टखेरका मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	9
जनपद सीतापुर के ककराही में स्थित 26 नं0 साइफन को शासनादेश के विपरीत खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	9-10
जनपद सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत विगत कई वर्षों से किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	10
कानपुर नगर में कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में परशुरामपुर-महराजगंज मार्ग से चेतवा तक सड़क बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	11
पिहानी नगर एवं उसके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अपूर्ण विद्युतीकरण को शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11-12
जसराना मण्डी परिषद् में अपूर्ण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिपथ पर परिवहन निगम की बस से मृत एवं घायल व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में पल्टूपुर लखरांव घाट पर पक्के पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
जनपद मेरठ में बिजली लाइन टूट कर गिरने से पीड़ित परिवार को लाखों रुपये की क्षति तथा मुआवजा दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14
कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसरों का पुनरीक्षण वेतनमान दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर क्षेत्र में राप्ती नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	15
पंचायती राज चुनाव में सम्मिलित लागों को जमानत राशि की वापसी हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद आजमगढ़ में अहिरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	15-16
जनपद कुशीनगर के टाउन एरिया हाटा में साम्प्रदायिक तनाव को रोकने हेतु सी0 ओ0 एवं कोतवाल हाटा को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद महाराजगंज के फरेन्दा कस्बे के विद्युत स्टेशन को एच0 वी0-2 श्रेणी दिये जाने के संबंध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	16-17
जनपद सिद्धार्थनगर में महसई सागर का फाटक बन्द न किये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	17
जनपद पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये को शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	17
श्रीमती उर्मिला वर्मा पी0 पी0 ओ0 धारक को मुख्य कोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	18
जनपद गोरखपुर में चिल्लूपार क्षेत्रान्तर्गत कटे हुए बन्धों की मरम्मत शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	18
लखनऊ की समर विहार कालोनी आलमबाग में चित्रगुप्त नगर को 11000 वोल्टेज लाइन से इंटरलिंक किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद बुलन्दशहर में मध्य गंगानहर की लखावटी ब्रांच में अविलम्ब पानी छोड़े जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
लखनऊ में इन्दिरानगर विस्तार योजना-II हेतु अधिग्रहीत भूमि सहकारी आवास समितियों को न दिये जाने तथा क्षेत्र का सुनियोजित विकास किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19-20
जनपद एटा में बूढ़ी गंगा को नहर में परिवर्तित किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद सीतापुर के कसमण्डा ब्लाक स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20-21
जनपद गाजीपुर के ग्राम अविसहन में राजकीय/प्राइवेट इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	21
जनपद उन्नाव को जोड़ने वाले वनी मिर्रीकला-पुरवा मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	21
संसद जैसी ध्वनि व्यवस्था सदन में किये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	21-22
समयाभाव के कारण तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न न पूछे जा सकने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	22-23

विषय	पृष्ठ संख्या
पूर्वांचल में प्रतिवर्ष नदी की कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न (जारी)	23
विधान सभा का वर्ष में 90 दिन के उपवेशन तथा प्रति दो माह में 10 दिन का उपवेशन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	24-25
पूर्वांचल में प्रतिवर्ष नदी की कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न (जारी)	26
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सत्रहवां/अट्ठारहवां संशोधन) विनियम, 2001 ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	26
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1999-2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
दिनांक 22 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ...	27
पूर्वांचल में प्रतिवर्ष नदी की कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न ..	27-29
दिनांक 22 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए ...	29-42
सदन में शान्तिपूर्वक नियमानुसार कार्य करने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से अनुरोध	42-43
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	43-76
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ संकट तथा गन्ना मूल्य भुगतान पर नेता, सदन द्वारा प्रकाश डाले जाने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध ...	76
समाजवादी पार्टी के उप नेंता को बोलने का समय दिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष से अनुरोध	76-77
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	77-79
समय सीमा से अधिक समय लिये जाने तथा उत्तेजनात्मक वाक्यों के प्रयोग पर श्री अध्यक्ष के निर्देश	79-80
उत्तेजनात्मक वाक्यों के प्रयोग से सदन में उत्पन्न स्थिति की रिकार्डिंग इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा न किये जाने हेतु निर्देश ...	80-81
पीठ द्वारा श्री जगदम्बिका पाल के प्रति भर्त्सना शब्द का प्रयोग किये जाने विषयक प्रकरण पर स्पष्टीकरण	81
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (पारित)...	81-102
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	102-104
जिला सहकारी बैंक बलिया में करोड़ो रुपये के घोटाले की विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	105
सुश्री सुतपा चटर्जी पूर्व प्रधानाचार्य सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स वाराणसी की हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	105-106

विषय	पृष्ठ संख्या
स्व0 रिजवानुल हक एवं स्व0 मजीमुल हक की हत्या के उपरान्त उनके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में श्री शमीमुल हक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन	106
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग एवं मसकनेवां सिकन्दरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	106-107
जनपद लखीमपुर में लखीमपुर मैगल मार्ग पर स्थायी पक्का पुल का निर्माण के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	107
विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत मदियापार ड्रेन एवं देवनई ड्रेन की खुदाई न होने के कारण हो रहे जलभराव को रोकने के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	108
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग एक हजार शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	108-109
कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर के परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र न प्राप्त होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	109-110
सम्पूर्ण प्रदेश में भू-गर्भ जल के अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	110
जनपद गोण्डा में जंगली जानवरों से फसलों के भारी नुकसान की रोकथाम के संबंध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	111
पूर्वांचल में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	112
सम्पूर्ण प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के पंजीकरण एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् के शासनादेशों के नवीनीकरण किये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा/संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	112-113

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बलिया के तुर्तीपार-श्रीनगर बांध के बीच हो रहे कटान की रोकथाम के संबंध में श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	113-114
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड असोहा में स्थित झील तथा कस्बा पुरवा व मौरावां के मध्य स्थित बसहा झील के पानी की निकासी के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	114
अनिश्चित काल के लिये सदन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	115
राष्ट्रगान	115

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 मई, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1-अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
2-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3-अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
4-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
5-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
6-ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
7-कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
8-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
9-कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
10-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
11-चौधरी बाबूलाल, श्री	आगरा
12-जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
13-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
14-जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
15-देव नरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
16-देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
17-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
18-वीरेन्द्र सिंह बुन्द भगत राजा, श्री	ललितपुर
19-भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
20-भरत, श्री	बलिया
21-मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
22-मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
23-कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, श्री	कुशीनगर/ पडरौना
24-राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
25-राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
26-रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
27-राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
28-रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
29-रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
30-विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
31-विवके बंसल, श्री	अलीगढ़
32-वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
33-शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
34-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
35-संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
36-सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
37-सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
38-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
39-सुल्तान बेग, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 मई, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पालीथीन के प्रयोग से उत्पन्न प्रदूषण

**1-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में बढ़ते पालीथीन के प्रयोग से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के लिये पालीथीन के प्रयोग एवं उसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा के उपयोग और निस्तारण का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 दिनांक 01 नवम्बर, 2000 द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन चिन्तित है और आप स्वयं चिन्तित हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, पालीथीन का प्रयोग बढ़ रहा है और जो उससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसकी दुश्वारियों के प्रति स्वयं मंत्री जी और हम सभी लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है। जानवरों के द्वारा उसको खाने से उनकी मौतें हो रही हैं। तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल में इस पर एक प्रदर्शनी भी लगी थी। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 दिनांक 01 नवम्बर, 2000 द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अधिनियम 01 नवम्बर, 2002 को प्रख्यापित किया है उस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दु क्या हैं ? मान्यवर, चाहे नेपाल से चोरी-छिपे पालीथीन आ रहा हो चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या अन्य शहरों में इसका उत्पादन हो रहा हो अगर उसकी मोटाई 20 माइक्रॉन से कम है तो ऐसे उत्पादकों के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है ? जब तक इस पालीथीन का उत्पादन बन्द नहीं होगा तब तक यह रुक नहीं पायेगा। आज इसको रोकने के लिये प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं को निर्देश जाने चाहिए। मान्यवर, शादी-विवाहों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, यह पालीथीन कभी नष्ट नहीं होती है जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। आने वाले दिनों में पालीथीन एक त्रासदी बन जायेगी। केवल अधिनियम

प्रख्यापित करने से काम चलने वाला नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की है तथा शासन की नीति क्या है ?

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, माननीय पाल जी जानते हैं कि पालीथीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये लखनऊ से शुरुआत हुई थी। पशुओं के इन पालीथीन को खाकर दर्दनाक मौतें हो रही थी उसके प्रति चेतना जागृत करने के लिये नागरिकों के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उसमें सभी दल के लोग शामिल थे, पाल जी भी थे और एक आन्दोलन शुरू हुआ था। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। इसके उत्पादन पर रोक लगाने का काम पर्यावरण विभाग भारत सरकार का है, उससे अनुरोध किया गया है कि इसका प्रभावी नियंत्रण करें। इसका उत्पादन एक सीमा की मोटाई तक हो, पूरे प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है । लेकिन यह जो पालीथीन बैग्स हैं वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को रखने के लिये इस्तेमाल होते हैं और लोग उनको फेंक देते हैं तो जब तक भारत सरकार से एक कोई व्यवस्था की जाय तब तक जो अधिनियम है 2001 का इसमें उपभोक्ता के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही सोची जा रही है। उपभोक्ता अपना कूड़ा अलग कूड़ेदान में रखें पालीथीन आदि जो अनाशित कचरा है उसको अलग रखे जो वहां से उठाकर ले जाया जायेगा। इसकी रिसाइकिलिंग के ऊपर प्रतिबन्ध है। क्योंकि बहुत से थैले ऐसे होते हैं जैसे किसी मरीज का आपरेशन हुआ है और जो आपरेशन का कचरा है उसको पालीथीन में डालकर बाहर फेंक दिया गया और कुछ लोग ऐसे थैलों को उठा लेते हैं और भट्ठी में जब वह रिसाइकिलिंग होता है तो उसके बहुत से जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। प्रतिबंध इसमें है कि रिसाइकिलिंग प्लास्टिक खाने पीने की वस्तुओं को रखने में इस्तेमाल नहीं किया जाय। 20 माइक्रॉन मोटाई से नीचे जो प्लास्टिक है उसका मूल्य कागज के थैले के बराबर होता है, उसके ऊपर रोक लगाने की व्यवस्था की गयी है। कई जगहों पर माल को जब्त किया गया और एक अभियान भी चलाया गया था लेकिन सत्यता यह है कि जिस प्रभावी ढंग से नियंत्रण होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। अब हम दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किसी आलोचना का विषय नहीं है और आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मंत्री जी चाहे जो कुछ कहते रहें पालीथीन का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने इस संबंध में एक प्रदर्शनी भी लगायी थी जिसमें हम लोगों को जानकारी दी गयी थीं। सवाल करने से और सवाल का जवाब दे देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। मान्यवर, केन्द्र सरकार तो कार्यवाही करेगी लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई नियमावली बनाकर इसके उपयोग और प्रचलन को दण्डनीय बनाने के लिये कोई संशोधन लायेगी। अगर लायेगी तो कब तक। मान्यवर, एक संकल्प विधान सभा में पारित होना चाहिए । एक सर्वदलीय प्रस्ताव बनाकर सदन से पारित कराकर इसके निर्माण का मानक स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा करेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, बहुत उचित सुझाव है। हम लोग सभी दलों के नेता मिलकर विचार करें कि इसके उपयोग को कैसे रोका जा सकता है और कैसे दण्डनीय बनाया जा सकता हैं सब लोग मिलकर जन जागृति इसमें करें। इसको दण्डनीय बनाने के लिये अभी नियमावली बनाना बाकी है। कुछ कार्यवाही हुई है। नियमावली जो बन रही है उसमें इसका प्रयोग दण्डनीय हो जायेगा। जो इस्तेमाल करेगा या नियमावली का उल्लंघन करेगा वह दण्ड का भागी होगा, यह व्यवस्था की जा रही हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस अधिनियम को 1 नवम्बर, 2001 को प्रख्यापित किया गया है खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इस तरह की नियमावली अभी तक नहीं बनी है। इसी से सरकार की इस बिन्दु पर गम्भीरता जाहिर हो रही है । मैं केवल आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे सरकार की जो मंशा थी क्या सरकार उससे प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है। यदि नहीं संतुष्ट है तो इसके साथ-साथ एक बात और जानना चाहता हूं कि किन स्थानों पर इस प्रकार की चेकिंग की गई किन लोगों के विरुद्ध इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई। आखिरी बात सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी कि पालीथीन प्रोडक्ट पर वह प्रतिबन्ध लगाए। अगर तत्काल प्रतिबन्ध नहीं लग सकता है कि तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर इसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

पहले और तीसरे का उत्तर दे दें दूसरा प्रश्न विस्तार से है।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने स्वीकार किया है कि नियमावली नहीं बनी है। आज तत्काल मैं आदेश दे रहा हूं कि नियमावली तत्काल बन जाए। जिससे इसके उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। दूसरी बात इसमें भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है । हम फिर एक बार उनसे अनुरोध करेंगे कि इसके उत्पादन पर कोई रोक लगाने की व्यवस्था करें। दूसरी बात जो तिवारी जी ने कही है इस पर बैठकर आम राय बना लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

स्टेट के कानून में अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते हैं। इसको दण्डनीय बनाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

श्री पाल साहब का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में हमें एक बात देखनी होगी कि किस रंग के कितने पालीथीन बैग बन रहे हैं। काले रंग की पालीथीन के बैग तकरीबन 80 प्रतिशत तक बन रहे हैं। जैसा कि जवाब में आया कि भयानक किस्म के जीवाणु इसको गलाने पर नहीं मरते हैं। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें यह जीवाणु बने रहते हैं। अन्य रंगों की जो पालीथीन के बैग चाहे

हल्के रंग के हों या ट्रांसपैरेन्ट हों, उसमें इनकी संख्या कम होती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो पालीथीन पैकेट्स इस्तेमाल होते हैं चाहे दूध, दही, मट्ठा जिनमें भरा जाता है जिसका इस्तेमाल सरकार करती है तो क्या सरकार इस बात का संकल्प ले रही है कि सरकार इस कानून को अपने ऊपर लागू करेगी। इन प्लास्टिक पैकेट्स का इस्तेमाल सरकार अपने प्रोडक्ट में न करे। जब दण्डनीय बनाये जाने की व्यवस्था की जायेगी तो उसका यह परिणाम होगा कि जो छोटे दुकानदार लोग हैं, कमजोर आदमी है वह अपनी दुकान में इन पालीथीन में सामान बेच रहा है तो उसका चालान होगा उस पर पुलिस का डण्डा चलेगा। इंस्पेक्टर साहब आयेंगे क्योंकि इंस्पेक्टर राज चल रहा है। इंस्पेक्टर गरीब आदमी को नुकसान पहुंचायेंगे । सरकार कहेगी कि विपक्ष ने इसे दण्डनीय बनवाया है। पहले सरकार इसका खुद इस्तेमाल न करे। उसके बाद इस पर जनजाग्रति की आवश्यकता है। अगर दण्डनीय बनाना है तो बनाने वालों पर दण्ड लगना चाहिए। क्योंकि अगर टाटा बिरला इस तरह के पालीथीन बैग बनायेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, छोटे आदमी को बन्द करेंगे । रामपुर में अगर 4 इंच का चाकू बनेगा। तो उसको सरकार पकड़ लेगी। टाटा बिरला चाहे 20 इंच की छुरी बनाएं उनका कुछ नहीं होगा। बड़ों के लिये कोई कानून नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने पहले कहा कि केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। इसके उपयोग पर तभी नियंत्रण होगा । जब तक दोनों चीज नहीं होती हैं । तब तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, मैंने स्वीकार कर लिया है और जो सुझाव माननीय प्रमोद कुमार जी ने दिया मैंने कहा कि हम मिल बैठकर आपकी राय ले लेंगे। नियमावली अभी बनी नहीं है, जब यह बनेगी तो आप अपने सुझाव रख दीजियेगा। यह जनजीवन से जुड़ा हुआ है, इसको कहीं घुमाने की जरूरत नहीं है। सरकार आम तौर पर छिपाती है लेकिन हम तो उससे ज्यादा सामने रख रहे हैं कि यह कमी है, यह डेंजर है इससे। आपके सहयोग और राय की जरूरत है। मैंने कहा कि नेताओं की बैठक बुलाकर हम विचार विमर्श कर लेंगे कि नियमावली बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या किया जाय और क्या नहीं। जन जागरण किया और प्रदेश में एक आन्दोलन जैसा बना। कानून बना लेकिन कानून इतने प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। कारण यह भी है कि नियमावली नहीं बनी। आज हमने निर्देश दे दिया कि तत्काल नियमावली बनाई जाय। आपके साथ बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे यदि नियमावली बनने से पहले हो गया तो ठीक नहीं होता है तो फिर नियमावली बनने पर भी हम उसमें देख लेंगे कि क्या हमको उसमें जोड़ना है क्या घटाना है? यह एक सामाजिक समस्या है। कई समस्याएं ऐसी होती है जो कानून से हल नहीं होती हैं और जैसा आप कह रहे हैं.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमने गवर्नमेन्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है।

श्री लालजी टण्डन-

हर तरह की प्लास्टिक न तो बन्द की जा सकती है और न ही वह बन्द करना आवश्यक है। हल यह है कि जो पशुओं और हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है उसको उस सीमा तक रोक दें। सबसे सस्ती प्लास्टिक पौलिथिन का इस्तेमाल होता है रोज मर्रा की चीजों में। पहले कागज में या लोग अपना थैला लेकर जाते थे उसमें ले लेते थे। 20 माइक्रोन से कम जो हल्की सस्ती पौलिथिन होती

है उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरह से यह उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वह उसको सामान्य कूड़े से अलग रखें। नगर पालिका या नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था है वह उसमें उठा ले जायेंगे। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको दण्डित करने की बात है। यह अधिकार पुलिस को भी पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जैसा आपने संकेत किया था निश्चित रूप से होगा यह कि बड़े दुकानदारों को नहीं पकड़ा जायेगा। छोटे दुकानदार ही पकड़ में आयेंगे। यह उत्पादक करने वालों के ऊपर है कि जो रिसाइकिल करते हैं वह दाना बनाये तो ठीक है उस प्रोसेस में कोई असर नहीं होता है लेकिन इन थैलियों को गलाकर दोबारा लाल, हरी, नीली, पीली, काली पौलिथिन बना रहे हैं, उस पर प्रतिबन्ध है। यह काम बड़ी फैक्ट्रीज नहीं बना रही हैं यह गोमती के किनारे लोग इसकी रिसाइकिलिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत गरीब लोग हैं जो कूड़ा बिनकर लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कितने लोगों को सजा मिलेगी रिसाइकिलिंग के लिये । थैली बनाने के बजाय दाना बनाना शुरू करें यह नियमावली बनेगी उसमें रहेगा। जो हमारी सीमा के अन्दर है, कानून में संशोधन की बात होगी। वह भी किया जायेगा। मैं आपकी चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं । प्रभावी कदम उठाने का समय आ गया है। आप सबके सुझाव और राय से यह कार्य होगा।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

11.20 तक का समय है इसके लिये। शारदानन्द अंचल जी और उसके बाद एक और माननीय सदस्य बोल लेंगे।

श्री शारदा नन्द अंचल-

मान्यवर, पालीथीन के प्रयोग पर रोक लगी। पालीथीन खाकर जानवर कितने मरे? यह कितना जान लेवा होता है उससे पूरा देश और प्रदेश अवगत है। मान्यवर, यह प्रकरण कई बार से विधान सभा में चल रहा है इसमें निश्चित रूप से सरकार ने जानकारी प्राप्त की होगी कि इस प्रदेश में कितनी उत्पादन इकाइयां पालीथीन की है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी पालीथीन इकाइयां किस-किस स्तर की हैं ?

श्री अध्यक्ष-

कुछ जानकारी हो तो बता दें।

श्री लालजी टण्डन-

यह प्रश्न की परिधि के बाहर है।

श्री अध्यक्ष-

उप नियम (11) से भी प्रतिबन्धित हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने कहा कि इसमें नेताओं से सुझाव लेकर कार्यवाही करेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय ने पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से पुनः चक्रित पालीथिन निर्माण के संबंध में कोई नियमावली बनाई है। जब एक नियमावली बन गई तो वह उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी होती है। माननीय

अध्यक्ष जी आप भी सी0पी0ए0 की कमेटी को लेकर अमेरिका गए थे पूरे अमेरिका में प्लास्टिक और पालीथिन पर प्रतिबन्ध है यहां कागज के थैले शुरू हो गए हैं। मान्यवर, गांधी आश्रम ने भी कागज के थैले शुरू कर दिए हैं आपने उद्योग की बात कही, तो अगर कागज के थैले प्रयोग होंगे तो भी लोगों को उद्योग मिल जाएगा, लुगदी बनाने का कुटीर उद्योग चल सकता है। आपने कहा कि वाटर कन्जर्वेशन करेंगे और छतों पर पानी इकट्ठा किया जाएगा लेकिन पालीथिन जो सड़कों पर पड़ी रहती है नालियां चोक रहती हैं और पानी नालियों में न बहकर सड़कों पर बहता है तो इस पर रोक न लगाने से आपकी जो वाटर कन्जर्वेशन की मंशा है वह भी पूरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल-

पालीथिन पर रोक लगाने के लिए क्या आप कोई कानून बनायेंगे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार पालीथिन के उपयोग पर रोक लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था कागज के थैले बनवाने की, कागज के थैले शुरू करने की करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

एक प्रकार से उत्तर आ गया है।

श्री लालजी टण्डन-

मैं नियमावली में आपकी भावनाओं को शामिल कर लूंगा, हम इसमें कड़ाई करने के लिए नियमावली में नियम बनायेंगे। आज हमें और आपको फिर सड़कों पर जागृति लाने के लिए निकलने की जरूरत है।

श्री राम बिशुन आजाद-

इस पर चर्चा कराईए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हो गया है। इस विषय पर पिछली विधान सभा में चर्चा हो चुकी है।

श्री राम बिशुन आजाद-

संकल्प के माध्यम से चर्चा हुई थी, उसके बाद भी सरकार संवेदनशील नहीं है इसमें एक घंटे की चर्चा करा ली जाए।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 मई, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई ।

नोट :-अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी, अभी बैठ जायें। पहले इसको हो लेने दें। अब मैं आपको इसी नाम से सम्बोधित करूंगा क्योंकि आपकों आपत्ति है तिवारी कहने पर।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे आपत्ति नहीं है आप प्रमोद तिवारी ही कहें।

श्री अध्यक्ष-

निम्नालिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। चूंकि श्री कमाल यूसुफ मलिक, डा0 कौशल किशोर, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री राम बिशुन आजाद जी की एक सूचना 21-5-02 को स्वीकार कर ली गयी थी अतः इनकी सूचना को अस्वीकार किया जाता है।

चूंकि श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री ओम प्रकाश तथा श्री श्याम देव राय चौधरी जी की एक सूचना 20-5-2002 को स्वीकार कर ली गयी थी अतः इनकी सूचना भी अस्वीकार की जाती है।

चूंकि महेन्द्र कुमार सिंह जी की दो सूचनाएं हैं अतः इनकी भी सूचना अस्वीकार की जाती है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, आज अन्तिम दिन है और पुरानी परिपाटी भी है कि अन्तिम दिन सभी 301 की सूचनाएं स्वीकार कर ली जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी भी सूचना स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो कैसे होगा।

(शेष स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

(श्री शिव कुमार बेरिया ने अपनी सूचना स्वयं पढ़ी)

जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्र के ब्लाक नकहा के अन्तर्गत कझडवा नदी (परसियाघाट) पर पुल बनाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर जनपद खीरी की लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से आवश्यक कार्यवही की अपेक्षा करती हूं।

श्रीनगर क्षेत्र के ब्लाक नकहा के अन्तर्गत कझडवा नदी (परसिया घाट) पर खम्मार खेड़ा-मफसोहा के पास पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त पुल का निर्माण हो जाने से क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु तथा कृषि उपज ले जाने में सहूलियत हो जायेगीं क्षेत्र की जनता उक्त पुल के निर्माण न हो पाने के कारण उद्वेलित है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित आंवला, बरेली, बदायूं, राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में जनपद बरेली विधान सभा आंवला को जोड़ने वाली सड़क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बरेली से बदायूं, बदायूं से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क है। जो विश्व बैंक परियोजना से वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत की गयी है।

इस सड़क में बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हो गये हैं। जिससे वाहन निकलना मुश्किल हो रहा है। उक्त मार्ग आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और उक्त सड़क 2 वर्ष में पूर्ण होनी थी। परन्तु अभी तक उक्त सड़क पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

अतः सदन के संज्ञान में उक्त तथ्य लाते हुए यह प्रार्थना है कि विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित उक्त सड़क का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाय।]

जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में सीलिंग की भूमि में दक्षिण पश्चिम मेड़ा से उत्तर दक्षिण मेड़ा तक 15 फुट रास्ता बनाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

[महोदय, कृपया लोक महत्व के प्रश्न पर आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सभा करहकोल, विकास खण्ड व तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया के नवीन परती की भूमि संख्या-470 पर दक्षिण पश्चिम मेडा से उत्तर दक्षिण मेडा तक 15 फुट चौड़ा रास्ता भू-अभिलेखों में अंकित कराये जाने जो सदियों से चले आ रहे आम रास्ता जिस पर बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, ट्राली आने जाने के रास्ते से सीधे अभिनन्दन के दरवाजे दुर्गा मन्दिर की गली के रास्ते तक चले आ रहे रास्ता को भू-अभिलेखों में कायम न किये जाने के कारण राम जी, अभिनन्दन, श्री सूर्य नरायन के परिवारी जन के निकास तथा आम जनता के आवागमन प्रभावित हो रहा है। के बावत में माननीय श्री मो0 मुकिम विधायक द्वारा विधान सभा की कार्यवाही के नियम-301 के तहत सूचना को दिनांक 28-9-2001 को सदन में स्वीकृत किया गया था जो राजस्व अनुभाग-2 में लम्बित है के बावत में भू-अभिलेखों में रास्ता न अंकित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है जबकि उक्त रास्ते से आज भी आवागमन चल रहा है।

अतः मैं इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर उक्त सीलिंग की जमीन में दक्षिण पश्चिम मेडा से उत्तर दक्षिण मेडा तक 15 फुट चौड़ा रास्ता भू-अभिलेखों में अंकित कराकर रास्ता साफ करवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में बन्द पड़े नालों की खुदाई व सफाई कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे होने के कारण बाढ़ग्रस्त भी रहता है. तथा जल स्तर भी ऊपर है तथा बाढ़ आने पर पानी ठहर जाता है व बाढ़ के दिनों में पानी जमीन से भी आने लगता है। जिससे फसल नष्ट हो जाती है वहां बाढ़ व पानी ठहरने से करोड़ों की फसल की हानि व मवेशी के लिये चारे की परेशानी हो जाती है।

मुख्य विषय यह है वहां पर कई नाले हैं वो आज तक बन्द पड़े हैं या सफाई की व्यवस्था नहीं है जिससे क्षेत्र का किसान भारी समस्या का सामना करता हुआ हर वर्ष के दिनों में गरीबी की ओर बढ़ता हैं क्योंकि एक महीने तक बाढ़ आ सकती है। अतः सरकार को नालों की खुदाई व सफाई कराने के लिये आपकी ओर से निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ की सम्भावना से पहले ही रोक थाम हो व क्षेत्र का किसान, मजदूर राहत की सांस ले सके।

मैं आपका आभारी रहूंगा।]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में सिसैया टखेरक मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त ही लोक महत्व का मामला लाना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत सिसैया ठखेरका मार्ग जो कि निघासन होते हुए दुधवा नेशनल पार्क को जाता है यह एक मात्र मार्ग नेपालगंज एवं श्रावस्ती (जो कि महात्मा बुद्ध जी तपोस्थली) को जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रावस्ती एवं नेपालगंज से विदेशी पर्यटक दुधवा नेशनल पार्क जाते हैं जिससे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उक्त सिसैया 6 खरेवा मार्ग इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि पूरी सड़क तालाब में परिवर्तित हो चुकी है। बरसात में आवागमन पूर्णरूप से कट जाता है तथा धौरहरा के पास बने पुल की दोनों तरफ अपरोच कर जाती है तथा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । जिसके कारण नेपालगंज से एवं श्रावस्ती से दुधवा नेशनल पार्क तक नहीं पहुंच पाते है यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सिसैया ठखेरक मार्ग से किसानों के गन्ने की आपूर्ति भी फरवरी माह तक बाधित हो जाती है जिससे किसानों को अपूर्णनीय क्षति होती है। इस सड़क का कार्य यदि लोक महत्व की यह अविलम्बनीय समस्या है इसका निराकरण शीघ्र कराया जाय। यदि यह मार्ग बरसात के पूर्व ठीक न कराया गया तो यह मार्ग पूर्व की भांति बंद हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के विषय को सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर में ककराही में स्थित 26 नं0 साइफन को शासनादेश के विपरीत खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर, जनपद लखीमपुर के मध्य शारदा नहर में ककराही के पास स्थित 26 नं0 साइफन को कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से नहर की सफाई के नाम पर खोल दिया जाता है जिससे विकास खण्ड बेहटा की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है तथा समस्त फसल चौपट हो जाती हैं हालात कृषकों की भूखों मरने की हो जाती हैं जनपद स्तर के अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद इस भयंकर त्रासदी पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। उक्त तबाही से कृषकों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है। अतः इस 26 नं0 साइफन को कभी न खोलने का शासन द्वारा निर्देश दिये जाने की मांग के साथ उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही एवं अब तक चौपट हुई फसल के मुआवजे की भी क्षतिपूर्ति की जाये।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत विगत कई वर्षों से किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के सम्बन्ध में सूचना

श्री अरुणवीर सिंह-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत सा0 स0 स0 देउसा द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1997-98 में क्रय किये गये गेहूं में से 1083-95 कुन्तल मूल्य 552610.30 रु0 का आहरण किया गया था जिसका भुगतान कृषकों को समिति द्वारा अब तक नहीं किया गया इससे किसानों के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है एक तरफ किसानों का अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर बकाया सरकारी धन की वसूली हेतु उत्पीड़न किया जा रहा है ऐसी स्थिति में तत्काल किसानों का बकाया गेहूं मूल्य दिलाया जाय।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर में कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, चूंकि मेरी सूचना कानून व्यवस्था से संबंधित है। अतः मैं इसको पढ़ूंगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* श्री शिव कुमार बेरिया ने अपनी सूचना स्वयं पढ़ी ।

महोदय, जब से उ0 प्र0 में गठबन्धन सरकार बनी है प्रदेश के अपराधी भयमुक्त हो गये हैं कानून व्यवस्था जर्जर हो गयी है, नौकरशाही निरंकुश हो गयी है, किसी भी अधिकारी से बात करो वह कहता है कि जब पैसा देकर ट्रांसफर करायेंगे तब कानून व्यवस्था देखेंगे या अपनी खुद की व्यवस्था देखेंगे।

मान्यवर, अगर सिर्फ कानपुर जिले को ले तो दि0 21-5-2002 को सिर्फ कानपुर नगर में म0 नं0 76/512 कुली बाजार में अशोक कुमार की हार्डवेयर की दुकान में तमंचे के बल पर 30 हजार रुपये लूट लिया गया जब थाना बादशाही नाका में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उसे भी दर्ज करने से मना किया गया।

नौबस्ता से विधनू ले जाकर भारी लूटा गया। मकरकटी बस अड्डे पर एक पायी से 25 हजार लूट लिये गये इस घटना के 2-3 दिन पूर्व कानपुर की गुड़मण्डी के व्यापारी का 4 लाख के ऊपर लूट लिया। कन्नौज के व्यापारी की क्वालिस ट्योटा कम्पनी बाग चौराहे पर लूट ली गयी। बिल्हौर कस्बे में एक नागरिक मेवालाल कुशवाहा का कत्ल कर उनकी लाश ईसन नदी पर डाल दी गयी पूरे अपराधियों का थाने में आना जाना है इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के संबंध में उक्त घटनाओं की जांच कराकर तत्काल कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सभी माननीय सदस्यों का नाम जिनकी सूचना है पढ़ देता हूं। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में परशुरामपुर–महराजगंज मार्ग से चेतवा तक सड़क बनाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वसीम अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त ही लोक महत्व के सवाल पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर की परशुरामपुर महराजगंज मार्ग से बैदरा, भटनी, भवनपुर, सुरजीतपुर आदि से होती हुई जो सड़क चेवता तक जाती है और कप्तानगंज महराजगंज सड़क से टच करती कोई रास्ता न होने के कारण इन ग्राम वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। लोग वोट डालने नहीं गये। मैंने तेरहवीं विधान सभा में कई बार इस पर ध्यान दिलाया मगर सड़क नहीं बनी जिसके कारण चुनाव का बहिष्कार हुआ, आज लोगों में आक्रोश है, जनता आन्दोलित है, जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के सवाल पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार को निर्देशित करें कि तत्काल कार्यवाही करके जनता के आक्रोश को दूर किया जाय।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिहानी नगर एवं उसके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अपूर्ण विद्युतीकरण को शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में नियम--301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अशोक बाजपेयी-

[महोदय, पिहानी नगर की आबदी 40 हजार से ज्यादा है ये एक ऐतिहासिक नगर है जहां बड़ी संख्या में बुनकर रहते हैं इस नगर में प्रतिदिन 4 से 6 घण्टे बिजली अनियमित आपूर्ति की जा रही है, पूरी-पूरी रात बिजली नहीं आती। हाईस्कूल व इण्टर के छात्र परीक्षा के समय मिट्टी के तेल की डिब्बी जलाकर कैसे अध्ययन किये होंगे, अनुमान लगाया जा सकता है । सारे कल कारखाने निरन्तर बन्द हो रहे हैं, रमजान के महीने में 2-2 घण्टे प्रतिदिन बिजली नहीं आई, इससे रोजा रखने वालों को परेशानी हुई इस अनियमित कटौती के संबंध में पिहानी नगर के नागरिकों, व्यवसायियों, छात्रों ने धरना प्रदर्शन किये। अधिकारियों के झूठे आश्वासन के बावजूद भी अभी तक बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति की दशा इससे ज्यादा खराब है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बिजली मिले ही लोगों से महीनों से बिजली के फर्जी बिलों का भुगतान कराये जा रहे हैं। अभी प्रशासन द्वारा बिजली बकायेदारों के यहां छापे डालकर जबरन रिकवरी की गई उसे लेकर जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

पिहानी क्षेत्र के ग्राम सहजना, उमरौली, कमालपुर, मोहदीनपुर तथा सिकन्दरपुर बाजार गांवों की लाइन 5 सालों से कटी पड़ी है तमाम प्रयासों के बावजूद इन गांवों की लाइनों की मरम्मत नहीं हुई है। ग्राम शाहपुर नगरिया, गौरिया, नवीपुर एवं हैदरपुर का विद्युतीकरण विधायक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, खम्भे खड़े हैं, अधूरी लाइनें बनी हैं और अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया गया इस हेतु शासन द्वारा दो वर्ष पहले ही धन उपलब्ध कराया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि पिहानी नगर में 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति एवं ग्रामीण इलाकों में 12 घण्टे की आपूर्ति एवं जिन गांवों की लाइन खराब है उसे नया बदला जाय जिन गांवों का विद्युतीकरण अवशेष है उसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश देकर कार्य पूरा कराया जाय।]

जसराना मण्डी परिषद् में अपूर्ण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम--301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-324 जसराना में मण्डी परिषद् द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्ग जिन पर अब तक 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और अधूरे पड़े हैं। तमाम निर्मित सम्पर्क बिल्कुल टूट गये है उनका पुनर्निर्माण होना बहुत आवश्यक है तमाम मार्गों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् द्वारा प्रस्ताव पारित किये जा चुके है। इनमें से प्रमुख कार्य निम्न हैं :--

1-मुस्तफाबाद फेरिहा मार्ग से परवई सम्पर्क मार्ग मण्डी क्षेत्र अवागढ़

2-मुस्तफाबाद जसराना मार्ग से पारौली सम्पर्क मार्ग क्षेत्र शिकोहाबाद

3-रसैनी पुल से अकबरपुर सम्पर्क मार्ग क्षेत्र फिरोजाबाद

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-पाड़म ओछा मार्ग का अवशेष भाग मण्डी क्षेत्र अवागढ़

5-पटीकरा पुल से सुदादपुर मण्डी क्षेत्र शिकोहाबाद

6-नंगला धारू से रूहासी सम्पर्क मार्ग मण्डी क्षेत्र अवागढ़

7-भदाना से सुराया सुनारी सम्पर्क मार्ग मण्डी क्षेत्र अवागढ़

8-नगला धित्तर से कताना पुल होते हुए नंगला माती मण्डी क्षेत्र अवागढ़

9-जसराना धिरौर मार्ग से नंगला किन्नर (कनउवा) सम्पर्क मार्ग क्षेत्र शिकोहाबाद

10-शिकोहाबाद मुस्तफाबाद मार्ग से ओढ़मपुर सम्पर्क मार्ग क्षेत्र फिरोजाबाद

11-कमालपुर से दादनपुर, रानीपुर सम्पर्क मार्ग मण्डी क्षेत्र फिरोजाबाद

12-भेड़ी, नंगला, धारू से उडेसर सम्पर्क मार्ग, मुस्तफाबाद अवागढ़ मार्ग से नंगला जगन्नाथ सम्पर्क मार्ग

13-विलासपुर सम्पर्क मार्ग एवं जसराना बड़गाम मार्ग से अल्लापुर सम्पर्क मार्ग।

उपरोक्त सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण अति आवश्यक है धन की व्यवस्था कराकर निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं ।]

बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिपथ पर परिवहन निगम की बस से मृत एवं घायल व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 शिव प्रताप यादव-

[मान्यवर, जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगभग 20 किमी0 दूरी पर बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिपथ पर स्थित ग्राम लौकहवा, थाना महराजगंज; तहसील तुलसीपुर के निवासी राधेश्याम शिल्पकार के पुत्र की बारात में शामिल बारातियों को इटवा-कानपुर परिवहन निगम की बस सं0 यू0पी0 42-2527 दिनांक 19-5-2002 को लगभग साढ़े नौ बजे रात्रि में रौंदती हुई निकल गयी जिससे बैठोले पुत्र श्री दयाराम, श्री श्यामलाल पुत्र श्री अंगनू, श्री हरीराम पुत्र श्री लाले, श्री बहादुर पुत्र श्री पराग तथा श्री पुत्तीराम पुत्र श्री जयजयराम की दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा इतवारी, राधेश्याम, श्री सत्य नरायन, श्री मुन्ना कमलेश, श्री राम बहादुर, श्री राजाराम एवं दूल्हे के पिता व बहन सहित 19 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये जो जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती हैं अभी तक प्रशासन द्वारा मृतक आश्रितों एवं घायलों को किसी प्रकार की सहायता नहीं प्रदान की गई ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मृतक के परिवार वालों को मृतक आश्रितों को दो-दो लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में पल्टूपुर लखरांव घाट पर पक्के पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव-

[महोदय, अवगत कराना है कि जौनपुर का मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से ऊंचा-नीचा क्षेत्र है वहीं पर दो नदियों से घिरे होने के कारण आवागमन के मामले में भी काफी पिछड़ा क्षेत्र है नदी के किनारों के ग्रामों में पेयजल, रास्ते एवं विद्युत का भी घोर संकट रहा करता है। जल भराव के कारण खेती योग्य भूमि परती पड़ी रहती है।

मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र जो तहसील मुख्यालय है क्षेत्र के बहुत से गांव नदी के दूसरे छोर पर स्थित है पुल न होने के कारण जनता के आवागमन में परेशानी होती है। वसूही नदी के लखरांव-पल्टूपुर घाट पर पुल न होने के कारण जनता को बड़ी आवागमन में असुविधा है।

लोक महत्व की इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में आवागमन हेतु पल्टूपुर-लखरांव घाट पर एक पक्के पुल के निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में बिजली लाइन टूट कर गिरने से पीड़ित परिवार को लाखों रुपये की क्षति तथा मुआवजा दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहिद मंजूर-

[मान्यवर, दिनांक 16-5-02 परिकतगढ़ जनपद मेरठ में संजीव कक्कड़ के मकान/दुकान पर 1100 वोल्ट बिजली लाइन टूट कर गिरने से लाखों रुपये की सम्पत्ति जल कर राख हो गयी इसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही रही है। परिवार के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह गयी है यहां तक विभागीय अधिकारी भी मौके पर मुआयना करने नहीं गये। इस घटना से स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसरों के पुनरीक्षण वेतनमान दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश सचान-

[मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिये 18-8-99 के निर्णय का अनुदान अनुपालन अभी तक नहीं किया गया हैं मा0 उच्च न्यायालय में व मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से गलत हलफनामे प्रस्तुत किये गये हैं और गुमराह किया जा रहा है इस कार्यवाही से शिक्षकों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-109 सुल्तानपुर में नगर बढ़ते हुए यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए काफी समय पूर्व ही एक ट्रांसपोर्टनगर बनाये जाने हेतु करीब दस एकड़ जमीन लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर पयागीपुर चौराहे के पास ली गयी थी। स्थल की बाउण्ड्रीवाल काफी समय पूर्व खींची गयी तथा निर्माणाधीन ट्रांसपोर्टनगर का बोर्ड भी लगाया गया है । परन्तु अभी तक अन्दर की दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया है । न ही व्यवसायियों को बसाने की कार्यवाही ही प्रारम्भ की गयी है।

लोक महत्व के नियम-301 के ध्यानाकर्षण की सूचना द्वारा मैं यह मांग करता हूं कि ट्रांसपोर्टनगर के लिये आरक्षित की गयी जमीन पर शीघ्र ही दुकानों का निर्माण तथा अन्य शेष बचे कार्य को पूर्ण कराकर व्यवसायियों को बसाने हेतु निर्देश देने की अनुकम्पा करेंगे।]

जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर क्षेत्र में राप्ती नदी पर अर्द्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मशहूद खां-

[मान्यवर, देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के विकास खण्ड-हरैया सतघरवा में ललिया कोड़री मार्ग पर राप्ती नदी पर पुल का कार्य पूरा न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को 20 किमी0 की दूरी तय करने के लिये 70 किमी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। कई बार मेरे द्वारा शासन-प्रशासन को इससे पूर्व उक्त के संबंध में अवगत कराया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जनहित में सरकार अविलम्ब उक्त पुल का निर्माण कार्य पूरा करायें।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

पंचायती राज चुनाव में सम्मिलित लोगों को जमानत राशि की वापसी हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान पिछले पंचायती राज चुनाव में सम्मिलित हुए लोगों की जमानत राशि जिनकी नियमानुसार वापसी होनी थी, लगभग दो वर्ष बीतने को है, किन्तु इनकी जमानत धनराशि वापस नहीं हो रही है । तमाम लोग जो प्रत्याशी रह चुके हैं, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का चक्कर काट रहे हैं जिससे लोगों में व्यापक रोष व्याप्त है।

अतः आप से अनुरोध है कि इसे स्वीकार कर उ0 प्र0 सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि गाजीपुर जनपद के समस्त क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत कार्यालय को जमानत धनराशि वापस करने का आदेश जारी किया जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ में अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[मान्यवर, विगत कई वर्षों से अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित करेने की मांग जोरों से उठ रही है। वहां के प्रधान एवं निवासियों ने अपने हस्ताक्षर से प्रस्ताव पास करके कई बार भेजा भी है। सरकार ने वांछित सूचना भी मांग रखी है। गत वर्ष सरकार की ओर से कहा गया था कि मार्च, 2002 तक के लिये केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबन्ध है इसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

मान्यवर, क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझसे वहां की जनता बार-बार पूछती है एवं दबाव डालती है कि अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित कराना आवश्यक है। क्योंकि जनसंख्या उसके अनुसार है। वांछित सूचना भी सरकार के पास आ चुकी है यह स्थान खण्ड विकास का हेड क्वार्टर है। वहां अस्पताल है, स्कूल है, इण्टरमीडिएट कालेज है, सब्जी मण्डी है। टेलीफोन एक्सचेंज है, बहुत अच्छी पुरानी बाजार है, थाना है, यहां की रसभरी मिठाई बहुत मशहूर है।

अतः मैं इस गम्भीर प्रश्न को सदन में उठाने की आपकी अनुमित चाहता हूं एवं निवदन करता हूं कि सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह अहरौला बाजार (जनपद आजमगढ़) को टाउन एरिया जनहित में घोषित करें।]

जनपद कुशीनगर के टाउन एरिया हाटा में साम्प्रदायिक तनाव को रोकने हेतु सी0 ओ0 एवं कोतवाल हाटा को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

[महोदय, जनपद कुशीनगर के टाउन एरिया हाटा में दिनांक 22-4-2002 को दो साम्प्रदायों में हुए झगड़े से पूरे कस्बे में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त है। यह साम्प्रदायिक तनाव सी0 ओ0 एवं कोतवाल द्वारा सम्प्रदाय विशेष के लोगों को एक तरफा संरक्षण देने एवं दूसरे सम्प्रदाय के संभ्रांत हिन्दू परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित कर जेल भेजने के कारण व्याप्त है। इन दोनों के वहां तैनात रहते कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। साम्प्रदायिक तनाव समाप्त करने हेतु सी0 ओ0 एवं कोतवाल हाटा को स्थानान्तरित कर उक्त घटना की जांच कराना है।

अतः उक्त साम्प्रदायिक तनाव को रोकने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के औचित्य के प्रश्न पर उक्त सी0 ओ0 एवं कोतवाल हाटा, कुशीनगर को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने का निर्देश देने का अनुग्रह करें ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महराजगंज के फरेन्दा कस्बे के विद्युत स्टेशन को एच0 वी0–2 श्रेणी दिये जाने के संबंध मे नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम नारायण-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा फरेन्दा कस्बे के टाउन एरिया विद्युत स्टेशन को पुनः एच0 बी0 2 श्रेणी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

फरेन्दा जनपद महराजगंज का सबसे बड़ा कस्बा टाउन एरिया है। यहां एन0ई0 रेलवे का जंक्शन है तहसील हेड क्वार्टर, थाना पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, वन विभाग चकबंदी, लोक निर्माण विभाग, ब्लाक शिक्षा विभाग, बाट-माप व सिंचाई विभाग और रेलवे के वर्कशाप तथा कार्यालय है मुन्सिफ कोर्ट भी यहां स्थित है।

सभी बैंकों की शाखाएं दो डिग्री कालेज, चार इण्टरमीडिएट कालेज तथा बहुत से प्राइमरी व नर्सरी विद्यालय है। दो सिनेमाघर, चार कोल्ड स्टोरेज, हजारों दुकानें, इस कस्बे में चीनी मिल भी स्थित है।

पूरा जनजीवन विद्युत पर निर्भर है। इसी कारण फरेन्दा कस्बे के विद्युत स्टेशन को एच0 वी0-2 श्रेणी प्राप्त थी । परन्तु दुर्भाग्य से कहीं गलतीवश इस श्रेणी को खत्म कर दिया गया। जब कि इससे बहुत से छोटे कस्बों को उक्त सुविधा प्राप्त है।

फरेन्दा जनमानस इस सुविधा के अभाव में त्रस्त और आहत हैं ।

अतः कृपा करके फरेन्दा कस्बे की स्थिति को देखते हुए विद्युत स्टेशन की एच0 बी0-2 की श्रेणी का दर्जा दिया जाय। महती कृपा होगी।]

जनपद सिद्धार्थनगर में महसई सागर का फाटक बन्द न किये जाने से किसानों में व्यापक आक्रोश के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश सिंह-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र-शोहरतगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर के जमीनदारी जमाने के सागर महसई से नहरों को निकाल कर करीब पचास गांवों की सिंचाई की जाती है। दिनांक 16 मई को मछली के ठेकेदारों ने लाखों की मछली सागर के फाटक को खोलकर पानी बरबाद कर मछली मारने की योजना बनाई और सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता को भारी रकम देकर चौकीदार के सहारे ठेकेदार और उसके साथियों ने फाटक खोल कर पानी बहा दिया जिससे सिंचाई व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ इस घटना की जानकारी होने पर हजारों किसान इकट्ठा होकर चौकीदार को लेकर थाने गये जहां एफ0 आई0 आर0 भी थानाध्यक्ष, शोहरतगढ़ लिखने में हीला हवाली करने लगे, किसानों के आन्दोलन को देखते हुए थाना-शोहरतगढ़ में इस आशय का एफ0 आई0आर0 दर्ज हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही सिंचाई विभाग ने तीन दिन तक फाटक बंद किया। इससे किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है। किसी भी समय आन्दोलन होने की सम्भावना है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित होवे।]

जनपद पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये को शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[महोदय, श्रीमान् जी मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के पड़े बकाये की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जनपद पीलीभीत में दो सहकारी चीनी मिलें आती हैं। एक सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर एवं दूसरी सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी। सहकारी चीनी मिल पूरनपुर पर किसानों का 11 करोड़ 32 लाख रुपया अर्थात् 38 प्रतिशत रुपया तथा सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी पर किसानों का 24 करोड़ 31 लाख रुपया अर्थात् 49.94 प्रतिशत का भुगतान अभी भी बकाया है। उक्त बकाये के चलते गन्ना किसानों में काफी रोष व्याप्त है। अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चली है। सहालगों के चलते अगली खेती का समय भी आ चला है किसानों के पास इतना धन नहीं है कि वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के उपरान्त कुछ अन्य कार्य कर सकें। आये दिन किसानों एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों के मध्य भुगतान संबंधी वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता है।

अतः श्रीमान, मैं इस अत्यन्त ज्वलंतशील विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि कृपया उपर्युक्त दोनों सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये को तत्काल दिलाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।]

श्रीमती उर्मिला वर्मा पी0 पी0 ओ0 धारक को मुख्य कोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री द्वारिका प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सेवा निवृत्त कर्मचारियों के स्वर्गवास हो जाने पर उनके आश्रितों की बड़ी दुर्दशा है।

शासनादेश संख्या-3384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन का संशोधन के पश्चात् पेंशन भुगतान आदेश संख्या-एल0 के0 एन0/38038 का भुगतान आज तक मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा नहीं किया गया जो लापरवाही का द्योतक है।

उल्लेखनीय है कि पी0 पी0 ओ0 धारक श्रीमती उर्मिला वर्मा के पास पेंशन के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक स्रोत नहीं है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर निश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर में चिल्लूपार क्षेत्रान्तर्गत कटे हुए बन्धों की मरम्मत शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी-

[मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार, जनपद गोरखपुर के अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला सदन के संज्ञान में लाता हूं। मेरा क्षेत्र राप्ती, गुर्रा एवं घाघरा नदी के बीच में स्थित है। वर्ष 1998 से अब तक भीषण बाढ़ आयी है तथा बंधें भी कटे। लगभग बंधों पर 11 कटान आज भी पुनर्निर्माण के लिये शासनाश्रित हैं।

पूर्वांचल पैकेज से मात्र 31 मार्च, 2001 को पैसा स्वीकृत किया गया जो न तो क्षेत्र में पहुंचा न ही अधिकारी कुछ बताने में सक्षम हैं। वर्ष 98 से 2001 की बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गये हैं जबकि शासन के पास इन्हीं सब डिसास्टर्स के लिये निधि होती है। प्रदेश स्तर पर बनी डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी केवल फ़ाइलों पर है। इस बाढ़ में डिसास्टर मैनेजमेंट की उपलब्धि शून्य रही है। पैसा भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम समय दिया जाता है, जब न तो कार्य हो सकता है और न उस धन को पी0 एल0 ए0 में डाला जा सकता है। वर्षात अति निकट है। अगर बाढ़ न भी आये तो जलभराव से कटे हुए बंधों से पुनः तबाही होगी और जनमानस, जिसकी सेवा के लिये हम शपथ लेकर यहां आये हैं फिर तबाह होंगे और शासन अपनी शिथिलता को समाप्त कर न तो उनकी समस्या का निदान करेगा और न ही घटित घटनाओं को बचाकर अहैतुक राशि के व्यय को कम करेगा।

सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के कटे हुए बंधों की मरम्मत का कार्य प्रत्येक दशा में 10 जून, 2002 तक कराया जाये तथा बाढ़ में निर्वासित लोगों के रहने की समस्या का निदान कर दिया जाये अन्यथा 10 जून के बाद होने वाली बरसात से अपार जन एवं धन की हानि पुनः होगी।]

लखनऊ की समर विहार कालोनी आलमबाग में चित्रगुप्त नगर को 11000 वोल्टेज लाइन से इंटरलिंक किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र कुमार-

[मान्यवर, मैं नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण बिन्दु पर सूचना देना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत समर विहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ में चित्रगुप्त नगर ट्रांसफार्मर और समर विहार कालोनी को 11000 वोल्टेज की लाइन से इंटरलिंक किया जा रहा है इस कार्य में मानक नगर स्टेशन की तरफ म0 नं0 45 से 52 के ऊपर उक्त लाइन गुजर रही है तथा यह लाइन 45 के बगल में श्री वेद प्रकाश शर्मा के मकान के ऊपर होकर जा रही है। उक्त लाइन के मकानों के ऊपर गुजरने से जानमाल का भारी खतरा है तथा कभी भी बड़ी दुर्घटनायें हो सकती है। म0 नं0 45 के बगल में 30 फिट चौड़े रास्ते पर यदि उक्त लाइन डाली जाती है तो किसी का नुकसान नहीं होगा तथा मकानों के ऊपर से उक्त लाइन नहीं गुजरेगी तथा इसमें मात्र 3 खम्भे या ब्रेकट लगाकर एक खम्भा लगेगा जबकि पहले वाले में 6 खम्भे लग रहे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार उक्त गम्भीर दुर्घटनाओं को रोकने तथा कम खर्च में इण्टरलिंक करने के लिये उक्त कार्य को तत्काल रोकने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।]

जनपद बुलन्दशहर में मध्य गंगा नहर की लखावटी ब्रांच में अविलम्ब पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह-

[महोदय, वर्ष 2002 के माह अप्रैल से ही भीषण गर्मी का प्रकोप जारी हो गया हैं, जनपद बुलन्दशहर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में पीने का पानी तथा किसानों की फसल के लिये पानी तथा पशु पक्षी आदि के लिये पानी का अति घोर संकट पैदा हो गया है। उपरोक्त क्षेत्र में भूगर्भ पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे गम्भीर संकट में पानी का साधन एकमात्र मध्य गंगा नहर की लखावटी ब्रांच नहर है।

उपरोक्त नहर में सरकारी सूत्रों के अनुसार माह जून के अन्तिम सप्ताह या माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पानी छोड़े जाने की सूचना है। यदि उपरोक्त सूत्रों के अनुसार विश्वास किया जाय तो क्षेत्र की जनता में पानी के अभाव के फलस्वरूप हाहाकार मच जायेगा। किसानों की फसल सूख जायगी तथा तालाब से पानी गायब हो जाने के फलस्वरूप पशु पक्षियों के लिये पानी का घोर संकट हो जायेगा। जल स्तर नीचे जाने से कुएं और हैण्डपम्प से पानी नदारद हो जायेगा। उपरोक्त स्थिति की कल्पना करते हुए महोदय से विनम्रतापूर्ण अनुरोध है कि मध्य गंगा नहर की लखावटी ब्रांच नहर में अविलम्ब पानी छोड़े जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

लखनऊ में इन्दिरानगर विस्तार योजना–II हेतु अधिग्रहीत भूमि सहकारी आवास समितियों को न दिये जाने तथा क्षेत्र का सुनियोजित विकास किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि वर्ष 1984 में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने लखनऊ के निवासियों को आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से एक इन्दिरा नगर विस्तार योजना-II के लिये भूमि अर्जन का प्रस्ताव 19-5-1984 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जिसके माध्यम से इस्माइलगंज, कमता, पानीगंज, तकरोही, अमराई-गांव आदि गांवों की 1760 एकड़ भूमि अर्जित की जानी थी। लेकिन इस क्षेत्र में कार्यरत सहकारी आवास समितियों एवं परिषद् के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस भूमि को सहकारी आवास समितियों के हाथों बिकवा दिया गया और समितियों ने अनेक अवैध कालोनियां बना दी जिनमें नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण यह क्षेत्र मलिन बस्ती के रूप में परिवर्तित हो गया है। आज तक परिषद् के अधिकारियों ने एक एकड़ भूमि भी अधिगृहीत नहीं की है। इससे दो नुकसान हुए एक तो किसानों ने अपनी भूमि अधिगृहीत होने के भय से औने-पौने दामों में बेच दिया और दूसरे यह क्षेत्र सही रूप से विकसित नहीं हो सका, अब दिनांक 19-9-2001 को परिषद् ने उक्त योजना हेतु 447 एकड़ भूमि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिगृहीत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है और इस बार भी यह केवल कागजी खानापूरी है और इस भूमि को भ्रष्ट तरीके से अपना कर सहकारी आवास समितियों के चंगुल में देने की योजना गुपचुप कार्यान्वित की जा रही है।

अतः सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुए इन्दिरा नगर विस्तार योजना-II लखनऊ हेतु तुरन्त भूमि अधिगृहीत किये जाने की मांग करता हूं ताकि यह क्षेत्र सुनियोजित तरीके से विकसित हो सके और जन साधारण की आवास समस्या का समाधान हो सके।]

जनपद एटा में बूढ़ी गंगा को नहर में परिवर्तित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद एटा की बूढ़ी गंगा की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। आने वाली वर्षा ऋतु से पहले इसकी सफाई नहीं कराई गयी तो इसकी बाढ़ से भयानक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे करोड़ों रुपये की धन हानि होगी, जनहानि भी होगी मान्यवर, उपरोक्त बूढ़ी गंगा सोरो (एटा) से लेकर काम्पिल (फर्रुखाबाद) तक बहती है। इसमें केवल वर्षा का ही पानी आता है मिट्टी पटने से यह नदी समतल हो गई है। बड़ी-बड़ी घास उगने से जंगल का रूप धारण कर लिया है। जिससे पानी न निकलने से भयानक बाढ़ आती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है। तत्कालीन सरकार ने इसको नहर में परिवर्तित करने के लिये लगभग 80 लाख रुपये धन अवमुक्त किया था, परन्तु कार्य नहीं हुआ। माननीय सिंचाई मंत्री से इस संबंध में वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें तथा बूढ़ी गंगा का नहर में परिवर्तन करने के लिये भी आप अपने माध्यम से व्यवस्था कराये। इसके नहर बन जाने से लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि निकल आयेगी।]

जनपद सीतापुर के कसमण्डा ब्लाक स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम लाल रावत-

[मान्यवर, सीतापुर जनपद के अन्तर्गत पूरे विकास खण्ड कसमण्डा में केवल एक राजकीय बालिका हाईस्कूल चल रहा है। राजकीय अथवा गैर राजकीय कोई भी बालिका इण्टर कालेज नहीं है । अतः राजकीय बालिका हाईस्कूल कमलापुर से उत्तीर्ण दसवीं (10) कक्षा की छात्राओं को इण्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये समस्या है । हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद इनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है। भावी कैरियर समाप्त हो जाता है। बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

यह लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा विषय है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है, अतः सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त ब्लाक में संचालित राजकीय बालिका हाईस्कूल कमलापुर को ही इण्टर कक्षाओं के लिये उच्चीकृत कर दिया जाय ताकि बालिकाओं की इण्टर तक की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के ग्राम अविसहन में राजकीय/प्राइवेट इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर, जनपद गाजीपुर के ग्राम अविसहन के क्षेत्र में छात्राओं के पठन-पाठन के संबंध में कोई राजकीय इण्टर कालेज अथवा प्राइवेट इण्टर कालेज न होने से छात्राओं को अन्यत्र जाना पड़ता है। धनाभाव के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्वपूर्ण कार्य पर शासन से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

लखनऊ उन्नाव को जोड़ने वाले बनी–मिर्रीकला–पुरवा मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बनी-मिर्रीकला-पुरवा मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 21 किलोमीटर है। उक्त मार्ग लखनऊ तथा उन्नाव जनपद को जोड़ने का काम करता है । उक्त क्षेत्र के लोगों का आने-जाने का यही एक मार्ग है। लगभग 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है बनी पुल के पास से लगभग एक किलोमीटर मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है। मार्ग निर्माण पूरा न होने के कारण क्षेत्र की जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं जनहित के मामले को सदन के समक्ष रखते हुए उक्त मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं।]

संसद जैसी ध्वनि व्यवस्था सदन में किये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे "प्रमोद कुमार" न बुलाकर "प्रमोद तिवारी" ही बुलायें। क्योंकि यह नाम जाना पहचाना नहीं लग रहा है। मान्यवर, यह जो साउंड सिस्टम है, इसमें मेरा एक अनुरोध है कि इसकी सही व्यवस्था आप करा दें। मान्यवर, यह जो आपने व्यवस्था की है कि जिसे (ईयरफोन) लगाने के बाद काफी अच्छा रहा है लेकिन सबको नहीं मिल पाया है। करीब दो सौ सदस्यों को मिला है जबकि कुल सदस्य 403 हैं, इसको लेकर चलना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मेरा अनुरोध है कि पार्लियामेन्ट में जैसी व्यवस्था है यहां भी वैसी ही करा दें। मान्यवर, अगर इसे आप हर सीट पर फिक्स करवा देंगे तो जो माननीय सदस्य चाहेंगे वे उसका उपयोग करेंगे और यहीं छोड़कर चले जायेंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव उपयोगी है मैं इस पर विचार कर लूंगा।

समयाभाव के कारण तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न न पूछे जा सकने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 23-5-02 को नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं नियम-300 के अन्तर्गत नियमावली के उपनियम-30 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । नियम-30(2) में यह प्राविधान है कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न 5 दिन के अन्दर भेजने चाहिए। राष्ट्रपति शासन 3 मई को समाप्त हुआ। 15 मई को सदन आहूत हुआ। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अधिकारी इस सदन के प्रति कितने गम्भीर हैं? प्रमुख सचिव संसदीय कार्य को इस संबंध में सरकार को सूचना भेजनी चाहिए थी । तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिये कम सें कम 20 दिन की सूचना तथा अल्पसूचित प्रश्नों के लिये 3 दिन की सूचना की आवश्यकता नियमों में है। मान्यवर, आपने कहा था कि प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि 20 दिन का निश्चित समय नहीं मिला और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने यह राय सरकार को नहीं दी कि 20 दिन का समय देकर सदन चले। तीन सप्ताह का समय था हम उसमें बहुमत सिद्ध करते।

मान्यवर, यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह 20 दिन के समय के अन्तर्गत आहूत होता तो प्रश्न पूछने का अधिकार प्रभावित नहीं होता। इसी तरह से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-3 दिन पूर्व दिये जा सकते हैं। यदि उनकी कठिनाई है तो वह प्रश्न के लिये आपसे आग्रह कर सकते हैं आप प्राथमिकता देकर 29(4) में उसे स्थगित कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। मान्यवर, यह नियम-30(1)(2) में हमारा अधिकार है, यह अधिकार हमारा प्रभावित हुआ है। भविष्य के लिये कृपापूर्वक निर्देश दें कि निर्धारित जो समयावधि है उसके अन्तर्गत ही सदन को आहूत करने की कृपा करें ताकि जो प्रश्न पूछने या अन्य क्षेत्र की समस्याओं को रखने का जो हमारा अधिकार है वह प्रभावति न हो।

जो हमने प्रश्न पूछे हैं वे कृपापूर्वक जीवित बने रहें उसकी भी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिये आप लिखकर दे दीजिये।

तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिये 20 दिन का समय है और अल्पसूचित प्रश्नों के लिये तीन दिन के समय की आवश्यकता होती है नियम 29(4) प्राथमिकता प्राप्त प्रश्नों के संबंध में है। महामहिम जी सदन आहूत करते हैं। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने सदन आहूत किया, एक निश्चित उद्देश्य के लिये जो आपकी बात है, नियमों के अन्तर्गत समय की उपलब्धता की बात है, वह नहीं उपलब्ध होता। इसलिये वह प्रश्न नहीं आ सके। इस उल्लेख के साथ मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें है, कम समय में बहुत सी चर्चायें नहीं हो पाती है। आज सत्र समाप्त हो रहा है, जून में फिर से एक सप्ताह के लिये बुलाने के लिये आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहें।

श्री अध्यक्ष-

जब मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगी उस समय पूछ लीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 बाजपेयी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है नियम 300 में ।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम लिखकर दे देते हैं लेकिन जब आप चेम्बर में जाते हैं तो शायद भूल जाते हैं।

मान्यवर, जो तारांकित प्रश्न इस बार सदन में नहीं आये हैं यह निर्णय देने का कष्ट करें कि अगला सत्र जब आहूत होगा तो उसके उत्तर सदन में आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छी बात है।

अगली सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की-जनपद बलिया में बेल्थरा रोड पर विद्युत गृह स्थापित किये जाने के संबंध में है-यह नियम में नहीं आती है इसलिये निरस्त करता हूं।

पूर्वांचल में प्रति वर्ष नदी की कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा की-पूर्वांचल में प्रतिवर्ष नदी कटान से होने वाली बरबादी के सम्बन्ध में है। यह नियम 300 में नहीं आती है। इस नियम में वही सूचना आती है जो इस सदन के कार्य-संचालन से कार्यवाही से ताल्लुक रखती हो। यह सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है।

विधान सभा का वर्ष में 90 दिन के उपवेशन तथा प्रति दो माह में 10 दिन का उपवेशन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना कुं0 रेवती रमण सिंह व डा0 अशोक बाजपेयी की विधान सभा के 90 दिन के उपवेशन तथा प्रति दो माह में कम से कम 10 दिन का उपवेशन किये जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 कुंवर साहब आपको स्मरण होगा कि जब विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी इसका उल्लेख किया गया था बात भी हो गयी है । यह अभी पहला सत्र है यह विशेष उद्देश्य से सत्र बुलाया गया था पूरा वर्ष बाकी है। बीच में किसी दिन इस बात को उठाया जा सकता है।

*कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, नियमावली के नियम-14 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र-इस तरह से लगभग 90 दिन के उपवेशन सदन के होंगे। लेकिन मान्यवर, आपने कह दिया कि अभी तो प्रारम्भ हुआ है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तेरहवीं विधान सभा में और उसके पूर्व की विधान सभाओं में यह बात कई बार कही गयी, आपकी दी हुई व्यवस्था भी है कि हर दो महीने पर 10 दिन का उपवेशन बुला लिया जाय लेकिन अगर आप देखें तो आपकी दी गयी व्यवस्था का अनुपालन क्या हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो अगर आप इस तरह की बात कह देंगे तो सरकार और भी निरंकुश हो जायेगी। आपने तो कहा कि अभी तो प्रारम्भ हुआ है अभी तो बजट सत्र आयेगा। मान्यवर, यह तो मानिये कि बजट सत्र आयेगा लेकिन आप देख लीजिये कि बजट सत्र के उपवेशन में बजट पर 24 दिन की चर्चा होनी चाहिए । सत्र कितने दिन 20-21-18-19 दिन, 24 दिन की व्यवस्था इसीलिये की गयी थी। मुझे स्मरण है और शायद आपको भी स्मरण होगा कि जो महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे गृह विभाग, पी डब्लू डी, सिंचाई और शिक्षा, शिक्षा में 3 हैं उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और हायर सेकेन्ड्री शिक्षा ये तीनों में मैंने पिछले सत्र में देखा कि एक-एक दिन में 8-8, 10-10 बजट इसी विधान सभा में पारित कराये गये और गृह विभाग में बजट में नेता प्रतिपक्ष ने भाषण दे दिया और सभी दल के नेताओं ने भाषण दे दिया और उसका पटाक्षेप हो गया।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसीलिये प्रस्ताव रखा गया था कि बजटरी कमेटी बन जाये और आपने उसमें हस्तक्षेप करके आगे बढ़ाने का काम किया लेकिन पहले हुकुम सिंह जी जो तब संसदीय कार्य मंत्री थे वह तैयार भी थे लेकिन पता नहीं किन कारणों से बैकआउट कर गये और कहा कि सम्भव नहीं है। जब लोक सभा में बड़े सुचारू रूप से यह कार्य हो रहा है तो हम चाहते हैं कि बजट सत्र अच्छा हो, कम से कम 24 दिन की चर्चा हो और जो महत्वपूर्ण विभाग है उन विभागों पर 2-2 दिन की कम से कम चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा होने लगती है तो नये सदस्यों से कह दिया जाता है कि दो मिनट में सूझाव दे दीजिए या लिखकर भेज दीजिए तो जब बजटरी कमेटी भी नहीं बनायेंगे और उपवेशन भी नहीं करेंगे, मैं तो विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बधाई दूंगा कि 14वीं विधान सभा में जिस तरह से काम चल रहा है वाद विवाद का वातावरण है उसके लिये सब बधाई के पात्र हैं। एक दिन भी कहीं कोई बात नहीं हुई। सत्ता पक्ष के मंत्री कहीं ठीक से जवाब नहीं भी दिये है फिर भी विपक्ष के लोग काफी संयत हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज से अगर आप व्यवस्था नहीं करायेंगे तो व्यवस्था कभी नहीं होगी। 5 साल का सत्र बीत गया यह व्यवस्था नहीं लागू हुई और आगे भी इसी तरह होता रहेगा हमारे मित्र जो उधर बैठे हैं जब इधर बैठते थे तो बड़ी चिन्ता होती थी लेकिन जब उधर पहुंच गये तो चाहते हैं कि विधान सभा कम से कम दिन हो और जब व्यवधान पैदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है तो कहते हैं कि विपक्ष विधान सभा चलने नहीं देता। तो आप स्पष्ट निर्देश दे दें कि बजट सत्र कम से कम 24 दिन का होगा और उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा अलग से होगी। मान्यवर, हमने देखा है कि जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वह सब लैप्स हो जाती हैं, चर्चा नहीं हो पाती हैं और होती भी है तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में चर्चा कराकर उसको समाप्त कर दिया जाय। तो मैं इस पर आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं।

*डा0 अशोक बाजपेयी-

आप कृपापूर्वक एक मिनट मुझे सुन लें। मान्यवर, मैं वह नहीं कहने जा रहा हूं जो कुंवर साहब ने कह दिया है। माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा कि अभी तो यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, मान्यवर, दूध का जला मट्ठा भी फूंक-फूंक कर पीता है। मान्यवर, 13वीं विधान सभा में 5 वर्ष तक विधान सभा चली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1997 में 25 बैठकें हुईं, 1998 में 35 बैठकें हुईं, वर्ष 1999 में 39 बैठकें हुईं, वर्ष 2000 में 33 बैठकें हुईं और वर्ष 2001 में कुल 32 बैठकें हुईं और मान्यवर, आपके द्वारा इस विधान सभा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन बुलाये जायें और 90 दिन का उपवेशन होगा जिनमें दो माह के अन्तर से विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, आपने नियमावली में संशोधन किया, जब आपने देखा कि सरकार विधान सभा का सत्र नहीं बुलाती है और समय निरन्तर घटता चला जा रहा है 20 दिन, 25 दिन सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं इसलिये लैप्स हो जाती हैं क्योंकि उनके लिये समय ही नहीं मिल पाता। इसलिये मान्यवर, आपने सदस्यों की पीड़ा का अनुभव किया तब आपने नियमों में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की और अगर बैठकें नहीं होंगी तो विधायक का दूसरा कार्य क्या है ? इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से कहें कि जो व्यवस्था नियमों में है उसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मान्यवर, इस पर माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सदन को आश्वस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

हमारी जो नियमावली है जो भी नियम बने हैं उसके पीछे एक मंशा है और जो संशोधन हुआ है कि प्रत्येक दो माह में 10 दिन का अधिवेशन बुलायें ताकि अधिक से अधिक जनहित के प्रश्न उठाये जा सकें। इसलिये प्रयास यह किया जायेगा कि नियमों की जो मंशा है विधान सभा का सत्र बुलाया जाये (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल के खड़े होने पर) नियम-300 की सूचना मैंने कल ही निरस्त कर दी थी।

पूर्वांचल में प्रति वर्ष नदी की कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

मा0 नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर बहस न कराइये लेकिन चूंकि सदन बहुत कम दिन चला है और कुछ माननीय सदस्यों की मांग हुई है कि सदन कुछ समय के लिये और बुला लिया जाये, आप भी चाहते हैं कि इस पर बहस होती, समस्या का कुछ निदान होता, लेकिन समय नहीं है यह भी सही है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, न बांध बनाये गये हैं, न बाढ़ को रोकने का और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई इन्तजाम है। जाहिर है, परेशानी है और जहां से यह चुनकर आते हैं, वहां जवाबदेही करनी होती है, बहुत से कमजोर इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं । थोड़ा इतना आश्वासन दे दें कि सरकार इस पर सोचने के लिये तैयार है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जनहित में जो सुझाव दिया है, इसके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील हैं यह सत्य है कि पूर्वांचल के तमाम जनपद बाढ़ से प्रभावित होते हैं । सरकार इस बात के लिये पूरी तरह कटिबद्ध है, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा। निश्चित तौर पर अग्रिम रूप से बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये कोई योजना बनाने की सरकार कोशिश करेगी ताकि जन-धन का नुकसान न हो और जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिल सके।

(मद संख्या-2 पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

बंधों के लिये सिंचाई विभाग को कितना पैसा दिया गया है। माननीय मंत्री जी इतना तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

यह नई परम्पराएं पड़ती जा रहीं हैं। सीधे माननीय मंत्री जी से प्रश्न और उत्तर लेने लगेंगे।

(श्री जगदम्बिका पाल, कमाल यूसुफ मलिक, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री राम लाल अकेला आदि कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

कृपया आप लोग शान्त रहिये।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सत्रहवां /अट्ठारहवां संशोधन) विनियम, 2001

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/6/2001-का-1-2001, दिनांक 19 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (सत्रहवां संशोधन) विनियम 2001 तथा अधिसूचना संख्या-15/18/86-का-1-2001, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (अट्ठारहवां संशोधन) विनियम, 2001 को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 320(5) के अधीन, विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1999-2000 [††]

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1999-2000 को, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[††] छापा नहीं गया।

दिनांक 22 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5, 6 व 7 में कुछ नहीं है।

नियम-56 की सूचनायें जो कल आयी थीं, मैं उनको ले रहा हूं।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

आप लोग बैठ जाइये, यह कोई तरीका नहीं है। मैं कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। आप लोग अपना आसन ग्रहण करिये। नियमों के अनुसार कार्य-सूची में जो कार्य छपे हैं, उसके अनुसार सदन चल रहा है, हर चीज को उठाने का एक नियम है, समय बना हुआ है। अव्यवस्था करेंगे तो फिर कठिनाई होगी। अव्यवस्था हो जायेगी तो सदन ठीक से नहीं चलेगा। अब मुझे कल के नियम-56 की सूचनाएं लेने दीजिये। नेता प्रतिपक्ष अपनी तरफ के लोगों को शान्त करिये।

पूर्वांचल में प्रति वर्ष नदी के कटान से होने वाली बर्बादी पर औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

मा0 नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, आपका हुक्म सिर आंखों पर है। लेकिन समय कितना कम मिला है, सदस्यों की इन आवाजों से आपको इनकी बेचैनी का अन्दाजा हो रहा होगा कि स्थिति कितनी गम्भीर है। आपने यह भी देखा है कि सरकार ने कितने हल्के ढंग से इसको लिया है। इस मद में कितना धन आवंटन हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। जिलाधिकारियों की मीटिंग हो जाय, जो हमेशा हुआ करती है। किसी तरह का जवाब नहीं देंगे, हल्के से लेंगे, बिल्कुल यूं ही निकल जाना यह सरकार का ढंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातों का बैठकर हल निकाला जा सकता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान हो जाय, उसके बाद जिन समस्याओं को माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं, उसको पहले से लिखकर दे देंगे, विशेष उल्लेख करवा दूंगा। लेकिन जो पहले कार्यसूची के अनुसार है, उसको चलने दें।

श्री मो0 आजम खां-

इस पर 60 मिनट हल्ला भी हुआ है, सरकार की तरफ से जवाब भी आया है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से एक मिनट में यह मालूम हो जाय कि कितना धन आवंटन किया है, जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे या नहीं करेंगे। विधायकों के साथ वह मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? आधे मिनट में सरकार की तरफ से बात आ जाती लेकिन.....

श्री अध्यक्ष-

धन आवंटन की बात तो एकाएक उठी है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके पास सूचना है, धन आवंटन की ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने भी इंगित किया है कि सदन नियमों से चलेगा, उसके बावजूद भी कई माननीय सदस्य बोल रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जनभावनाओं से जुड़ी हुई बात को सदन में रखा है और मैंने भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण मसला है, निश्चित रूप से पूर्वांचल बाढ़ से प्रभावित होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया जायेगा कि तटबन्धों की सुरक्षा के लिये उनकी मरम्मत के लिये.....

(सपा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कभी-कभी अत्यधिक व्यग्रता हानिकारक हो जाती है। आप लोग बैठ जायें।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्य बोलते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

बिना अनुमति के जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, जो कुछ भी कहा जायेगा, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और आपके निर्देश को मैंने स्वीकार किया है और हम उसके लिये पूरी तरह सचेष्ट हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल तथा कुछ अन्य सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं कुछ कहूंगा पाल जी, तो आप कहेंगे कि मैं नाराज हूं। पाल जी आप हस्तक्षेप न करें। पाल जी जो कुछ कह रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसका आप संज्ञान लें और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप जिलाधिकारियों को सूचना दे दें कि आप माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित हों चाहे वह किसी भी दल के हों, उनके साथ बैठकर कार्य योजना बनायें। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह के निर्देश जारी हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहें। सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी इस सम्बन्ध में बैठक करेंगे और जन प्रतिनिधियों को भी बुलायेंगे। अभी तो मात्र आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहां-कहां बाढ़ आयेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय कृपया अपने सदस्यों को शांत कीजिये।

दिनांक 22 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

कल दिनांक 22 मई, 2002 को नियम-56 में कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु

सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इनमें पहली सूचना श्री मदन चौहान की और दूसरी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की है।

*श्री मदन चौहान-

अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में ज्यादातर किसान गन्ना पर आधारित हैं। खासतौर से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जितनी भी मिलें हैं उन पर 14 सौ करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। सिम्भावली मिल जो मेरे क्षेत्र में है अकेले 35 करोड़ रुपया बकाया है। एक तरफ जब किसान पूरे साल में खाद, बीज इत्यादि सरकार से ही ब्याज पर लेते हैं, सोसाइटी से ब्याज पर लेते हैं, और उनसे ब्याज वसूला भी जाता है और दूसरी तरफ गन्ना मालिकों का जिनका 35 करोड़ रुपया बकाया है, उसको पेमेन्ट नहीं करते और कभी-कभी तो मिलें ऐसे चेक दे देती है जो बाउंस भी हो जाती हैं। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किया है। दूसरी तरफ अगर किसान ब्याज नहीं अदा कर पाते तो उन्हें हवालात में डाल दिया जाता है लेकिन जो 35 करोड़ रुपया बकाया है, उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई? मैं आपकी पीठ से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, एक मांग और है, जब भी मिल पर गन्ना डाल दिया जाय तो उस दिन से और किसानों के खाते में पैसा पहुंचने तक के समय तक भी ब्याज किसानों को मिलना चाहिए। आज किसान परेशान है क्योंकि उसका तमाम पैसा मिलों में फंसा है, उसको ब्याज भी नहीं मिल रहा है, किसान तीन महीने से कराह रहा है। तो मेरा सदन के माध्यम से आपकी पीठ के माध्यम से यही कहना है कि उनको ब्याज दे दिया जाय और जिन मिलों के चेक बाउंस हुए हों, उनको दण्डित किया जाय। जिन किसानों का बीज ऋण वगैरह बकाया है, उनका तमाम ब्याज माफ कर दिया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने भी गन्ना किसानों की अहम समस्या से सम्बन्धित सूचना नियम 51 में दी हैं, कृपया मुझे भी बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 की बात नहीं हो रही हैं नियम-56 में जिस माननीय सदस्य की सूचना थी, उनको मैंने सुन लिया है। इसके अतिरिक्त अब इस पर किसी अन्य माननीय सदस्य को अवसर नहीं दूंगा।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय सदस्य ने नियम-56 में जो सूचना दी है, मान्यवर, यह कोई तात्कालिक नहीं है, इसकी ग्राह्यता भी नहीं है। फिर भी यह पहली सरकार है - जिसने गन्ना मिल मालिकों पर दबाव बनाया है और आर0 सी0 जारी किया गया है तथा हम कड़ाई बरत रहे हैं कि जो भुगतान शेष है उसको किया जाये। मान्यवर, गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। यह नियम-56 में नहीं आता है अतः इसे निरस्त करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

श्री मदन चौहान तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस नियम-56 की सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव जी की है।

(कई सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के बारे में अपनी-अपनी बात कहने लगे)

(शोर/व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैजापुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, गन्ना किसानों के बकाये से सम्बन्धित मामला है, यह अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर जिस माननीय सदस्य की सूचना थी उसको सुन लिया गया अब मैंने दूसरी सूचना ले ली है।

(कांग्रेस पार्टी के श्री प्रदीप माथुर, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल एवं श्री दिनेश सिंह सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपने स्थान पर जाइये, यह सदन का समय केवल आपका ही नहीं है, सत्ता पक्ष का भी है।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी के श्री राम विशुन आजाद, डा0 शिव प्रताप यादव, श्री राम लाल अकेला, श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह सहित कई सदस्य सदन की वेल में आकर किसानों के भुगतान समयबद्ध किये जाने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12.30 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 06 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिय स्थगित कर दी । 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये।

मैं इस समय नियम-56 की सूचनाओं को ले रहा हूं। माननीय मदन चौहान की सूचना थी उन्हें सुन लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया और उसका निस्तारण हो गया। इसके बाद बाढ़ और गन्ना के बारे में कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे। हर चीज का एक नियम बना हुआ है। नियम-56 में जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं आती हैं उन पर आप सब चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो और वह संबंधित क्षेत्र तक पहुंचे। जब माननीया मुख्य मंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उत्तर देने के लिये खड़ी होंगी तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाढ़ और गन्ना की समस्या के बारें में अपने विचार व्यक्त कर दें। आपकी बात आ जायगी और शासन का पक्ष आ जायेगा। मेरा अनुरोध है कि कार्यवाही आगे चलने दें।

दूसरी सूचना माननीय शिशुपाल सिंह यादव की है।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसी सूचना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत गम्भीर है । मान्यवर, एक संस्था है जो पूरे प्रदेश में फैली है और फर्जी तरीके से बेसहारा और बेरोजगार लोगों से पैसा कलेक्ट करके उनको बुरी तरह से लूट रही है। इस संस्था का नाम ए0 आई0 सी0 एफ0 एच0 ओ0 संस्थान परिषद् के-72, महरौली रोड, नई दिल्ली है। पूरे प्रदेश में इसकी शाखायें हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ब्रांच इसकी हाथरस में है। मकान नं0 69 रामनगर, प्रकाश टाकीज के सामने हाथरस। इसके जनरल सेक्रेटरी डाक्टर राजेन्द्र कुमार शर्मा हैं। दूसरी ब्रांच इसकी बी-240, विश्व बैंक बर्रा के पास, पाल गैस एजेंसी वाली गली, कानपुर में है। तीसरी इसकी ब्रांच पुलिस चौकी के पहले सुनहरी नगर, एटा है। इन ब्रांचों में डायरेक्टर हैं, कर्मचारी हैं। इसकी चौथी ब्रांच 101-जी, ट्रांस यमुना, फेज-II, आगरा में है और इसकी पांचवीं ब्रांच मेडिकल साइंसेस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बौद्ध विहार, गाजियाबाद में है। मेरे पास 10 लड़कों की सूची है जिनसे इस संस्था ने 31 हजार से लेकर 55 हजार रुपये तक लिये हैं एक का नाम है औसान सिंह पुत्र वीरेश्वर सिंह, आरा, फिरोजाबाद । इनसे 40 हजार रुपये लिये गये हैं 30-1-2002 को। दूसरे हैं श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, कोडर फिरोजाबाद इनसे 40 हजार रुपये लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

पूरा ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं है। बात इतनी आ गयी कि इन्होंने इतने लोगों से धन लिया है और यह फर्जी संस्था है।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह संस्था जो फर्जी है यह फर्जी लेटर पैड छपाती है और मोहर लगाती है और लड़कों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेती है। यह फर्जी संस्था बाकायदा उनको एप्वाइंटमेंट लेटर देती है और कहती है कि फलां जगह जाइये और नौकरी ज्वाइन करिये। लड़के जब वहां पर जाते हैं तो लड़कों से कहा जाता है कि 10 दिन बाद आइयेगा। इन संस्थाओं के ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह कई जगहों पर चल रही हैं। इतना ही नहीं बेरोजगार लड़कों जो किसी तरह से अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर पैसा देते हैं उन गरीबों के साथ यह अत्याचार हो रहा है। यह कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं पनपने देंगे लेकिन पुलिस चौकियों के पास एस0 एस0 पी0 आफिस के पास सरकार की आंखों के नीचे यह वसूली हो रही है व इन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह सरकार अगर देखना चाहे तो मैं पूरा विवरण सुना दूं।

श्री अध्यक्ष-

पूरा विवरण संसदीय कार्य मंत्री को लेटर में लिखकर दे दें। जिन लोगों से पैसा ऐंठने की सूचना है उसको आप लिखकर संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

किस तरह से यह संस्थायें चल रही हैं। मैं चाहूंगा कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। यह जनहित का भी है। इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह तात्कालिक नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने इस सूचना को देखा। रजिस्ट्रेशन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, पुलिस विभाग से सूचना एकत्र करने की कोशिश की कि इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। इसमें दो बातें कही गयी एक तरफ कहा गया कि ट्रेनिंग के नाम पर दूसरी तरफ नौकरी देने के नाम पर ठग रहे हैं। किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है यह उल्लेख नहीं किया। तब भी मैंने इसको गम्भीरता से लिया। रजिस्ट्रेशन विभाग के पास जो पंजीकरण संस्थाएं होती हैं, ग्राम्य विकास विभाग से एन0 जी0 ओ0 गृह विभाग से कहा गया कि इस तरह की कोई आपके संज्ञान में बात आये तो अपना निर्देश दें। जिस संस्था की बात कही गयी है अगर जांच में किसी तरह से फर्जी पाई जायेंगी तो कार्यवाही की जायेगी। यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि जाँच करवा लेंगे। जाँच के बारे में आश्वासन दिया है। इसके बाद वह प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

इस सूचना पर श्री शिशुपाल सिंह यादव व माननीय मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं क्योंकि यह अग्राह्य है।

श्री शिव कुमार बेरिया जी आपकी सूचना ध्यान आकृष्ट की है फिर भी दो मिनट में अपनी बात रख लें।

*श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर गठबन्धन की सरकार बनी है थानों को दलित एक्ट का पावर आ गया है। अभी तक यह थाना स्तर पर ही यह कार्यवाही हो रही थी अब तो गजटेड आफीसर आम आदमी पर, किसानों पर दलित एक्ट का मुकदमा कायम करा रहे हैं। इससे जयादा शर्म की और बात नहीं हो सकती है। कानपुर देहात के ग्राम बर्रा ठर्रा में तहसीलदार राजबली, नायब तहसीलदार मनोज अमीन गंगाराम होमगार्ड के साथियों के साथ पैसे की वसूली के लिये गये। अनूपसिंह यादव पर 1391 रुपये आबपासी के बाकी थे। अनूप यादव ने कहा कि हमारी आब-पासी साझीदारी में है। अभी आपका पैसा मंगाकर देते हैं। उन्होंने अपने साझेदार के पास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने लड़के जय कुमार को पैसा लाने के लिये भेजा पैसा लाने में थोड़ी देर हो गई। तब तक अमीन साहब ने उसको भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहा कि इसको गाड़ी में लाद दीजिये और यह सारे लोग अनूप सिंह को घसीट कर गाड़ी में लादने लगे। इनका एक लड़का मान्यवर, फौज में है। मान्यवर, जिसका लड़का फौज में है, सीमा पर रक्षा कर रहा है। उस लड़के ने जब अपने बाप का अपमान होते देखा तो उसने कहा कि पैसा आ रहा है मेरे बाप को बन्द क्यों कर रहे हैं तो तहसीलदार राजबली ने उसके हाथ पर लाठी से वार कर दिया और वहां पर धक्का-मुक्की शुरू हो गयी और जनता पर लाठी चार्ज हो गया। तब तक गांव की महिलाओं ने आकर घेराबन्दी की तो यह सब लोग भाग गये।

मान्यवर, आज भी अनूप सिंह के पास रसीद मौजूद है जिसमें पैसे का भुगतान किया गया। इसके बाद 17 तारीख को प्रातः 5 बजे राजबली और यह सारे लोग, अमीन तहसीलदार। मान्यवर, अमीन, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सभी दलित वर्ग के हैं, यह सब पांच बजे सुबह गांव में घुस आये और सोते हुओं को उठाया और पीटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम यादव हो? जब उसने कहा कि मैं यादव नहीं चमार हूं तो उसको छोड़ दिया। मान्यवर, एक नहीं दर्जनों घर में लूट-पाट की। लोगों की खोपड़ी फूट गयी, हाथ पैर टूट गये। इनकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, आप कहें तो दिखवा दूं। मान्यवर, जिनका आब-पासी से कोई लेना देना नहीं है उनको परेशान किया गया। आज फौज में होने के कारण उस लड़के की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं वापस बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ तहसीलदार ने हरिजन एक्ट में नामजद कर दिया कि वह मुजरिम है । मान्यवर, इतना ही नहीं, वहां पर महिलाओं को भी पीटा गया, घरों से घसीटा गया, कपड़े फाड़े गये। महिलाएं घायल हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है । आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है। अधिकारी लोग दलित एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर अविलम्ब कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और जो झूठे मुकदमें दर्ज हैं उनको वापस लें तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

(किसी सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

और माननीय सदस्यों को मैंने मना कर दिया था। जिस माननीय सदस्य की सूचना है उसी को सुनूंगा। बात आ गई है, बेरिया जी ने अच्छे से पूरी बात कह दी है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस घटना के सन्दर्भ में इतना ही कहना है कि पब्लिक आर्डर और लॉ आर्डर दोनों होता है। कहीं-कहीं पर मान्यवर, पब्लिक आर्डर बिगड़ जाता है तो लॉ आर्डर का भी प्रयोग करते हैं। आज अधिकारी और पब्लिक में समन्वय होना चाहिए। किसी भी जाति का आदमी अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो सकता है तो जाति के आधार पर चिन्हित करने का मकसद नहीं होना चाहिए। इससे माहौल बिगड़ता है। आज अधिकारी और जनता का कोआर्डिनेशन जरूरी है। सरकार द्वारा धन जुटाने और संसाधनों को मजबूत करने की बात है। मान्यवर, वसूली के प्रकरण में आज आये दिन एक टेन्डेंसी बन गई है। जो भी अधिकारी और कर्मचारी थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कहा जाता है कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे, ट्रांसफार्मर नोंच दिया जायेगा, सिंचाई

की दर नहीं देंगे। चक्का जाम हो रहा है, आन्दोलन हो रहा है। इस केस में ऐसा है कि जब अमीन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार 3,1600/- रुपये जो बकाया है, जो कि किसी ऋण का नहीं है। लगान का मसला था। कहा कि पैसा दे दीजिये। उन्होंने उस लड़के से पैसा लाने को कहा तो उनकी रसीद काट दी गई पैसा आने में विलम्ब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तहसील चले चलिये। जब वे चलने लगे तो औरतों बच्चों ने सब लोगों को घेरना शुरू किया। नायब तहसीलदार के पैर हाथ टूट गये और अमीन को भी मारा गया उसकी भी इन्जरी रिपोर्ट है।

मान्यवर दुनिया में जन्म लेने के नाते, संजोग से वह चमार था, हमारे भी बीच में तमाम अनुसूचित जाति के विधायक चुनकर आये हैं । अब यह कहा जाये कि 307 लगा दीजिये, चौधरी साहब ने मारा है इसलिये एस0 सी0 एस0 टी0 न लगाया जाए। उसने चमार के घर जन्म लिया इसलिये उसे 300 रुपये के लिये बहुत मारा गया । यह कहा जाये कि अब उस पर 307, 323, 324 लगायें। श्रीमन् यह रोज कहा जा रहा है कि एस0 सी0 एस0 टी0 का दुरुपयोग हो रहा है, हमने कहा इसका दुरुपयोग नहीं होगा इसको ईमानदारी से लगाने की जरुरत है अगर दुरुपयोग होगा तो इसको रोका जाएगा । आज आप देखें हिन्दुस्तान की तमाम बहू-बेटियां जल रही हैं इस देश में हीरो हांडा के लिये बेटियों को जलाया जा रहा है तो क्या इसके लिये आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिये, बेटियों के सिंदूर को पोंछा जा रहा है...

श्री अध्यक्ष-

विषय पर बोलें।

श्री उदयराज-

मान्यवर, यह तो पूरे हिन्दुस्तान की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं हम इस चर्चा को सुनने के लिये यहां नहीं बैठे हैं जो प्रश्न बेरिया जी ने उठाया है उसके बारे में यह बतायें ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात कही है ।

श्री अध्यक्ष-

पूरा उत्तर आने दीजिये मैंने कह दिया है। संसदीय कार्य मंत्री जी अभी खड़े हैं ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

इतना गम्भीर मसला है 25 तारीख को माननीय मुलायम सिंह यादव उस गांव में जा रहे हैं। आपने कहा कि क्या उसका दोष यह है कि वह चमार के घर पैदा हुआ, मैं कहना चाहता हूं क्या उसका दोष इतना है कि वह यादव के घर में पैदा हुआ । आप एक सर्वदलीय कमेटी बना दें 17 तारीख को जो तोड़फोड़ की गई, महिलाओं को घसीटा गया इसलिये कि वह यादव जाति का था ? यह कहा गया कि यह अहीर है ? इसलिये इसको ठीक करना है-

(शेम-शेम की आवाजें)

यह कोई छोटा मसला नहीं है अगर जानबूझकर किसी गांव में इनकी सरकार बनने के बाद जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जायगा तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की रक्षा कैसे होगी ...

(मेंजें थपथपाई गई)

श्री सुखदेव राजभर-

इस बात को गम्भीरता से लिया । एडीशनल एस0 पी0 और ए0 डी0 एम0 की एक कमेटी बनाकर भेजी गयी कि इन तथ्यों की जांच करायें । उस संदर्भ में वह लोग गये और पूरे प्रकरण की जांच की जो इस बात को कहा कि मारा पीटा गया, कहीं तो आप अधिकारियों/कर्मचारियों को विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देंगे कि वे जाकर लां एण्ड आर्डर बनायें की नहीं । 1600/- रुपये की मांग थी इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे तो इन्होंने तहसील चलने के लिये कहा । तभी वहां महिलाओं और आदमियों ने घेर लिया और मारपीट करने लगे । चार कर्मचारी इन्जर्ड हो गये । अमीन की बुरी हालत है । एडीशनल एस0 पी0 और ए0 डी0 एम0 ने जांच की उनकी रिपोर्ट में यह नहीं पाया गया कि कोई अभद्र व्यवहार किया गया । यह नियम-56 में नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । यह नियम-56 में नहीं आती है ।

मा0 नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब के संबंध में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बेरिया साहब ने प्रश्न उठाया है लेकिन जो जबाब आया है कि कहीं-न-कहीं अधिकारियों को कुछ करने का मौका दिया जाय ...

श्री अध्यक्ष-

उनका अर्थ है कि कार्य करने का अवसर दिया जाय। नहीं तो प्रशासन में दिक्कत होगी।

श्री मो0 आजम खां-

उससे गम्भीर बात यह कही कि लाठी डन्डे लेकर आ गये, दंगा करने लगे। अगर लोगों का जाति के नाम पर उत्पीड़न होगा तो लां एण्ड आर्डर की विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। लोग मुकाबले के लिये बाहर आने लगेंगे । कमजोर के साथ अन्याय हो किसी जाति के नाम पर यादव के लिये...

श्री अध्यक्ष-

माननीय बेरिया जी आप उकसाइये मत। मैं देख रहा हूं ।

श्री मो0 आजम खां-

सरकार की तरफ से यह आया कि लोग लाठी डन्डे लेकर निकल आये, यह बात आती है, सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि अगर कोई अन्याय होगा, बेवजह मारपीट होगी तो लोग बाहर निकलेंगे और मारपीट करेंगे। अगर किसी जाति के नाम पर, यादवों को पिटवाया जायेगा तो यह बहुत बड़ा गुनाह होगा।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मैंने इस बात से कहां इन्कार किया कि वसूली न करायी जाये । लेकिन इनको यह अधिकार कहां से प्राप्त हो गये कि बेवजह मारपीट की जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इसमें सदन की एक कमेटी बना दीजिये जो वहां जाकर जांच करे।

(पारसनाथ जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। सूचना का निस्तारण हो गया है अगर इस तरह से सब खड़े होकर बोलने लगेंगे तो कैसे सदन चलेगा ?

*श्री पारस नाथ यादव-

मान्यवर, 16 मई, 02 को घटना हुई और 17 मई को फिर अधिकारियों को जाने का क्या औचित्य पाया गया। अधिकारी वहां पर गये जिसकी वजह से स्थिति विस्फोटक हो गयी और यह घटना हुई। क्या वहां पर अधिकारियों ने ज्यादती नहीं की जिससे यह घटना घटी और उसके फलस्वरूप अधिकारियों को भी चोटें आयीं मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री यह बतायें कि वह इसके संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रकरण सामने आ गया है अब आप लोग बैठ जाइये।

(इसके बाद श्री उदयराज, श्री बीजू पटनायक तथा श्री पारसनाथ यादव तथा श्री राम बिशुन आजाद सदन की वेल मे आ गये और जांच कमेटी की मांग करने लगे । किन्तु श्री मो0 आजम खां नेता विरोधी दल के समझाने पर सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, लूट-पाट, मारपीट की गयी है इतना सब होने के बाद भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ । एक लड़का जो सीमा पर लड़ने जा रहा है वह और उसका पिता इस समय मुल्जिम है, वह सीमा पर लड़ने के लिये कैसे जायेगा ?

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, श्री बेरिया जी ने स्थिति की गम्भीरता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिन अधिकारियों ने यह सब किया उनका पक्ष ले रहे हैं । उन लोगों ने मारपीट की लेकिन सरकार कहती है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ नहीं किया । अगर प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे तो कुछ भी सामने आने वाला नहीं है इसलिये जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्षों को आप सुन लीजिये । पहले भी ऐसे मौके आये हैं जब आपने सबकी बात सुनी है और अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था दी है । इसलिये यह सुझाव है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच हो सके अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी और अगर दूसरा पक्ष दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। इसलिये सदन की एक कमेटी बना दें, वह कमेटी जाकर तथ्यों को देखेगी । जब सदन की कमेटी होगी तो उसमें दोनों पक्ष के लोग होंगे । वह जानकारी लेकर एक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर देगी फिर आप उसमें जैसा निर्णय दे देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस घटना के प्रति संवेदना है उस पर न्याय हो हम इसके पक्षधर हैं । लेकिन आप देखें इसका राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है यादव और चमार। उधर से भी हुआ भूल से इधर से भी हुआ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्ति बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार बेरिया-

जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया है जो अधिकारियों ने कहा है जो मारा है, उसको बताया।

श्री सुखदेव राजभर-

यह बात आयी कि अब अधिकारी एस0 सी0 एस0 टी0 ऐक्ट लगवा रहे हैं ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

अगर मैंने कहा होगा तो हम क्षमा मांग लेंगे, कार्यवाही देखें।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से आपस में वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मैंने यह कहा है कि जब मारने लगे तो उसने कहा मैं यादव हूं, फिर कहा कि मैं यादव नहीं हूं चमार हूं तो छोड़ दिया।

श्री सुखदेव राजभर-

यह बात आयी कि आज अधिकारियों ने भी एस0 सी0 एस0 टी0 लगवानां शुरू कर दिया है जब अधिकारी लगवायेगा तो एस0 सी0 का होगा।

मान्यवर, इसमें 5 आदमी थे। पूरे गांव के लोगों ने इनको दौड़ा-दौड़ा कर मारा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अमीन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से वाद-विवाद नहीं करते हैं, कृपया बैठ जायें, मेरी बिना अनुमति के जो बोला जायेगा लिखा नहीं जायेगा ।

जो हमारा भारतीय समाज हे । जन्म लेते ही जाति निर्धारित हो जाती है इसमें बहुतों का बस नहीं है। सारे समाज के जितने कार्य हैं उनको किसी न किसी जाति के लोग करते हैं, चाहे प्रशासन का कार्य हो, पुलिस का हो, चाहे, विभाग का कार्य हो, न्याय का कार्य हो प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कार्य में लगा हुआ है किसी न किसी जाति का होगा।

मुख्य बात यह है कि हम जब अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगें तो उसकी जाति नहीं कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान दें, कानून की ओर ध्यान दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही थी उनके कहने का यह आशय था । एक घटना हुई कि एफ पक्ष आपका है और दूसरा पक्ष संसदीय कार्य मंत्री का है । कानून व्यवस्था के संबंध में है कि मुकदमा चलेगा, दोनों पक्ष का मुकदमा, जैसा मुझे आभास हो रहा है दोनों पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है । आप बता रहे हैं कि वसूली के लिये टीम जो गयी थी उसके चोटें आई हैं तो कोई न कोई घटना तो हुई है। कानून की जो सामान्य प्रक्रिया है हमारे विधायकों का सामान्य दायित्व हैं कि कोई गम्भीर घटना है तो उसको सदन में उठायें । हमारे पास जो सूचना है उसके आधार पर शासन का ध्यान आकर्षित करें, उनका उत्तर मांगे। शासन का ध्यान आकर्षित किया गया और उसमें शासन का उत्तर आ गया । एक ही पक्ष की रिपोर्ट दर्ज की है उस पर विधि सम्मत कार्यवाही होगी, तो मैं समझता हूं कि इसको यही समाप्त कर देना चाहिये तो यह समाप्त हो जाना चाहिये। जहां तक जाति के आधार पर या जाति की भावनाओं का सवाल है मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार होगी । कभी आपको उधर बैठना हैं या कभी इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं कभी उधर बैठना है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है लेकिन जब जातिगत आधार पर या भावना के आधार पर, यह सुनिश्चित कर लेना उचित होगा कि कोई अधिकारी जाति या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्य न करें यह प्रत्येक शासन का दायित्व हो जाता है । मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार अपने इस दायित्व से नहीं मुकर पायेगी।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि 16 तारीख की वसूली करने गये तो उनको भी चोटें आई । मैं तो कह रहा हूं कि लाठी चार्ज किया तो महिलाओं का पथराव हुआ 2-1 लोगों को चोटें आ सकती हैं लेकिन 17 तारीख को घरों में घुसकर मारा है जिसमें 10 लोगों के हाथ टूटने की मेडिकल रिपोर्ट है उस पर एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज हो रही है । हम यह मांग कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि 16 तारीख को हुआ तो 17 तारीख को क्यों नहीं हो सकता । मेरा कहना है कि 17 तारीख को 16 तारीख से वीभत्स हुआ है । मान्यवर, अगर जनता का कहीं उत्पीड़न होगा तो हमारा दायित्व है कि उसको यहां उठायें । मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि एक समिति बना दें जिसमें 5 आदमी को रख लीजिये इसमें 2 आदमी हमारे रख लीजिये और 17 तारीख की घटना की जांच करा लीजिये अगर 17 तारीख की घटना सही साबित न हो तो संसदीय कार्य मंत्री जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये सदन को गुमराह न करें ।

श्री अध्यक्ष-

सदन को गुमराह करने की बात है तो उसका नियम में प्राविधान है ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मैं एफ0 आई0 आर0 की नकल लेकर आपके कक्ष में आ जाऊंगा लेकिन ये आश्वासन दें कि वह मुकदमा कायम कराया जायेगा सी0 आर0 पी0 सी0/आई0 पी0 सी0 की धारा में और हम छोटी सी भी घटना कर दें तो हम छः महीने के लिये जेल में सड़ा दिये जायें। मैं चाहता हूं कि इस पर आप निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक उपाय बता देता हूं, हमारा कानून अपंग नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो उस मजिस्ट्रेट को जिस क्षेत्र का अधिकारी है, उसके यहां आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वह रिपोर्ट दे सकता है । हमारा कानून अपंग नहीं है सारी व्यवस्था है हमारे कानून में । लेकिन अब सदन की कार्यवाही चलने दी जाये। मैं चाहता तो केवल ध्यानाकर्षण करके छोड़ देता । (विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान) देखिये नियम तो यह है कि केवल दो सूचनाओं पर सुनवाई होती है, दो सूचनायें सुनी जाती हैं और बाकी तीन सूचनाओं को हम ध्यानाकर्षित करके छोड़ देते हैं । आपके क्षेत्र के अन्दर यह समस्या थी, आपने अपनी बात कह दी, शासन उत्तर दे देता लेकिन एक विशेष प्रकार का ही उत्तर हो इसे शासन स्वीकार कर ले इस बात के लिये मैं दबाव नहीं दे सकता । मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें । मेरे पास 35-38 की लिस्ट हो गयी है । बाद में माननीय सदस्यों को एक-एक मिनट का समय मिलेगा, फिर मतदान की स्थिति आ जायेगी। तो मुझे सहयोग आप दीजिये। मेरा सहयोग के लिये अनुरोध है ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

सदन तो इसीलिये चलता है कि सदन में हमारी भावनाओं को रखा जाये। हमें एक कमेटी बनवा दीजिये, हमें न्याय मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत हो गया, बस कीजिये। (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया शान्त कराइये, कृपया बैठ जाइये। अब इस प्रकरण को हम समाप्त करते हैं । दूसरी सूचना थी, मैंने माननीय पाल जी को बोलने की अनुमति नहीं दी थी। दूसरी एक सूचना आई, माननीय शिशुपाल सिंह यादव की उसमें माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी। बेरिया जी की जो सूचना है, उस पर इस प्रकरण को अब समाप्त करते हैं। अगली सूचना माननीय आनन्द सेन जी की है, इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष समझाइये। आप लोग कृपया बैठ जाइये।

श्री मो0 आजम खां-

अध्यक्ष जी, विषय की गम्भीरता आपके सामने अच्छी तरह आ गई है। इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। बेरिया जी का बड़ा अच्छा सुझाव है। 5 सदस्य सत्ता पक्ष के केवल 2 सदस्य विपक्ष के हों और एक कमेटी वहां चली जाय और 17 तारीख के मामले पर अपनी रिपोर्ट दे दे। जब सरकार तथ्यों को छुपाना नहीं चाहती तो इसमें फिर क्या एतराज हो सकता है ? मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव शासन स्वीकार नहीं कर रहा है । लेकिन यह बात संसदीय कार्य मंत्री से इतना जरूर कहूंगा कि माननीय बेरिया जी की 17 तारीख की घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तो आप इस बात को देख लीजिये कि कोई घटना है तो रिपोर्ट लिखने में कोई ओपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, 16 तारीख की रिपोर्ट हुई है और 17 की रिपोर्ट लिखी गई है लेकिन दोनों तारीखों में एक ही पक्ष की रिपोर्ट लिखी गई है । तारीख 17 को जो पिटा है, जिसे अधिकारियों ने मारा है, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है ।

मान्यवर, आप तो कोर्ट्स के प्रोसीजर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सही है कि दरख्वास्त लगाई जा सकती है। सी0 जे0 एम0 कोर्ट में, लेकिन क्या अधिकारियों के खिलाफ अदालतें आमतौर पर कोई आदेश पारित कर दें, ऐसा होता है ? यह नान प्रैक्टिकेबिल बात है। केवल सरकार से मांगा जा सकता है, इसलिये आपसे संरक्षण चाहता हूं । आप निर्देशित कर दीजिये। 17 तारीख के मामले में, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिनको मारा गया है, उनकी रिपोर्ट कायम हो जाय, इसमें सरकार को क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष-

कोई भी घटना हुयी है, रिपोर्ट लिखकर उसकी निष्पक्ष विवेचना हो, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिये। रिपोर्ट लिख ली जाय और निष्पक्ष विवेचना हो जाए और इससे ज्यादा क्या हो सकता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष, पीठ से निर्देश हो गये हैं ।

श्री आनन्द सेन-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान फैजाबाद जिले में .....

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

पांचवी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था इतनी पंगु हो गयी है कि ...

श्री अध्यक्ष-

मैं उत्तर मंगा लेता हूं। इस घटना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा जो नियम-56 का प्रश्न है वह अत्यन्त अविलम्बनीय है, निश्चित है, तात्कालिक है, लोक महत्व का प्रश्न है और यह प्रश्न नियम-56 में ग्राह्यता के लिये जो शर्तें हैं वह सभी शर्तें पूरी करता है। मान्यवर, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी पंगु हो गयी है कि प्रदेश के हेड क्वार्टर लखनऊ में 14 तारीख को पारितोष पाण्डेय के घर में घुसकर उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी गयी। मान्यवर, पारितोष पाण्डेय एक पत्रकार ही नहीं वह इस प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार राजेन्द्र द्विवेदी के दामाद थे, उनकी जिस दिन हत्या हुई, पत्रकारों ने उनकी लाश को लेकर महामहिम राज्यपाल के पोर्टिको में धरना दिया। राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस घटना का पर्दाफाश किया जायेगा लेकिन आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो सका। मुख्य मंत्री के पहले प्रेस कान्फ्रेंस में इस प्रदेश के पत्रकारों ने उनके सामने भी सवाल उठाया था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं इसे देखूंगी। 3-3, 4-4 आयोग बदल दिये गये लेकिन हत्यारों का पता नहीं लगाया जा सका । इसलिये मान्यवर, इस घटना से पत्रकार जगत में आतंक, भय और दहशत का वातावरण पैदा हो गया है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह घटना तात्कालिक तो नहीं है, ग्राह्य भी नहीं है, लेकिन हत्या किसी की भी हो जाये हमें संवेदनशील होना चाहिये और पत्रकार तो लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ होते हैं, इसको बहुत गम्भीरता से लिया गया है । मान्यवर, घटना के तुरन्त बाद 14-4-2002 को वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और इनके बगल में उनके साले रहते हैं उन्होंने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी। यह सरकार प्रयास कर रही है, कई टीमें बनायी गयी हैं और उसकी विवेचना करके इस घटना का अनावरण करने के लिये गम्भीर स्टेप लिये गये हैं और लास्ट में अब एस0 टी0 एफ0 को लगा दिया गया है और इसकी विवेचना हो रही है। यह महत्वपूर्ण मामला है, इसका अनावरण शीघ्र किया जायेगा। पूरी गम्भीरता के साथ सरकार प्रयास कर रही है। जल्दी से जल्दी इस केस का अनावरण हो इसलिये अब एस0 टी0 एफ0 को लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का प्रयास कर लीजिये कि एस0 टी0 एफ0 काफी तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य करे। माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री को इस सूचना पर सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, लोकतंत्र के चार खम्भे होते हैं और उनमें चौथा खम्भा प्रेस होता है। अगर इनमें से एक भी खम्भा ढह जाय तो लोकतंत्र चरमरा जाएगा। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं तो तुरन्त इस केस पर कार्यवाही करने के निर्देश दे दें । मान्यवर, इसमें जुड़े अभियुक्तों के सम्बन्ध सत्ता पक्ष से भी हो सकते हैं इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को दिखवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये इस मामले की जांच एस0 टी0 एफ0 के द्वारा की जा रही है, इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, तो इसके बाद सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने पर भी विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

सदन में शान्तिपूर्वक नियमानुसार कार्य करने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने दें।

एक बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हम सब नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। पिछले तीन दिनों से माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । मान लीजिये इस सदन में कभी किसी महापुरुष या माननीय सदस्य का कोई वक्तव्य हो, जो आपके अनुकूल न हो, तो हम सबको इस सदन का सदस्य होने के नाते उसकी आलोचना नहीं करना चाहिये। संविधान के अनुसार जो राज्यों में विधान मण्डल होते हैं महामहिम राज्यपाल उसका एक अंग होते हैं। कहीं-कहीं विधान सभा के अलावा विधान परिषद् भी है, कुल पांच राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। वैसे भी सदन की गरिमा बनाये रखने के लिये एक नियम बनाया गया है और वह नियम है 289 । नियम 289 के उप नियम च और ज में एक प्राविधान है।

(च) के अनुसार प्रत्येक भाषण का विषय चर्चाधीन विषय से सुसंगत होना चाहिये। बोलने तथा चर्चा के दौरान कोई भी सदस्य राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे। (ज) के अनुसार, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो अध्यक्षासन अथवा सदन के लिये अनादर सूचक हो। माननीय सदस्यों की भाषण चर्चा हो चुकी है उसका भी मैं परीक्षण करूंगा और उसमें से जो आक्षेपक बातें होंगी उनको मैं निकाल दूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास लगभग 37 माननीय सदस्यों की सूची है। तो मैं इतना अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक सदस्य, दल के नेताओं को छोड़कर, दल के नेता प्रयास करें 10 मिनट में और नये माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे तो सारे लोगों को अवसर मिल सकेगा। श्री कौशल किशोर जी की चर्चा जारी थी उनसे अनुरोध करूंगा कि वह चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण मामला और ज्वलंत घटना है....

श्री अध्यक्ष-

लगता है कि आपने सुना नहीं, मैंने कह दिया है कि बहुत प्रभावी ढंग से और जल्दी जांच कराइये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

*श्री कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण सदन में दिया है, कुछ बात जरूर कहनी है। आपकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वह पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक था। 24 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हो गये, 26 फरवरी को निर्वाचन आयोग के विधान सभा के गठन की घोषणा की। 27 फरवरी को माननीय मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 7 मार्च को दिन में ठीक 12.00 बजे 13वीं विधान सभा भंग की गयी और 7 मार्च को ही 12.00 बजे के बाद 14वीं विधान सभा अस्तित्व में आयी। लेकिन 6 मार्च को ही महामहिम राज्यपाल ने केन्द्र सरकार को यह संस्तुति करके भेज दिया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर मुलायम सिंह यादव जी को सरकार बनाने के लिये बुलाया जायेगा तो बड़े पैमाने पर खुन खराबा हो सकता है। मान्यवर, जब 14वीं विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी तो राष्ट्रपति शासन का रिकमेन्डेशन करना असंवैधानिक और गलत था। इसके लिये मैंने हाईकोर्ट में एक रिट भी दायर की थी, उस पर एक अप्रैल से लेकर चार अप्रैल तक बहस चली, केन्द्र सरकार के वकील व सालिसिटर जनरल भी आये। 4 अप्रैल तक लगातार बहस करने के बाद याचिका खारिज नहीं की और निर्णय रिजर्व किया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वह नीयत में खोट की वजह से और असंवैधानिक तरीके से लगाया गया। जब इस तरह की नीयत होगी तो कैसे काम चलेगा ?

मान्यवर, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जातिवाद, सम्प्रदायवाद के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। (इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह पीठीसीन हुए) उनके बच्चों के पढ़ने के लिये टाट-पट्टी के स्कूल हैं जहां पांचवीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ायी जाती है। जबकि शहरी बच्चों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ायी जाती है तथा उनके बैठने के लिये कुर्सी मेज हैं। शहर के लड़के कान्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पर बच्चों के दाखिले के लिये उनके माता-पिता के भी इन्टरव्यू होते हैं। जब आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 का इम्तहान होता है तो जो देहात के लड़के हैं और शहर के हैं उनसे एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब आप ही बताइये कौन से बच्चे आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 बनेंगे। आज पैसे के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था है। इसकी अभिभाषण में चर्चा होनी चाहिए। आज लोगों को जाति धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर बांटने का काम किया गया है। जाति के नाम पर अस्पताल नहीं हैं। धर्म के नाम पर दवा नहीं मिलती है, धर्म के नाम पर न्याय नहीं मिलता है, जाति धर्म और मजहब के नाम पर रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता है तो फिर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करके अनपढ़ जनता को बांटने का काम क्यों करते

---

† दिनांक 22 मई, 2002 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं ? यह जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसलिये इसकी चर्चा होनी चाहिए थीं कानून-व्यवस्था के सवाल इसमें नहीं आया। लखनऊ के अन्दर पारितोष पाण्डेय की हत्या हो जाती है। सिटी न्यूज चैनेल के रवि वर्मा ने एक मूर्ति चोरी पर कुछ सवाल उठाये जो लखनऊ के एस0 एस0 पी0 ने पाबन्दी लगाकर सिटी न्यूज पर रोक लगा दी। लखनऊ के एस0 एस0 पी0 ने रवि वर्मा पर रोक लगा दी। इसी तरह से प्रभात रंजन ने जो जनसत्ता के रिपोर्टर हैं उन्होंने परितोष पाण्डेय की हत्या और अन्य सवालों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अखबारों में खबरें छापीं। उनको धमकी दी गयी और उनके दफ्तर के सामने गुण्डे भेजे गये। रात में और उन पर दबाव डलवाया गया और धमकाने का काम किया गया प्रभात रंजन की हत्या की साजिश हो रही हैं यह डर पैदा किया जा रहा है कि लोग अपनी बात न कह सकें। आज कानून व्यवस्था की जगह गुण्डे लुटेरों का राज कायम हो गया है। जो कारगिल में लोग मारे गये हैं उनके परिवार के लोग तेलीबाग योजना में जो आवास एवं विकास परिषद् की योजना है वहां घर बना लिये हैं । माननीय नगर विकास विकास मंत्री जी बैठे हैं, उन लोगों के मकानों को गिराने के लिये बुलडोजर भेज दिया गया और हम लोगों ने मकान गिरवाने के काम को रोका। तो तमाम ऐसी अव्यवस्था के काम हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ के एस0 एस0 पी0 का कहा दरोगा नहीं मानते हैं, सिपाही नहीं मानता है। इससे साफ मतलब निकलता है कि पैसा लेकर दरोगा और सिपाहियों की पोस्टिंग की जाती है इसीलिये दरोगा और सिपाही एस0 एस0 पी0 का कहना नहीं मानते हैं। इसी तरह से मलिहाबाद में शासन की नाक के नीचे पैरलल सरकार चल रही हैं वहां की न्याय पंचायत में पड़ाव अड्डा टैक्स, आम की पेटी पर टैक्स और तहबाजारी के अवैध तरीके से वसूली की जा रही है और वहां पर एक पैरलल सरकार चल रही है। इसी तरह से हरदोई रोड योजना में 1981 में जमीन एक्वायर की गयी थी, 4 पैसे फुट के हिसाब से एक्वायर की गयी थी। 1997 में माननीय जस्टिस शोभा दीक्षित और जस्टिस अब्बास रजा ने साढ़े 5 लाख रुपये और उस पर 15 प्रतिशत इंटरेस्ट देकर मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन किसानों को अदालती फैसले के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया। नगर विकास विभाग ने हाईकोर्ट में एफीडेविट दिया था और कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजा देंगे लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। कानून व्यवस्था के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सही काम नहीं हो रहा है इसलिये मेरी मांग है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं उनको इस अभिभाषण में जोड़ा जाय। यह ऐसा अभिभाषण है जिससे जनहित के काम नहीं हो सकते हैं इसलिये मैं इस अभिभाषण का प्रबल और तीखा विरोध करता हूं।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार का गठन सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने और राजनीतिक स्थिरता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस बात का जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है जो गलत है। जनता ने भा0ज0पा0 को सत्ता से बाहर रहने का मेंडेट दिया था लेकिन सत्ता की भूखी पार्टी भा0ज0पा0 और ब0स0पा0 ने सरकार बनायी जिस पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे लोग थू-थू कर रहे हैं, समाज में थू-थू हो रही है। इस गठबंधन से कतई उम्मीद नहीं है कि कोई सकारात्मक और सक्रिय कार्य होगा। आज कानून व्यवस्था की हालत खराब है, दलित अल्पसंख्यक और गरीबों का जीवन सुरक्षित नहीं हैं स्थिति यह है कि अभी एक महीने पहले मथुरा में बन्द हुआ था। उसमें [× × ×] मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। स्थानीय प्रशासन पर बड़े नेताओं ने दबाव डालवा कर मामले को रफादफा करवा दिया। यह हमारे साथी तेज पाल सिंह जी बैठे हुए हैं। यह भी उठकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति का जहां तक सवाल है। राज्यपाल जी खुद ही कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जर्जर है। प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए गठबन्धन किया गया है। इस प्रदेश की आर्थिक जर्जरता का दोषी कौन है। पूर्व सरकार आर्थिक जर्जरता की दोषी है। 96 मंत्रियों का मंत्रिमण्डल करोड़ों रुपये की चाय पी गया। हमें लगता है कि नेता सदन के ऊपर जबरदस्त दबाव है कि वह भी अपने मंत्रिमण्डल में 100 मंत्री बनायें तभी वह विस्तार नहीं कर पा रही हैं अगर 100 लोगों का मंत्रिमण्डल बना तो प्रदेश की हालत उससे भी जर्जर हो जायेगी। हम विरोध पक्ष के लोग यही चाहते हैं कि मंत्रिमण्डल छोटा बने। जिससे क्षेत्र की जनता पर दबाव न पड़े जहां तक उद्योगों की बात है औद्योगीकरण के नाम पर जो भी नीतियां पूर्व सरकार ने बनाई व वर्तमान सरकार सोच रही है मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का कोई माहौल नहीं है। माफिया राज है। सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 इण्डस्ट्रियल एरिया उजड़ चुका है। यू0 पी0 एफ0 सी0 का व्यवहार इन्टरप्रेन्योर के साथ प्राइवेट ब्याजड़ियों से बदतर है। आपने कहा कि एन0 आर0 आई0 को बुलायेंगे किस मुंह से एन0 आर0 आई0 को बुलायेंगे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। औद्योगीकरण के नाम पर महाराष्ट्र के उद्योगपतियों से आप कहते हैं कि हमारे यहां उद्योग लगायें तो वह कहते हैं कि यू0 पी0 में माहौल नहीं है। यह कड़वा सच है इसको आपकों कबुल करना पड़ेगा। इण्डस्ट्री डेवलप करनी है तो वैसा ही माहौल बनाना पड़ेगा। जिससे इन्टरप्रन्योर को सिंगलविन्डों के अन्दर सारी सुविधा मिल सके। अभी यू0 पी0 एफ0 सी0 लोन देता है तो बैंक उसकी वर्किंग कैपिटल नहीं देता। अगर वर्किंग कैपिटल मिल जाती है तो रा मैटीरियल नहीं मिलता है। उद्योगों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। जहां तक गेहूं खरीद का प्रश्न है किसान त्राहि-त्राहि कर रहा हैं मथुरा जनपद का किसान हरियाणा में जाकर गेहूं बेच आता है। वहां पर जितने क्रय केन्द्र खुले हैं वहां किसान की बोरियां सीधे क्रय की जाती हैं।

मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्यपाल जी ने काफी वर्णन किया है। मंत्री जी हमारे सामने बैठे हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि शहरों की सड़कों की हालत भयंकर खराब है। लोग चल नहीं सकते हैं। बहू बेटियां जो प्रसव से पीड़ित हैं यदि वह उन सड़कों पर निकल जायें उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं अपने क्षेत्र के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा वहां पर मथुरा-वृन्दावन में गोकुल बैराज सेंसन किया गया था यमुना प्रदुषण के नाम पर 19 करोड़ रुपये वहां खर्च किये गये लेकिन अध्यक्ष जी आप यमुना मैया की हालत देखें कि कितनी दुर्दशा है। 19 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना नदी विश्राम घाट पर, जहां लाखों करोड़ों लोग दूर-दूर से आते हैं वहां यमुना का जल आचमन करने योग्य नहीं रह गया है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस तरह का आचरण नहीं ही करना चाहिए। मथुरा वृंदावन के बारे में

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यह राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उभर कर आए। आज यह सब होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी विश्व हिन्दू परिषद् के एजेंडे में मथुरा होते हुए भी यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, वृन्दावन की विधवा महिलाओं के लिये 3 साल पहले एक पैकेज घोषित किया गया था लेकिन आज तक उस पैकेज के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्वामी जी को एक करोड़ रुपये विधवाओं को पेंशन बांटने के लिये दिया था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह पैसा स्वामी जी के द्वारा फिक्स डिपाजिट हो गया है यह वहां विधवाओं को पेंशन मिल रही है, इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि ताज ट्रिपेजियम के अन्तर्गत वहां उद्योग बन्द हो गये हैं और कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई जा रही है। मथुरा के इण्डस्ट्रियल एरिया में स्पेशल पैकेज बनाया जाय। स्पेशल सब्सीडी देकर इनकम टैक्स से ऐग्जम्पशन दिया जाय। उत्तर प्रदेश के बार्डर पर मथुरा जनपद ऐसा है जहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। मान्यवर, मथुरा में पेयजल के नाम पर सूखा पड़ा हुआ है। आज हमारे कुछ साथी बाढ़ की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के लिये तो अभी मई जून पड़ा है लेकिन वहां पर सूखे की जो स्थिति इस समय है, उसके बारे में सोचिये। सूखे के कारण हमारे क्षेत्र के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मथुरा नहरों की टेल में होने के कारण वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे फसलें सूख रही हैं और उन किसानों पर रिकवरी निकल रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बड़े बकायेदारों के लिये सरकार की हिम्मत नहीं है कि उन्हें जेल में बन्द कर सके। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नहरों की सफाई करवायें ताकि पानी टेल तक पहुंच सके।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, एक गम्भीर समस्या है कि मथुरा शहर टीलों पर बसा हुआ शहर है। आकस्मिक विपदाओं के कारण चौबिंया पहाड़ पर मकान फट रहे हैं। नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि वहां शहर में पेयजल योजना में पाइप लाइन पड़नी हैं और काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। अगर कहीं पर पाइप लाइन पड़ जाती है तो फिर सड़क की मरम्मत नहीं होती है। माननीय मंत्री जी आपने पैसा दिया है तो जांच भी करवाइये। कहीं पर भी पाइप लाइन पड़ने के बाद सड़क टीक नहीं की जाती है। मान्यवर, गोकुल बैराज की पाइप लाइन की ओर भी ध्यान दें। मान्यवर, वहां पर सड़कों का यह हाल है कि मल-मूत्र से भरी है। वहां पर पर्यटक धार्मिक भावनाओं को लेकर आता है लेकिन ऐसी हालत देखकर उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। बांके बिहारी की शरण स्थली की इस दयनीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप जो भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। आप लिखवाकर भेज दीजियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

[×××]

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, यहां कई बार महामहिम राज्यपाल पर आक्षेप लगाया गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारी इस व्यवस्था के प्रमुख हैं, प्रतीक स्वरूप हैं। जब हम उन पर कुछ आक्षेप करते हैं तो हम सारी व्यवस्था को लांक्षित करते हैं, कहीं न कहीं उसको चोट पहुंचती है। सब कुछ उदाहरण यहां मौजूद है। पहला लांछन यह लगता है तो मुझे कुछ कष्ट होता है कि आखिर यहां इधर बैठकर कुछ कहते हैं और उधर बैठकर कुछ कहते हैं यह कैसा राजनीतिक चरित्र है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस लिए जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा, क्या इससे पहले कुछ भिन्न हुआ, शुरू से मैं अगर सुनाऊं तो बहुत बार ऐसा हुआ .. (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

अगर यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं तो इस पर बुलवाइए।

श्री लालजी टण्डन-

श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में बोल रहा हूं इस सदन के सर्वोच्च अधिष्ठाता राज्यपाल जी हैं, उसी पर बोल रहा हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने इस बार कोई नई बात नहीं की है, जो परम्परा चली आ रही है उसके अनुसार उन्होंने आचरण किया है। मान्यवर, 1993 में इस प्रदेश में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला था। सबसे बड़ी संख्या में हमारा दल भारतीय जनता पार्टी जिसके 176 सदस्य थे, कई निर्दलियों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया था लेकिन राज्यपाल महोदय ने जो उनका अधिकार है, उनका जो विवेक है, इसलिए उन पर लांछन नहीं लगा सकते हैं उन्होंने तब तक निर्णय नहीं लिया, हम आग्रह करते रहे ....

कुंवर रेवती रमण सिंह-

भण्डारी जी गवर्नर थे तो आक्षेप लगाया था या नहीं ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, उसके बाद फिर चुनाव हुए 1996 में उसमें भी वही स्थिति हुई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी 175 सदस्य थे, पांच निर्दलीय ने लिखकर दिया तो 180 हो गए। राज्यपाल महोदय को फिर भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि बहुमत की सूची चाहिए। जो समर्थन दे रहा है उसकी सूची चाहिए, उसी के आधार पर नहीं बनी। कुछ सम्मानित नेताओं ने उस समय कहा था राज्यपाल महोदय बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

उस समय आपने क्या कहा ?

श्री लालजी टण्डन-

उस समय हमने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बुलाएं।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मो0 आजम खां-

यही तो हमने भी कहा।

श्री लालजी टण्डन-

तब उन्होंने कहा कि एक महीने का समय मांगा है लेकिन दो महीने का समय आपके पास रहा। कुछ शब्दों के बारे में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है पब्लिक मैन्डेट शब्द है पब्लिक मैन्डेट ने यही किया, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उसको पक्ष में बैठने का मौका मिलता है वरना वह विपक्ष में बैठता है लेकिन जब खंडित जनादेश होता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसका फैसला कोई नहीं कर सकता है। हमने स्वयं कहा हम विपक्ष में बैठेंगे पक्ष में बैठने का जनादेश नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यह संवैधानिक दायित्व आपका भी है प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना रहा है। तो अनन्तकाल तक राज्यपाल का शासन नहीं चलना चाहिए। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा के विरुद्ध है। अगर कल यह स्थिति पैदा हो कि फिर से सदन चलने का स्थिति में न आये तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वह मिलकर सरकार बनायें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

राज्यपाल को सूची दे दें।

श्री लालजी टण्डन-

चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं। उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा कि हां हमारे पक्ष में वांछित बहुमत है। हमने दावा नहीं किया था। उस समय हमने दावा पेश किया था जब स्पष्ट बहुमत मिल गया था। तब भी मुख्य मंत्री जी को यह आदेश दिया गया कि फिगर तो ठीक है, बहुमत है आंकड़े बता रहे हैं आपका हक बनता है लेकिन फिर भी तीन सप्ताह का समय है बहुमत सिद्ध करके दिखा दें और वह करके दिखा भी दिया गया। हमने जिन लोगों की समर्थन की सूची दी थी उससे कहीं ज्यादा वोट हमको मिल गये। आज यह विषय कही पर बहस का कहीं रह गया है कि अवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य पूरा हुआ है। अब फिर सरकार का काम शुरू होता है विश्वास मत जीतने के बाद। सरकार ने जिन प्राथमिकताओं को तय किया वह सब यहां पर है जिसके यह डिसकस किया जा रहा है जिस पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

मान्यवर, कानून व्यवस्था और अपराध इसमें फर्क नहीं समझ पाया। कानून व्यवस्था इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बेहतर है। हां अपराध की स्थिति में कहीं बढ़ोत्तरी हो रही है और उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जल्दी से जल्दी हम इसकी भी व्यवस्था कर लेंगे। बीच में जो गैप हो गया था तो प्रक्रिया में बाधा आयी। आज जो सरकार बनी है तो इससे शीघ्र ही नियंत्रण हो जायेगा। जातिवाद के बारे में कहा गया, बड़ा कष्ट होता है। सामाजिक समरसता के जिसके तार-तार टूट रहे हैं। इस देश में विभिन्न मत मतान्तरों के लोग है। दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोकतंत्र की लेकिन हमने लोकतंत्र को स्थापित किया। "मुण्डे-मुण्डे मति भिन्नः" हर व्यक्ति की अलग-अलग बुद्धि होती है। एको हम ....." सच एक है लेकिन जो विद्वान हैं उसको अलग-अलग व्यक्त करते हैं और इसी सूत्र पर सारी दुनिया का लोकतंत्र डेवलप हुआ है। हमें कहीं न कहीं विचार भिन्नता के बावजूद जो मानवीय रिश्ते हैं जो सम्मानित सदस्यों के बीच में हैं, विभिन्न दलों के बीच में

हैं, मतभेदों के स्नेहपूर्ण सम्मानपूर्ण रिश्तों में कहीं कमी दिखायी पड़ती है। अपराध कोई भी हो सकता है, पीड़ित किसी को भी किया जा सकता है लेकिन अपराध की नाप जोख कि यह चमार है, यादव है तो कहां रह गया वह भारतीय। कहां वह कानून व्यवस्था है, कहां वह संविधान रह गया जिसकी शपथ खायी है ?

(व्यवधान)

मैं इन संस्कारों के बीच ट्रेन्ड नहीं हुआ हूं .....

मान्यवर, मैंने इस सदन में बहुत बड़े-बड़े लोगों को इधर या उधर बैठे हुए देखा है, सुना है, परखा है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि सदन की व्यवस्था को एक तर्क के आधार पर चलाएं। आप जितना चाहें उसके विरोध में बोल सकते हैं। यह आपका अधिकार है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो टोकाटाकी होती है यह निश्चित रूप से लोकतंत्र को एक और धक्का है। मेहरबानी करके अपनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाएं। अगर मैं अपने भाषण में एक शब्द भी गलत कहूं तो आप उसे कार्यवाही से तुरन्त निकलवा सकते हैं। मैं इस सदन को बहुत दिनों से देख रहा हूं। माननीय पाल साहब भी उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर पार्लियामेन्ट्री हैसियत से आए हैं। मान्यवर, आज यह सत्र खत्म हो रहा है। आगे हम फिर बैठेंगे। सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम विपक्ष का होता है। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि सदन का वातावरण सही रहे। हमारी तीन प्राथमिकताएं हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने की। आज जो एक-एक विषय पर सदन का समय लिया जा रहा है। अगर दैनिक घटनाएं ही महत्वपूर्ण हैं तो कानून की जो व्यवस्था है वह किनारे हो जायेगी। हमें सारे समाज में एक व्यवस्था कायम करनी होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ लोगों के ऊपर एस0सी0, एस0टी0 एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे उसकी सूची उपलब्ध करा देंगे तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी न्याय प्रिय सरकार इस 21वीं शताब्दी में यह बर्दाश्त नहीं करेगी और मान्यवर जो समाज का सबसे कमजोर है उसे कोई ताकत दबा दे, उसे कोई भी ताकत दबा दे और वह अपनी आवाज निकाल न पाये और उसे सरकार संरक्षण न दे पाये। वहीं पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि उनका दुरुपयोग न हो। अगर कोई अपराध होगा तो उसकी विवेचना होगी और वह अधिकारी दण्डित किये जायेंगे।

मान्यवर, हमारा संविधान हमारी आत्मा है, इसलिये गरीबों, पिछड़ों, दलितों और समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके संरक्षण के लिये उनके प्रति होने वाले अन्याय से रोकने के लिये, हमने देश के संविधान की सौंगध खायी है, उसी उद्देश्य के लिये कानून बने हैं। उसका दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है जो करेगा वह सजा पायेगा। (व्यवधान) हमेशा ईसा सूली पर चढ़ाये जाते हैं, हमेशा मोहम्मद को पत्थर मारकर घायल किया जाता है। हमेशा सत्य बोलने वालों के साथ यही सलूक होता है जो यर्थाथ है उसे कहता हूं।

मान्यवर, अभी प्रदीप माथुर जी सड़कों के बारे में कह रहे थे अगर एक हादसा हो गया तो वह सारे देश में कोई फसाना नहीं माना जाता। मान्यवर, जो यह सदन है यह सेक्युलिरिज्म के लिये प्रतिबद्ध है वहां पर कम्युलिज्म के लिये संशोधन पेश किये जायें। सेक्युलिरिज्म हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। दूसरा यह है कि फेडरेल स्टेट यानि राज्यों की स्वायत्ता अलग है। कहीं पर कोई हादसा हो गया है, कहीं कुछ हो रहा है प्राकृतिक आपदायें हो गयी हैं यहां सदस्यों ने अपना वेतन

स्वेच्छा से सहायता के रूप में दिया है सरकार भीं इसके लिये सहायता कर सकती है देश तो एक है। अब गुजरात के दंगों के बारे इससे राज्य से क्या संबंध है फेडरेल स्टेट के अंन्तर्गत वह दूसरा अंग है, हम लांछन कर रहे हैं उसकी सरकार को अपमानित कर रहे हैं जो संसद में चर्चा हो गयी है। इस सदन के परिव्यू से बाहर है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय टण्डन जी ने अभी कहा, संशोधन में पता नहीं क्या लिखा हुआ है मगर उन्होंने सुनाया नहीं। आज गुजरात की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात की घटना इतनी बड़ी घटना है जितनी मानवीय दृष्टि से इससे बड़ी घटना स्वतंत्र भारत में आज तक कभी नहीं घटित हुई। कारगिल में जितने लोग नहीं मारे गये उससे ज्यादा लोग गुजरात में मारे गये हैं। आप कहते हैं कि उसकी चर्चा नहीं होगी इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं आग्रह करूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले उससे अन्यथा न बोले।

श्री लालजी टण्डन-

ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। क्या कश्मीर इस देश में नहीं है उसके लिए क्यों नहीं चर्चा होगी।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांति रखें। माननीय सदस्य कृपया बैठ जांय।

श्री शिवकुमार बेरिया-

मान्यवर, [×××]

श्री अधिष्ठाता-

जब आपको बोलने का समय मिलेगा तब आप अपनी बात को रखियेगा। आप बैठ जांय। माननीय टण्डन जी समय का ध्यान रखें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, किसी समय युद्ध हो सकता है, सेनाएं खड़ी हैं सीमा पर। सारी दुनिया के लोग चिन्तित हैं। ऐसे समय में अगर इस देश में सम्प्रदायिकता की बात इस सदन में होगी तो कौन बचायेगा ? दल अलग होंगे विचार अलग होंगे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

टण्डन जी, समय का ध्यान रखें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बैठ जाइये आप।

आवास नगर विकास पर्यटन, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल के मन में यह बात हो कि सिमी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है अगर उसके ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो मान्यवर, जो आतंकवादी संगठन हैं जिनसे इनका रिश्ता है उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी यही नहीं। मैं उन बहादुर सिपाहियों जो कश्मीर की सीमा के

नोट :--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ऊपर कुर्बान हुए उनका नाम लेता हूं, उनकी पूजा करता हूं, लेकिन मैं मान्यवर, मजबूर हूं कौन आदमी उनकी याद करता है। मान्यवर, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस सदन में लोकतंत्र की आत्मा यह है कि जो भी बैठा हो उसे सत्य कहना चाहिए। ऐसा तो कभी कोई नहीं कह सकता कि सबने देश के बंटवारे में ही भाग लिया है। लेकिन आज कोई इस देश में यह कहे कि बंटवारा फिर से होना चाहिए, मान्यवर, हम यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी सरकार की तरफ से यह बता रहा हूं कि यह कितना खतरनाक है इसका इस सदन से कोई मतलब नहीं है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो सब बता चुका हूं। यह लोग खामोश हो जायें, मैं अपनी बात खत्म करूं। समता का समाज स्थापित करने के लिये, कानून व्यवस्था का समाज स्थापित करने के लिए, आपको एक अवसर प्राप्त हुआ था, पर आप लोगों ने उसे खो दिया। सभी लोग प्रदेश में स्थिरता के लिए काम करें, यहां कई विचारधारा के लोग एक साथ होते हैं कोई जरूरी नही है कि हर बात में एक राय हो। लेकिन जहां तक सरकार चलाने की बात है तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, आप भी इसमें सहमत हों। आपको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो प्राथमिकता दी गयी है उसको बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, कई बार यह सवाल होता है कि सरकार का कार्यक्रम क्या है, सरकार को सबसे बड़ा कार्यक्रम है प्रदेश में एक स्थिर सरकार देना, एक अच्छी व्यवस्था देना, उसके लिए हमने सरकार बनायी है, राज्यपाल के अभिभाषण में उसी का जिक्र है।

सारा देश हरित हो जाय, हरित क्रांति आ जाय जो इसमें क्या बुरा है ?

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वार टोका टाकी किये जाने पर घोर व्यवधान)

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सूप बोले तो बोले लेकिन छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। 42 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, तब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के बेंच याद नहीं आई, अब हाईकोर्ट की याद आ रही है, "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे।"

(पुनः दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में टोका टाकी किये जाने पर--व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि बीच में टोकने का प्रयास न करें और टण्डन जी सूक्ष्म में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जब से कांग्रेस आई है, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन यह गौरव हमें प्राप्त है कि अनपरा-बी को 1 हजार मेगावाट का पावर हाउस बनवाकर हमने छोड़ा था।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे आपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं आपका इसलिये और ज्यादा आभारी हूं कि ठीक टण्डन जी के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया*। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस विधान मंडल दल के 25 सदस्यों की तरफ से संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। टण्डन जी [× × ×]

---

*वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि अनपरा-बी क़ो हमने प्रदेश को दिया था। मान्यवर, टण्डन जी ऐसा [× × ×] न बोलें कि यह छत ही नीचे गिर जाये और हम सब इसके नीचे दब जायें। वर्ष 1991 में तो आपकी सरकार ही कुल 17 महीने चली थी और एक थर्मल पावर हाउस को बन्ने में 5 साल लगता है, वर्ष 1988 में हमने इसे बनवाकर समर्पित कर दिया था। आपको तो पत्थर उखड़वाने और लगवाने की आदत है इसलिये आप वहां पहुंच गये थे। एक साल में तो टमाटर भी ठीक से पैदा नहीं होता है, आपने कहां से पावर हाउस बनवा दिया। इनकी [xxx] को सही करते हुये एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके राज में कोई पावर हाउस नहीं बना, बल्कि अपने समय में आप लोगों ने ऊंचाहार थर्मल पावर हाउस को बेचा था, जब आप मंत्री थे, उसके बाद जब आपकी सरकार थी तो टाण्डा पावर हाउस को बेचा था और इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया था। टण्डन जी आप बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं आज आप मायावती जी को समर्थन दे रहे हैं, इतना छोटा सा काम आप करा नहीं पाये कि श्री राजनाथ सिंह जी को आप बुलवाते और वह इनके समर्थन में भाषण देते। मान्यवर, मैं केवल इतना चाहता हूं कि यह तो परिपाटी है कि जब अभिभाषण पर चर्चा होती है तो हर विरोधी दल का नेता जरूर उस पर बोलने के लिये खड़ा होता है और सत्तारूढ़ दल के नेता समर्थन में बोलने के लिये खड़े होते हैं। कल आपके नेता भोज में तो आये थे, लेकिन यहां समर्थन में क्यों नहीं.....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमोद कुमार जी ने अभी हमारे नेता के बारे में जो कुछ कहा है...

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बैठा नहीं हूं। इनको तो सरकार का तबला बजाना है, वह बाद में बजा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

बीच में बजा लेने दीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पश्चिम में हाईकोर्ट बनाने के लिये आप समर्थन करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

हां, करेंगे।

मान्यवर, मैं टण्डन जी से बाहर जाना ही नहीं चाहता हूं, अभी बात करते-करते ये गुजरात से कारगिल पहुंच गये। कारगिल के शहीदों के लिये आपके मन में कितना सम्मान है, जो उनकी तेलीबाग कालोनी बनी हुई थी आपने अपने कार्यकाल में बुल्डोजर चलवाया है। अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे। माननीय टण्डन जी, [xxx] आपकी गोली में यह दम कहां कि वह दुश्मन के सीने को चीरती हुई निकल जाये। 1971 में हमने बंगला देश बनाया, मैंने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। [xxx]

(सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर कुछ व्यवधान)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

टण्डन जी, मैंने आपको दूरदर्शन पर देखा है, आप बहुत शरमा रहे थे। आप तो वैसे ही चमकते हैं, जब आपसे पूछा गया कि श्री राजनाथ सिंह के पत्थर क्यों हटा दिये गये तो आप बोले कि पत्थर तो लगते ही हैं हटने के लिये। यह आपका कहना था। कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री। आप भी मंत्री हैं यदि आपका पत्थर भी कोई हटवा देगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। मान्यवर, सावन के अन्धे को तो हरा ही हरा दिखता है। आप पहले भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं आगे भी बन जायेंगे लेकिन नुकसान तो जनता का हो रहा है। मान्यवर, [×××]

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है या टण्डन जी पर ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि जब कोई बोल चुका होता है। और उसके बाद जो बोलने के लिये खड़ा होता है वह उसके बारे में बोलता है। मान्यवर, अब आपने टोक दिया, अब मैं टण्डन जी पर नहीं बोलूंगा। मान्यवर, यह राज्यपाल का अभिभाषण जल्दबाजी में तैयार किया गया ऐसा कागज है जिसकी न कोई दिशा है और न इस सरकार की कोई दिशा है। मान्यवर, यह जनता को तबाही की ओर ले जाने वाला भाषण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, मान्यवर, इस अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया पर उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत आबादी जो महिलाओं की है, उसके बारे में एक बात भी नहीं कही गई। कहा गया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों को उठायेंगे, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जितनी स्थिति खराब है उतनी अन्य किसी प्रदेश की महिलाओं की नहीं होगी। उड़ीसा की महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं है, बीमारू प्रदेशों की महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं है, जितनी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और आपकी बातों से तमाम लोग काफी कुछ सीखते भी हैं, लेकिन आपने तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया। मैं चाहूंगा कि आप तथ्यों से परे बात न करें तो अच्छा होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं माननीय मंत्री जी की बात से बहुत सहमत हूं और उनका आभारी हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि लाईन हमारी नहीं बल्कि भाजपा के लोगों की खराब है। मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण के पृष्ठ 10-11 पर कहा गया है कि ऋण जमा अनुपात में लगातार ह्रास हुआ है। मान्यवर, ऋण जमा अनुपात किसी भी देश के भविष्य के लिये उसकी आर्थिक स्थिति और विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मान्यवर, पहले 100 रुपया जमा होता था तो 49 रुपये प्रदेश विकास में लगता था और आज 100 रुपया जमा करने पर सिर्फ 25 रुपया प्रदेश को मिलता है बाकी 75 रुपये प्रदेश से बाहर चला जाता है। मान्यवर, तमिलनाडु वगैरह में जब सौ रुपये जमा होते हैं तो 90 रुपये प्रदेश पर खर्च होता है सिर्फ 10 प्रतिशत ही बाहर जाता है। आज हमारे प्रदेश की स्थिति

नोट :—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इतनी खराब हो गई है कि हमारा प्रदेश अब 42 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत पर आ गया है। मान्यवर, जब तक प्रदेश में पूंजीनिवेश नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। जब तक यहां उद्योग धन्धे नहीं लगाये जायेंगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी।

मान्यवर, यह ऋण जमा अनुपात जो लगातार कम होता जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई पूंजी निवेश करने वाला नहीं है। अगर इस प्रदेश के भविष्य को सुधारना है, इसको बरबाद होने से बचाना है तो सब कुछ छोड़कर इसके ऋण जमा अनुपात को बढ़ाना होगा। मान्यवर, बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बिना न तो हमारे उद्योग धन्धे चल सकते हैं, न ही मनुष्यों का सुव्यवस्थित जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। आपके पास तो चार हजार मेगावाट बिजली की भी क्षमता नहीं है, यह बिजली कहां से आयेगी। मैं महामहिम राज्यपाल जी की प्रसंशा करता हूं उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों का संचित पाप है तो मैं यही कहूंगा कि 1989 से लेकर अब आपकी ही सरकार रही। कभी हमको तोड़कर कभी उनको तोड़ कर सरकार तो आपकी रही है, आप बिजली मंत्री भी रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को माकूल जवाब देंगे, 12 साल के अन्दर मांग बढ़ गयी 4000 मेगावाट की और आपने 4 मेगावाट भी बिजली नहीं पैदा की तो [X X X] घोषणाओं से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आईये हम आप संकल्प लें तभी इसका निदान होगा। प्रधानमंत्री जी आपके ही दल के हैं, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए कि अगले 3 वर्षों तक 4000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को निःशुल्क दें नहीं तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। एक बात स्थानान्तरण नीति के बारे में भी कहना है, माननीया मुख्य मंत्री जी ने पंजाब सज्य का उदाहरण दिया कि वह छोटा सा प्रदेश है वहां तो बहुत ज्यादा हुये। एक सप्ताह में एक अधिकारी का 4-5 बार ट्रांसफर हुआ, आई0जी0 2-3 बार बदले गये, डी0आई0जी0 बदले गये। जिलाधिकारी को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका जिला कौन सा है। ट्रांसफर करें यह मुख्य मंत्री जी का विवेक है लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नीति निर्धारित किया है उसके अनुरूप होना चाहिए। "कवाल टाऊन" का एस0एस0पी0 और डी0 एम0 एक छोटे से जिले से आये हुये अधिकारी को नहीं बनाना चाहिए, उसकी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आपने भ्रष्टाचार से लड़ने और अपराध मुक्त प्रदेश करने का संकल्प लिया है। चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने लाखों रुपये की चाय पी थी, एक-एक साल में करोड़ों रुपये का जेब खर्च लिया है क्या भारतीय जनता पार्टी वायदा करेगी ? उन मंत्रियों को मंत्री पुनः बनाये जाने पर जोर नहीं देगी। आप संकल्प करिये कि [xxx] आप यदि इस सदन में वायदा कर दीजिए तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हो जायेगा कि आप इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, लेकिन [xxx] यदि आप में दृढ़ता और क्षमता है तब तो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करियेगा वरना मत करियेगा। एक बहुत खूबसूरत सपना पुराने मुख्य मंत्री जी ने दिखाया था कि औद्योगिक गलियारा, ताज-एक्सप्रेस-वे तथा अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनेगा। राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिक्र है। श्री शाहनवाज हुसैन आप ही के दल के मंत्री हैं उन्होंने भारत की लोक सभा में कहा है

नोट-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ही नहीं। तो क्या जो लोक सभा में बात कही गयी है वह बात गलत है या यहां जो बात कही गयी है वह गलत है ? यह जनता के साथ बड़ा धोखा है। इसको स्पष्ट कर लीजिए।

नोयडा में अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनना विचाराधीन नहीं है तो इस बात को यहां कह कर सदन का समय नष्ट मत करिये। दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी आप पर है, उतनी हम पर भी है। 2 जून को, जिनके सामने आकर दण्डवत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि युग पुरुष हैं, जिनके साथ हजारों फोटो खिंचवाये होंगे, उन्होंने 2 जून को पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया है। 6-7 दिनों से विश्व हिन्दू परिषद् के एक बहुत बड़े नेता अयोध्या में घूम रहे हैं और इस यज्ञ को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिलापूजन और पूर्णाहुति यज्ञ किस हिन्दू धर्म में है। आप में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है लेकिन जब तक विपक्ष बैठा है हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग हो पूर्ण आहूति यज्ञ करने वालों को आप कल तक गिरफ्तार कर लें तो मैं समझूंगा कि आपकी नीयत ठीक है। वरना जो एक कहावत है-मुंह में राम बगल में छुरी, अगर आपको छुरी मिल जाये तो नेता प्रतिपक्ष को पीछे से नहीं सामने से मारियेगा क्योंकि वह रामपुर के रहने वाले हैं। मान्यवर, कोई किसी का आदर करता है, कोई किसी नेता को मानता है। माननीया मुख्य मंत्री जी बैठी हैं। अम्बेदकर पार्क लखनऊ में बन रहा है उसी के पास इन्दिरा प्रतिष्ठान बन रहा है। उस पर 8 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। भारत रत्न इंदिरा गांधी जो देश की प्रधान मंत्री रह चुकी हैं आज उनके नाम पर जो प्रतिष्ठान है उसका काम ठप्प करा दिया गया है जो उचित नहीं है। आप अपने आदर्शों को पूरा करें लेकिन भारत रत्न इंदिरा गांधी के नाम पर जो प्रतिष्ठान बन रहा है उसको भी पूरा करें।

मान्यवर, परितोष पाण्डेय हत्याकाण्ड के संबंध में माननीय रामगोविन्द चौधरी ने कहा है। यह हमारे ऊपर कलंक है। जो प्रदेश का चौथा स्तम्भ है उस पर आघात है। मैं जानता था वह एक युवक और साहसी पत्रकार थे। आप क्या कर पाये, उनका राजधानी में कत्ल होता है और अपराधी आज तक घूम रहे हैं यह आप पर कलंक है। अगर आपके वश में नहीं है अपराधियों को पकड़ पाना तो आप इसको सी0बी0आई0 को दे दें। मैंने एक खबर सुनी है, कितनी सच है कितनी गलत है यह मैं नहीं जानता। यह कहा जा रहा है कि परितोष पाण्डेय के हत्यारों को संरक्षण मिला है। सत्ता पक्ष के कुछ असरदार लोगों का इसलिये उचित होगा कि इसकी जांच सी0बी0आई0 को तत्काल दे दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1989 में जब हमने सरकार दी थी उस समय विकास दर प्रदेश की 3.5 थी। आज वह घटते-घटते 2.9 हो गयी है। आपको यह कहना शोभा नहीं देता है कि आप प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप प्रदेश को बरबादी के रास्ते और तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कर्नाटक की विकास दर 6.7 प्रतिशत है। गुजरात की 7.2 प्रतिशत है और पंजाब की 4.7 प्रतिशत है लेकिन आपका जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी विकास दर 2.9 है जो शर्म की बात है। प्रदेश का ऋण जमा अनुपात घट रहा है और आप प्रदेश की खुशहाली की बातें कर रहे हैं। यह आंकड़े जो मैंने दिये हैं यह आपके नियोजन विभाग के आंकड़े हैं जो यह साबित करते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है। आप प्रदेश को तबाह और बरबाद कर रहे हैं। सरकार जो खुशहाली का ढिंढोरा पीट रही है वह जनता की खुशहाली का नहीं है सरकार की खुशहाली का है। कल मैंने

अखबार में पढ़ा कि समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा जनता की सबसे बड़ी अदालत है। यह समन्वय समिति इसलिये बनायी गयी है कि आपके बीच में एका नहीं है, मतभेद है लेकिन आप समन्वय समिति को मंत्रि-परिषद् पर और विधान सभा पर हावी होने न दें। मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में आतंकवाद [X X X] है और काश्मीर में आतंकवाद है और काश्मीर में आतंकवादी दूर देश की सीमा से आते हैं। दोनों जगह ही आतंकवाद है।

डा0 अशोक बाजपेई-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। तीन दिन से चर्चा हो रही है। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद ज्ञापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मैं कई दिन से चिन्ता में था कि राज्यपाल महोदय को किस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। इस बात के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंटा है, विधान सभा में सबसे बड़ा जनादेश लेकर समाज वादी पार्टी आई थी, 150 के लगभग सदस्य समाजवादी पार्टी के थे सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया लेकिन इस प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक, कानून के सबसे बड़े संरक्षक, संविधान के रक्षक राज्यपाल महोदय ने लोकतंत्र का गला घोंटकर ऐसी सरकार को बनाने का मौका नहीं दिया इन्तजार करते रहे कि प्रदेश में जोड़-तोड़ करके सरकार बनाई जाए जिसका मतलब न नैतिकता से हो न लोकतंत्र से हो। चुनाव से पूर्व अलग-अलग घोषणा-पत्र पर जिन्होंने चुनाव लड़ा चुनाव बाद सत्ता पाने के लिए ऐसा गठबन्धन बनकर आया है जिसने लोकतंत्र की मान्यताओं को समाप्त करने का काम किया है। क्या इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें। चुनाव परिणाम के बाद चुने हुए विधायक एक ज्ञापन देने के लिए कि लोकतंत्र की वह रक्षा करें, उनके दरवाजे पर बैठे हुए थे। उनके दरवाजे पर जनता के एक चुने हुए जन प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। एक जनप्रतिनिधि की राज्यपाल महोदय के दरवाजे पर हत्या हुई लेकिन वह उसे देखने तक नहीं गए। वहां 150 विधायक बैठे थे 25 सांसद बैठे थे व 50 के करीब विधान परिषद सदस्य थे। एक मिनट आकर उनकी बात सुन लेते व सदाशयता का "परिचय देते लेकिन उन्होंने मानवता तक का" परिचय नहीं दिया एक विधायक की हत्या उनके दरवाजे पर हो गई और राज्यपाल महोदय उनको देखने तक नहीं आए क्या इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करूं। उत्तर प्रदेश अंधेरे में है शहरों में बिजली नहीं गांवों में बिजली नहीं है शहरों में 6-6 घण्टे बिजली नहीं आती। अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रहीं थीं। विद्यार्थियों ने मिट्टी के तेल की डिबिया जलाकर परीक्षाएं दीं। उद्योग धन्धे बन्द हैं क्या इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करूं। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि लोग बैंकों से पैसा लेकर निकलते हैं और रास्ते में उनका पैसा लूट लिया जाता है। लोग घरों के अन्दर तक सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। जंगल राज कायम हो गया है। क्या कानून व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करूं। गन्ना किसानों को पिछले वर्ष का भुगतान नहीं किया गया है। इस वर्ष गन्ना किसानों का 1400 करोड़ रुपया मिलों पर बकाया

नोट-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

है सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान हो। अगर किसानों के ऊपर 500 रुपये सरकार का है तो उसकी रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हो जाती है। उनको हवालात में बन्द किया जा रहा है। किसानों के लिए होने वाले इस अन्याय के लिए क्या मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करूं। धान की खरीद जो हुई है उसके बकाए का भुगतान अभी नहीं हुआ है। गेहूं क्रय केन्द्र कागजों पर खोले गये हैं। किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है क्या इस बात के लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करूं। आज उत्तर प्रदेश में पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है कुएं सूख गये हैं आजादी के 52 वर्ष के बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। क्या इस बात के लिए महामहिम को धन्यवाद ज्ञापित करूं। उद्योग धन्धे बन्द हैं बिजली नहीं मिल रही है। राज्यपाल महोदय ने माना कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई है। आय और व्यय के मध्य संतुलन इस हद तक बिगड़ा है कि विकास के काम अवरुद्ध हो रहे हैं। सरकार के अनुत्पादक खर्च बढ़े हैं। जबकि उत्पादक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध धनराशि में उल्लेखनीय कमी आई है। पांच वर्ष तक भाजपा की सरकार थी। महामहिम राज्यपाल महोदय इस सरकार के संवैधानिक मुखिया थे। उन्हीं की सरकार में यह अनुत्पादक खर्च बढ़े हैं। इन लोगों ने 100 लोगों का जम्बो जेट मंत्रि-मण्डल बना दिया था मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा मनमाने ढंग से जेब खर्च करते रहे और जनहित के कार्य की जगह चाय पानी पर करोड़ों रुपये व्यय कर दिए। इतनी फिजूलखर्ची बढ़ी कि 100 गाड़ियों का काफिला उसके बाद कारपोरेशन में एक-एक चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती देकर उनके साथ चार-चार एस्कार्ट लगाकर जनता की गाढ़ी कमाई को फूंक दिया। उससे आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। पांच साल जो लोग सत्ता में थे आज भी वह सत्ता में साझीदार हैं यह लोग ही प्रदेश को दिवालियेपन की ओर ले जाने के जिम्मेदार हैं। हमने इस पुस्तिका को गंभीरता के साथ पढ़ने का काम किया है।

लेकिन पहली बार, इस सदन की मैं 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूं। 77 से लगातार मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। मैंने पहली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई स्वीकारोक्ति नहीं देखी है। केवल एक सन्त की तरह प्रवचन कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। केवल एक आदर्श राज्य की कल्पना मात्र ही इसमें देखने को मिली है। इसमें यह नहीं कहा गया कि मेरी सरकार जनहित में क्या कार्य करेगी ? मेरी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी ? अपने इस अभिभाषण में प्रदेश की जनता को कुछ देने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, आज पूंजी निवेश की बात करते हैं कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिये औद्योगिक वातावरण तैयार किया जायेगा, उनको संरक्षण दिया जायेगा। मान्यवर, जहां पर विद्युत का उत्पादन शून्य हो गया है। पिछले दस सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है। पुराने संयंत्र खराब हो गये हैं, नये तो कोई लगे ही नहीं हैं। आज प्लान्ट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत भी नहीं रह गया है। पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा है तो ऐसी जगह कौन उद्योगपति उद्योग लगाने के लिये आयेगा ? कौन पूंजी निवेश करेगा ? जब दिल्ली से न्यायालय के आदेश पर उद्योग हटाये गये थे तो यह उम्मीद की जा रही थी कि यह उद्योग नोयडा या गाजियाबाद में शिफ्ट होंगे लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति, बिजली की स्थिति, यहां पर औद्योगिक वातावरण न होने के कारण कोई भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, हमारे दूसरे सदस्य का समय भी इसमें जोड़ दिया जाय और मुझको समय दे दिया जाय। मान्यवर, आज प्रदेश में औद्योगिक वातावरण कैसे बनेगा ? औद्योगिक विकास कैसे बढ़ेगा, यह मान्यवर, चिन्ता का विषय है। मान्यवर, प्रदेश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कानून व्यवस्था का राज कायम नहीं होगा, बिजली का उत्पादन नहीं होगा। जब तक यहां पर कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं होगी कोई उद्यमी यहां पर आकर पूंजी निवेश करने के लिये नहीं आयेगा। मंत्री जी लोग लम्बे-लम्बे डेलीगेशन लेकर विदेशों के दौरों पर जाते हैं, आठ-आठ अधिकारियों का दल विदेश के दौरे पर जाता है और कहा जाता है कि हम लोग बाहर से पूंजी निवेश जुटाने का काम करने जा रहे हैं। अप्रवासी भारतीयों को यहां पूंजी निवेश के लिये लाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर बता दें कि पांच साल में 100 करोड़ से भी अधिक का कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ हो। जब आपकी विश्वसनीयता नहीं है, साख नहीं है। उद्यमियों को विश्वास नहीं है कि आप उन्हें उद्यम लगाने के लिये कोई सुख सुविधा दे पायेंगे, बिजली दे पायेंगे सुरक्षा नहीं दे पायेंगे तो कोई भी उद्यमी यहां प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये नहीं आ सकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि समस्त प्रशासन तंत्र पूर्ण दक्षता के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन करें। अधिकारियों के अन्दर यह भावना विकसित की जायेगी कि जन मानस के कल्याण तथा नियमों का पालन ही उनका एक मात्र धर्म है। मान्यवर, जहां अधिकारियों का स्थानान्तरण ताश के पत्तों की तरह फेंका जा रहा है। प्रमोद तिवारी जी ने ठीक कहा था कि अधिकारी जब तक यहां आते हैं स्थानान्तरण आदेश लेने पता लगता है कि रात को उनका स्थानान्तरण किसी दूसरी जगह कर दिया गया। रात को दूसरा आदेश मिलता है तो सुबह दूसरा मिल जाता है। यही स्थिति कलक्टरों की बनी है। मुख्य सचिव को पता नहीं किसका स्थानान्तरण कहां हो गया। इस तरह से मनमाने तरीके से स्थानान्तरण हो रहे हैं। कोई नीति नहीं कोई नियमावली नहीं। पन्द्रह दिन पहले किसी अधिकारी को कोई विभाग मिलता है तो फिर 15 दिन के बाद उसको किसी दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। किस प्रकार से वह कार्य कर सकता है। एक विभाग के कार्य समझता नहीं है कि उसको दूसरी जगह पटक दिया जाता है। मान्यवर, जहां पर इस तरह से मनमाने तरीके से स्थानान्तरण हो रहे हैं, अधिकारियों के अन्दर स्थानान्तरण का भय व्याप्त हो वह कैसे काम कर सकता है ? इस तरह से लोगों की नियुक्तियां और ट्रांसफर किए जाएगें। प्रदेश का कल्याण ऐसे नहीं हो सकता है किसी एक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए प्रदेश की 16 करोड़ जनता के विश्वास को नहीं तोड़ा जा सकता है न ही इससे प्रशासनिक सुधार लाया जा सकता है। श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी नई सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, वक्तव्य होते हैं उससे हम उम्मीद करते हैं सरकार की प्राथमिकतायें क्या होंगी, सरकार प्रदेश को विकास की दिशा में कैसे ले जाएगी, कैसे जन-कल्याण का कार्य करेगी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ न करके स्थानान्तरण करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठी हैं पिछली सरकार के अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। अनुत्पादक खर्चों की कटौती की बात कही गयी। इनको आगे इतना बड़ा मंत्रि-मण्डल नहीं बनाना चाहिए जिससे प्रदेश की जनता पर अनावश्यक खर्चों का बोझ पड़े।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कर दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

श्रीमन्, पूर्व में एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग बना, उसने कुछ चीजें सुनिश्चित कीं, उसने कहा कि लोकतंत्र की सरकार जो बनेगी, उसमें प्रतिनिधियों के दस प्रतिशत से अधिक मंत्रि-परिषद का गठन नहीं किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

इसी आधार पर मंत्रि-परिषद का गठन होना चाहिए इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कोई चीज इस अभिभाषण में ऐसी दिखाई नहीं दी जिस पर हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते, इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रदेश की जनता ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी उस पर विराम लग गया और प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन भाजपा और बसपा ने मिलकर किया। आज जो चर्चा हो रही है, जो उद्गार व्यक्त होते हैं, यह परम्परा रही है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जो वह नीति और कार्यक्रम रखते हैं उसमें दोनों पक्षों में चर्चा होती है और उसमें से ऐसी बात निकलकर सामने आती है जिस पर सरकार गम्भीरता से विचार करती है। मैंने चर्चा को सुना है, ऐसा नहीं है कि सब वही बातें उठी हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अनेक ऐसे प्रश्न उठे हैं जिस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। गठबन्धन की हमारी सरकार बनी, लेकिन सपा की तरफ से बात आ रही है कि उसे सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, पहले तो सपा को ही सरकार बनाने का महामहिम ने अवसर दिया था लेकिन बहुमत की सूची प्रस्तुत न करने के कारण ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं। कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल गया होता तो यह बहुमत के नजदीक पहंच गए होते। लेकिन यह सत्ता से दूर रह गए। मैं कहना चाहता हूं संकट की घड़ी में एक दूसरे से

हाथ मिलाने की स्थिति होनी चाहिए। कांग्रेस समर्थन देती तो महामहिम राज्यपाल इनको बुला सकते थे लेकिन उसने समर्थन नहीं दिया।

(व्यवधान)

एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई। भाजपा ने निर्णय लिया था कि हम विपक्ष में बैठेंगे,बसपा ने भी निर्णय लिया था कि समर्थन नहीं देंगे लेकिन इस निर्णय से फिर चुनाव की ओर चले जाते, जब यह देखा कि सपा बहुमत में नहीं आ रही है कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही है और चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं है यह भी जरूरी नहीं था कि चुनाव के बाद कोई पार्टी बहुमत में आएगी इसकी गारन्टी नहीं थी, फिर भाजपा और बसपा का गठबंधन हुआ मैंने सदन में सुना कहा गया भाजपा और बसपा का गठबंधन बेमेल है लेकिन मैंने पहले से ही कहा था कि दोनों दलों के बारे में जो सोच विचार था उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, भाजपा का एकल मानववाद अर्थात् "सर्वजन सुखाय" का प्रतीक है तथा बसपा का सर्वजन हिताय दोनों विचारों में एकरूपता है। यह मेल नहीं तो क्या बेमेल है। इसे बेमेल कहना बिल्कुल निराधार और गलत है। इस नाते जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है यह इस कारण हुई कि अन्य दलों में मेल बैठाना मुश्किल हो गया। यहां पर मेल बैठा है और यह सरकार चलेगी। महामहिम राज्यपाल जी ने लोकतंत्र का गला नहीं घोटा है बल्कि लोकतंत्र की स्थापना की है। यह कहा गया कि नापाक गठबन्धन है। सपा और कांग्रेस का गठबन्धन अगर होता तो यह पाक होता। अगर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन होता है तो वह नापाक होगा। यह विपक्ष को कहने का अधिकार है और सत्ता को सुनना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न और उत्तर दोनों सदन में चलते है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नापाक किस तरह से होगा। अगर आपका गठबन्धन हो जाय तो वह पाक होगा और इधर हो वह नापाक होगा। अभी भारत पाकिस्तान की सीमा पर सेनाएं पड़ी हुई हैं। कब क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी बातें कहना उचित नहीं होगा जिससे प्रदेश का माहोल बिगड़े। कोई साम्प्रदायिकतावाद या कोई ऐसा वाद नहीं फैलाना चाहिए जिससे सौहार्द पूर्ण माहोल को आघात लगे। यही सामयिक भी है और यही उचित होगा। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया कि जाति, धर्म, सम्प्रदायवाद और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सबके हितों की रक्षा होगी, सबका कल्याण होगा तो फिर यह बेमेल गठबन्धन किस तरह से कहा जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो कार्यक्रम दिये गये हैं उन कार्यक्रम को लागू करने में, मैंने पहले भी देखा है कि माननीया मुख्य मंत्री जी में अधिकारियों से काम लेने की क्षमता है, सबकी सहमति से यह मेल बना है।

सबकी सहमति से एक नीति निर्धारित हुई है, उसको लागू करने में गठबन्धन की सरकार सफल होगी। दो पार्टियां एक साथ मिलने को तैयार नहीं दिखी थीं, आज कुछ पार्टियां, उदाहरण के लिए केन्द्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां पर 24 पार्टियों की सरकार है हमें भी कुछ दिन साझा सरकार को चलाने का प्रयास करना होगा। साढ़े तीन साल से केन्द्र में सरकार चल रही है और आज पाकिस्तान के विरुद्ध जब सारी पार्टी एक मत हैं, उसी तरह से यह हमारी साझा सरकार भी चलेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सिर्फ इनकी साझा सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश एक जुट है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, हर किसी को बोलने का अवसर है। एक-एक बोलेगा तो ठीक है लेकिन जब 4-4 लोग बोलेंगे तो कौन सुनेगा ? अनुमति लेकर बोलें चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्तीय स्थिति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि वित्तीय स्थिति जर्जर है। मैं पिछले 2 वर्षों तक वित्त मंत्री रहा। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति जर्जर और संकट ग्रस्त थी, लेकिन मेरे वित्त मंत्री बनने के बाद का ही परिणाम है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जर्जर के बजाय असंतुलित शब्द का प्रयोग किया है। मैं मानता हूं कि यह अभी भी कम है लेकिन इस सरकार ने संकल्प लिया है कि आय को बढ़ाकर नये स्रोतों को पैदा करके ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिससे आय बढ़े। मान्यवर, इस स्थिति में सुधार इसलिये आया कि हमने वही किया ज़ैसा भारत सरकार ने कहा फाइनेन्स कमीशन ने जो कहा वह हमने किया। हमारी सरकार बनने के बाद राजस्व घाटा घटता जा रहा है, हमारी वार्षिक आय भी बढ़ती जा रही है। कर्ज लेने की बढ़त की गति घटी है, व्यय की बढ़त की गति घटी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने फिर से संकल्प लिया है कि वह इस असंतुलन को दूर करेगी और आय के नए स्रोत पैदा करेगी। वसूली में तेजी लाई जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ध्वस्त हो गया तो वहां की जनता ने सरकार से कहा कि जो वेतन लेगा वह काम करेगा, जो सुविधाओं का उपभोग करेगा वह टैक्स देगा। इसके बाद 5 वर्षों में ही जापान ने जो प्रगति की वह विकसित देशों के लिए भी मिसाल बन गयी। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि जब टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो कहा जाता है कि जनता पर भार आ जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार स्रोतों को बढ़ाकर असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगी। एक बात माननीय प्रमोद कुमार जी ने कही है कि ऋण जमा अनुपात बहुत कम है यह सत्य है। यह डेढ़ साल से मैं भी बहुत चिल्लाया हूं बहुत कहा है यहां से लेकर दिल्ली तक और बाम्बे तक बहुत कोशिश की है इस समय 33 प्रतिशत के लगभग होगा जब मैंने चार्ज लिया था तो 23 प्रतिशत था। यह बहुत असंतोषजनक है खराब स्थिति है। हमारे प्रदेश का पैसा दूसरे प्रदेशों में लगता है मैंने पूरी कोशिश की है। वहां से 11वां वित्त आयोग आया, तो 10वें वित्त आयोग ने जितना दिया था। उससे ढाई गुना पैसा 11वें वित्त आयोग ने दिया है, उस लूट की भरपाई किया है, आगे और करने की जरूरत है। विपक्ष का भी इसमें साथ है इसकी हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि ऋण जमा अनुपात बढ़कर जो 60 प्रतिशत के करीब बैठ रहा है यह बढ़ाकर 70-80 प्रतिशत हो जाय ताकि निवेश ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रदेश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी एक जुट होकर समर्थन करके इसे पास करेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ बोलने का अवसर दिया। यह एक सरकार का कार्यक्रम है, जो पुस्तिका है, यह संक्षिप्त में है। इसमें लिखा है कि प्रदेश का विकास केवल सुरक्षा के वातावरण में ही संभव है। इसमें प्राथमिकतायें हैं अन्यायमुक्त, अपराध मुक्त और

भयमुक्त और विकासयुक्त वातावरण बनाने का, समाज बनाने का। मान्यवर, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज पूरा प्रदेश भय के वातावरण में जी रहा है। इस प्रदेश का हर व्यक्ति भय के वातावरण में जी रहा है यकीनन आज देश ही नहीं पूरी मानवता भय से कांप रही है। भय से मुक्ति जो दिलायेगा वह देश का नहीं, पूरा मानवता का महानायक होगा। अगर यह सरकार भय से मुक्ति दिला देगी तो हमारा पूरा दल इसका समर्थन करेगा। यह भय क्यों है ? यह वातावरण इतना भयावह क्यों है आज बद से बदतर वातावरण होता जा रहा है। भय से मुक्ति दिलानी है तो केवल कुछ लोगों को जेल में डाल देने से कुछ को सजा देने मात्र से यह वातावरण सुधरने वाला नहीं है। अगर वातावरण सुधारना है भय से मुक्ति दिलानी है तो मान्यवर, इस जेहनियत को देखना पड़ेगा। जिसने गोधरा में आग लगायी जिसकी वजह से पूरा गुजरात जल रहा है जिसकी लपटें हमारे प्रदेश को जला रही हैं। प्रभाव डाल रही हैं। यह वह जेहनियत है फिरका परस्ती का है। वह मनोवृत्ति और वह जेहनियत जब तक रहेगी हम भयमुक्त नहीं होंगे। भय का वातावरण भयावह होता चला जायेगा। आज जैसी खराब स्थिति कभी हमारे प्रदेश की नहीं रही है।

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' पीठासीन हुए)

यह सरकार भय से मुक्ति दिलाना चाहती है और यह इस सरकार की नीति है तो उस जेहनियत के खिलाफ लड़ना होगा। आज मानवता की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई, हमारी लड़ाई उसे जेहनियत से है जिसने गोधरा में आग लगायी थी और जिसकी वजह से गुजरात जल गया। गोधरा में क्रिया हुई प्रतिक्रिया हुई गुजरात में प्रतिक्रिया न एक दिन चली, दो दिन चली, हफ्ता भर, महीनों चलती रही। यह प्रतिक्रिया है हम पूछना चाहते हैं कि यह प्रतिक्रिया थी लेकिन गोधरा के नाम पर रथ यात्राएं क्यों, जन जागरण क्यों ? रथयात्रा और जागरण गोधरा के नाम पर यह साजिश नहीं तो और क्या है ? क्रिया-प्रतिक्रिया यह दोनों एक साजिश के दो पहलू हैं फिरकापरस्ती अगर रहेगी तो भयमुक्त समाज नहीं होगा। मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश सदियों से पीड़ा, दरिद्रता, अभिशाप, गरीबी और अपमान में जी रहा था। देश के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़कर उस अपमान के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ संघर्ष में आगे रहा था गुलामी की जंजीर बेड़ी थी तब गुलामी हमारे समाज की सबसे बड़ी दुश्मन ताकत थी आज फिरकापरस्ती है इसको दूर करना है। मुझे कहना है कि सन् 1933 में ऐसी ही हालत थी जब हिटलर जर्मनी के उस राजसिंहासन पर सोशल डेमोक्रेटी के कंधे पर चढ़कर उस गद्दी पर जर्मनी का दलित गरीबों के पैरोकार बैठने वाले थे। हिटलर गद्दी पर बैठा तो हुआ क्या रातोरात लाखों लोग मारे गये, सोशल डेमोक्रेट मारा गया। सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वह मारे गये। कुछ दिनों बाद दुनिया में लाशों का अम्बार लगा दिया गया। जिस देश का आदिवासी दलित है, गरीब है, समाज विकास के इस विकास के पड़ाव में इतिहास महापुरुष को जन्म देता है। मान्यवर, मैं यकीनन कहना चाहता हूं महापुरुषों की श्रेणी में मान्यवर काशीराम पैदा हुए उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया। इतिहास उनको भुला नहीं पायेगा। बहन मायावती जी सदन की माननीय नेता हैं आपको भी इतिहास देख रहा है और आप उत्तर प्रदेश की जनता को भयमुक्त करना चाहती हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपके अपने कंधे से फिरकापरस्ती की डोली उतार फेंके वर्ना इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

इसलिये मैं नेता सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की डोली माननीय मुख्य मंत्री के कन्धे से पटक दें, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग मारे गये, कत्लेआम हुआ। आज हमारी सरहदों पर हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान, हमारे बेटे मरने-मारने के लिये तैयार खड़े हैं, जंग जारी है, भले ही अपरोक्ष रूप से हो, मिसाइलें लगाई हैं। दशकों से हमने काश्मीर में क्या किया, क्या समस्या का हल हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया ? यह युद्ध केवल युद्ध नहीं होगा एटमी युद्ध होगा, सीमा पर इंटर कांटीनेन्टल मिसाइलें लगी हुयी हैं, दुर्भाग्य से कहीं बटन दब गया तो न गरिमामयी रहेगी, न परम्परायें रहेंगी, न सांसद रहेंगे और न हम रहेंगे और न आप रहेंगे। हमें अमन चाहिए अमन नहीं तो चैन नहीं। हम अमन के पुजारी हैं और युद्ध नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं होने देंगे। यदि यह युद्ध हुआ तो यह मानवता के माथे पर कलंक होगा। भयाक्रांत है। यह राज्यपाल का अभिभाषण केवल रस्मी है इसलिये मैं पांचवी बार इस विधान सभा में चुनकर आया हूं। इसलिये लड़ रहा हूं फिरकापरस्ती व गरीबी से। नक्सली आन्दोलन में मैं 7 साल जेल में रहा, मेरे पैरो में बेड़ी और हाथ में जंजीर थी, इन 7 बरस तक सूर्य व चन्द्रमा की रोशनी नहीं देखी, हिन्दुस्तान में किसी ने इतनी बड़ी यातना नहीं झेली यह कहकर मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने छोड़ा उधर बैठे लोग तो प्रदूषित हैं, हमारे ही लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई मामूली महिला नहीं हैं, आप भी इतिहास में दर्ज हैं, इसलिये इस डोली को पटक दें और इतना ध्यान रखें कि टण्डन जी को चोट न लगे। कम से कम पार्लियामेन्ट के भावी चुनाव फिरकापरस्ती से मिलकर न लड़ें और अगर कोई नहीं माना तो महानायक सोनिया गांधी भी आ रही हैं। मान्यवर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा जिला है, पूरा डूब जाता है। वहां कटान बन्द नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायें।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, फरेन्दा को जिला बनाया जाये। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि एचबी-2 की उस विद्युत केन्द्र को सुविधा मिली हुई थी वह काट दी गयी है ..... दिया जाय पुनः।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें।

श्री श्याम नारायण-

[XXX]

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जायेगा, कोई चीज लिखी नहीं जायेगी।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, [XXX]

नोट-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, मैं हर सभा में कहता था कि जिसे मैं चाहूंगा सरकार उसी की बनेगी, वह मुख्य मंत्री होगा। सरकार तो हमारी नहीं बनी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके साथ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप जो भी बोल रहे थे, मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में बोलते आपको सुना है, सदन के कुछ नियम होते हैं, समय निर्धारित होता है। आप आगे से ध्यान रखें। दो बार हो चुका है मैं समझता हूं कि तीसरी बार नहीं होगा।

श्री राकेश सचान-

मान्यवर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। आज 14वीं विधान सभा में जो चुनाव हुआ इस चुनाव में गांव के लोगों ने, किसानों ने समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया और वह नम्बर एक पर उभर कर आई लेकिन जनता की भावनाओं के अनुरूप महामहिम ने समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। जब हम लोग 6 तारीख को महामहिम के दरवाजे पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाय। आज हमारे बीच में वह सदस्य नहीं हैं मंजूर अहमद जी, जिनकी हत्या महामहिम के दरवाजे पर कर दी गई। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। सदस्य के नजदीक मैं उसी जगह पर खड़ा था। हम लोग जब आ रहे थे, हमारे सुरक्षा कर्मियों को रोक लिया गया कि वहां कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नर हाऊस और कहां से वह गुण्डा निकला और उसने मंजूर अहमद जी को गोली मार दी। आज उस हत्या काण्ड पर भी पर्दा डाल दिया गया। यह भी आज तक नहीं उजागर किया गया कि मंजूर अहमद की हत्या किन कारणों से हुई और क्यों हुई। आज मान्यवर, भयमुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त का जो इसमें अभिभाषण में चर्चा है, आपको जानकारी होगी कि अभी पिछली जो सरकार थी उस सरकार में जो दर्जा प्राप्त मंत्री थे, संतोष शुक्ला जी की हत्या थाने के अन्दर जहां पर दरोगा और सिपाही के लोग थे। अगर कहीं कोई आदमी असुरक्षित होता है तो थाने की ओर भागता है और थाने के अन्दर जिस तरह से हत्या हुई उसके बारे में प्रदेश की जनता जानती है। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं और हत्या में जो लोग लिप्त थे उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा। आज जब इस सरकार में बहन मायावती जी बैठ गईं तो वह तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, टाप 10 का अपराधी, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, पचासों हजार रुपये का इनाम था तमाम बसपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर अदालत में हाजिर हो गया। इस तरह से जब अपराधियों को संरक्षण दिया जायेगा तो इसका संदेश जनता के बीच क्या जाएगा ? आज भयमुक्त कौन है ? आज सब भयमुक्त हैं। आज हर व्यक्ति भयभीत है कि कहीं हमारे ऊपर एक्ट न लग जाय। जिस तरह से आज थानों में हमले हो रहे हैं और आज जिस तरह से अपराधी थानों में घूम रहे हैं और जिस तरह से आज संरक्षण दिया जा रहा है। इससे भयमुक्त समाज होने

वाला नहीं है। आज सदन में पिछले चार दिनों से चर्चा चल रही है और आज जो गठबन्धन है, इस गठबन्धन को जनता का विश्वास नहीं प्राप्त है। आज यह अवसरवादी गठबन्धन है। जो केवल सत्ता पाने के लिये भारतीय जनता पार्टी को किसी से भी गठबन्धन करना पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कार्यकाल में जिस तरह से पूरे प्रदेश में माननीय [xxx] तमाम जगहों का प्रकाशन किया विज्ञापन निकाला और तमाम जगहें निकाली, उसकी परीक्षाएं हुई। लेकिन एक भी बेरोजगार नौजवान को कोई रोजगार देने का काम नहीं किया गया जबकि हमारे गांव के गरीबों का करोड़ों रुपया जो गाढ़ी कमाई का पैसा था वह परीक्षा आदि में बर्बाद हुआ। आज जो श्री राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें कोई इस तरह की बात नहीं कही गयी है कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आज गांवों में बहुत बेरोजगारी है, हर गरीब के घर में पढ़े-लिखे नौजवान बैठे हैं, उसको रोजगार की गारन्टी देने की बात नहीं कही गयी है। स्कूलों में कई गुना फीस बढ़ा दी गयी है, वह फीस की मार गांव वाले नहीं झेल पा रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं की गयी है। मान्यवर, हमारे घाटमपुर में शुगर मिल है उसमें कानपुर, फतेहपुर और आसपास के किसान गन्ना देते हैं आज बकाये के चक्कर में वह मिल लेक्वीडेटर को दे दी गयी है और बंदी के कगार पर है। उस पर करोड़ों रुपया बकाया है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन दिया है उस पर बल देता हूं और जो हमारी मांगे उनको इसमें जोड़ा जाये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें आयी हैं उसको सही ढंग से लागू किया जाये। बिजली की गंभीर संकट है वह किसी से छिपा नहीं है, कल सदन में इस पर चर्चा हो रही थी। बिजली की आपूर्ति गांवों में नहीं हो रही है, गांवों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। पेयजल का गंभीर संकट है, कुयें सूख रहे हैं, वाटर लेबिल नीचे जाने के कारण हैण्ड पम्प भी नहीं चल रहे हैं। पेयजल की भी सरकार सही व्यवस्था करे। आजादी के 54 साल हो गये और 54 वर्ष बाद भी तमाम गांव हमारे क्षेत्र में हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाय यह मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। इसके साथ ही अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो नेता विपक्ष ने संशोधन रखा है उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कोई भी सरकार जब बनती है तो यह देखा जाता है कि जो सरकार चल रही है उस सरकार की डोली उठाने वाले कौन हैं। आज बहन मायावती जी की सरकार है, लेकिन इसकी डोली उठाने वाले लोग वहीं हैं जिन्हें कभी मायावती जी फरेबी, दगाबाज और धोखेबाज कह चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी जो कहार आज आपकी डोली उठाये हुये हैं उन कहारों से आप आने वाले समय में सावधान रहियेगा। कहीं ऐसा न हो कि आपकी डोली को यह कहार ऐसी जगह पटके कि आपको सांस लेने की नौबत न आये। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भाषण करते हुये माननीय टण्डन

नोट-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जी कह रहे थे, जो हमारे साथी ने गुजरात का सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल देश की संसद से संबंधित है, दूसरी विधान सभा का सवाल यहां नहीं उठाया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर से गुजरात को मत जोड़िये। काश्मीर के अन्दर दुश्मन हमको मार रहा है लेकिन गुजरात के अन्दर इनकी करतूतों से भाई-भाई का गला काट रहा है। काश्मीर का सवाल यहां पर उठाया गया, कौन रोक रहा है कार्यवाही करने से। जब-जब काश्मीर के अन्दर हमारे नौजवान मारे जाते हैं मिलीटरी के लोग मारे जाते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत हो गया देख लेंगे। जैसे मोहल्ले के अन्दर किसी छोटे गुंडे को जब बड़ा गुंडा मारता है तो छोटा गुंडा बार-बार कहता है अबकी मारा तो देख लेंगे उसी तरह से बार-बार हमारे देश के प्रधानमंत्री यह बात दोहराते हैं कि देख लेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री में ताकत है तो सारा विपक्ष उनके साथ है सारा देश उनके साथ है क्यों नहीं ताकत के साथ निपटने की कोशिश करते हैं । जब-जब वह खड़े होंगे अमेरिका की तरफ देखेंगे। जिस देश में अमेरिका की फौज है, जिस देश से अमेरिका के हित जुड़े हैं उस मुल्क के खिलाफ कभी अमेरिका हमला करने की इजाजत नहीं देगा और जब तक अमेरिका हमला करने की इजाजत नहीं देगा तब तक भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत नहीं है कि वह पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्यवाही करें। वह कार्यवाही करें पूरा विपक्ष और पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जनता की क्या हालत है। सारे अस्पतालों में जो डाक्टर हैं वह नर्सिंग होम में इलाज कर रहे हैं। गरीब को अस्पताल में एक टिकिया भी नहीं मिल रही है। गांव का आदमी जब बीमार हो जाता है तो उसकी खेती बिक जाती है और बीवी के जेवर बिक जाते हैं तब जाकर अपना इलाज कराने में सक्षम हो पाता है। यह सवाल इधर और उधर बैठे हुये लोगों का नहीं है यह सारे सदस्यों से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो यह पता चलता है कि जब गांव का आदमी बीमार होता है तो इलाज के नाम पर अस्पताल में उसको लूट लिया जाता है। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि इलाज की सुविधा कैसे दी जायगी और जो डाक्टर नर्सिंग होम में इलाज कर रहे हैं उन पर रोक कैसे लगायी जायगी ? इस अभिभाषण में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कही गयी है। मैं कानपुर शहर से आता हूं वहां पर अकेले काटन इंडस्ट्री में 1 लाख लोग काम करते थे, आज वहां की काटन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री सारी की सारी इंडस्ट्री ठप हो गयी हैं और कल कारखाने बन्द हो गये हैं जिससे मजदूर बेकार हो गये हैं।

राज्यपाल जी के अभिभाषण में कानपुर के कारखानों को खोलने के लिये कोई बात नहीं कही गयी है। वहां की बेरोजगारी कैसे दूर होगी इसका जिक्र नहीं किया गया है। बहिन मायावती की सरकार गरीबों को कैसे न्याय दिलायेगी। गरीब को चिकित्सा कैसे मिलेगी, कानून व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अपने संशोधन दिये हैं उनको इस अभिभाषण में जोड़ दिया जाय। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। विधान सभा के चुनाव हुए तीन माह हो गये थे कोई भी कल्याणकारी सरकार नहीं बन पा रही थी। उत्तर प्रदेश को गुण्डा राज से बचाने के लिए, अराजकता दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी व गठबन्धन तथा बहुजन समाज पार्टी मिलकर बहन मायावती के नेतृत्व में कल्याणकारी सरकार बनी है। प्रदेश में किसानों की,श्रमिकों की छोटे उद्योगों की बड़ी भारी तादात है। हमारी सरकार ने इन चीजों की तरफ गम्भीरता से विचार किया है। हमारी सरकार प्रदेश में पहली बार प्याज उत्पादक किसानों के 15 जिलों में 90 भण्डारगृह बना रही है। इसके साथ 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना बनी है।

प्रदेश में किसानों को खाद पानी, डीजल, उर्वरक आदि की उपलब्धता हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। किसान के उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले इसकी भी चिन्ता हमारी सरकार ने की है। प्रदेश में श्रमिकों की बड़ी भारी तादात है। नेता प्रतिपक्ष श्री आजम खां ने श्रमिकों के बारे मे बड़े घड़ियाली आंसू बहाए थे बड़ी भारी चिन्ता की थी उन्होंने उल्लेख किया था अपने पूर्व श्रम मंत्री होने का भी। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं उन्होंने बीड़ी मजदूरों का उल्लेख किया जब वह श्रम मंत्री थे तो बीड़ी मजदूरों की मजदूरी उन्होंने नहीं बढ़ाई थी मैं राजनाथ सिंह सरकार में श्रम मंत्री था। बीड़ी मजदूरों की मजदूरी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये हमने की थी और अन्य सुविधाएं भी दी थीं। होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूरों की चिन्ता खेतिहर मजदूरों की चिन्ता जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी मजदूरी 47 रुपये से बढ़ाकर 58 रुपये हमने की थी।

हमारी सरकार ने श्रमिकों की चिन्ता की है। इस प्रदेश में उद्योगों की बढ़ोत्तरी हो, पूंजीनिवेश हो इसलिए उत्तम वातावरण बनाने का हमारी सरकार ने प्रयास किया। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए सरकार ने इकोनामिक जोन भी बनाए हैं। हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के सम्बन्ध में चिन्ता किया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो शोषित हो, दलित हो, उपेक्षित हो, वंचित हो जिसको न्याय न मिल रहा हो उसे न्याय मिल जाए। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और भी बहुत सी योजनाएं गांव गरीब के बारे में शहरी रोजगार मिले इस तरह की व्यवस्था कराई गई है। हमारी सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया है, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। गांव गरीब के बालक विद्यालयों में पढ़कर आर्दश नागरिक बन सकें यह किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है। अपने नागरिकों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। इन सब बातों पर मायावती के नेतृत्व में सरकार खरी उतरेगी। मान्यवर, मैं कम समय में अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि उनको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय। मान्यवर, आमला विधान सभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल बन जाने के बाद हमको इस प्रदेश में जल, जंगल जमीन के बाद पर्यटन की सम्भावनाओं को तलाशना चाहिए। मान्यवर, यहां पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैन मंदिर और पाण्डवों के किले के लाइट एण्ड साउण्ड के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जा चुका है। मान्यवर, यहां पर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय चल रहा है उसमें बी0एस0सी0 का संकाय बन गया है लेकिन अभी कक्षाएं नहीं चल रही हैं। मान्यवर, बरेली-बान्दा मार्ग जर्जर अवस्था में है, उसकी स्थिति सुधारने के लिये वहां पर धन उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन अभी उसका बनना शुरू नहीं हुआ है। मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से पांडव का किला और यहां पर जो पक्षी बिहार है उसका विकास किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, जैसा कि पूरा प्रदेश, राजनीति करने वाले इस बात को जानते हैं कि आज बहुजन समाजवादी पार्टी, की सरकार बहिन मायावती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से मिलकर बनी है। आज पूरे प्रदेश की जनता चाहे झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, उद्योग पति हों, महलों में रहने वाले लोग हों, सभी लोग इस सरकार से खुश हैं। उन्हें मालूम है कि इससे पहले भी दो बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और पूरे प्रदेश के लोगों को एक अच्छा वातावरण प्रदेश में मिला। कानून व्यवस्था सुचारु रूप से चली। जहां तक अपराधियों का सवाल है, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हमारी पहली सरकारों ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर ऐसे लोगों को जिनसे प्रदेश की जनता दुःखी थी। बड़े पैमाने पर अपहरण, मर्डर, बलात्कार, लूट, इस तरह का कार्य करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। यह हमारी सरकार की जंवाबदेही है कि हम प्रदेश की जनता को भयमुक्त समाज दें। कानून का राज दें। आज पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छा वातावरण कानून के क्षेत्र में बना है। जहां तक विपक्ष में बैठने वाले साथी इस बात को बराबर कहते हैं कि यह बेमेल गठबन्धन है, बेमेल गठजोड़ है। यह पूरे प्रदेश में खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों में, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, पूरे प्रदेश में मुसलमानों को यह मैसेज देना चाहती है कि यह बहुजन समाज पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी नें जो मिलकर सरकार बनाई है यह मुसलमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में। आज हमारे नेता प्रति पक्ष जी बैठे हैं उन्होंने इससे पहले अपने भाषण में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का यह घोषणा-पत्र है, यह मैनिफेस्टो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। हमारा स्पष्ट घोषणा-पत्र है। आज मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों का खून बहाकर क्या करना चाहते हैं।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं क्या मुसलमानों के लिए तुम्हारा एजेन्डा है, क्या तुमने प्रदेश के मुसलमानों को भागीदारी देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दो बार सरकार बनी, कितने मुसलमानों को इनकी सरकार में मंत्री बनाया गया, कितने लोगों को मौका दिया गया।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष, आपको ही ठेका मिला, आपको ही मुसलमानों की जिम्मेदारी दी गई फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसके काफी समय बाद तक आपको जीरो रखा, लेकिन जब मुसलमान वोटों की

आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठा दिया, प्रदेश में तीन उपचुनाव हुए, किसी दल को बड़ा दल होने का नतीजा नहीं मिला, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी हिन्दू, मुस्लिम की लाशों पर राजनीति करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि वह मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन यह सही नहीं है बल्कि बहुजन पार्टी मुसलमानों की हितैषी है...

(मेजें थपथपाई गई)

बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में मुस्लिम मंत्री बनाने का काम किया है "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" इससे ज्यादा बेहयाई और बेशर्मी की क्या बात हो सकती है कि जब 1989 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1993 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई सरकार बनाने के बाद मान्यवर, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया।

(व्यवधान)

स्टेट गेस्ट हाउस में जो दो जून को बहन मायावती की हत्या का असफल प्रयास किया गया--(व्यवधान) मान्यवर, करोड़ों दलितों की बहन, बसपा की नेता बहन मायावती जी "जिसको अल्ला रखे, उसको कौन मार सकता है।" मान्यवर, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों से नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों ने जुमे की आज नमाज अदा नहीं की, मैं पांचों वक्त का नमाजी हूं लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का प्रमाण-पत्र नहीं चाहता हूं कि मैं नमाजी हूं। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और यह उसमें वक्फ मंत्री थे तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था "मेरा बस चले तो कलियर शरीफ की मजारों पर बुल्डोजर चलवा दूं," यह मस्जिद गिराने की बात करते हैं, फिर यह किस तरह मुसलमानों के हितैषी हुए, यह किस तरह मुसलमानों की हिफाजत करेंगे।

(व्यवधान)

यह कानून व्यवस्था बेहतर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि समय का अभाव है इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, जो संशोधन का प्रस्ताव है और जो धन्यवाद का प्रस्ताव गयाचरण जी ने रखा है उस पर तीन लोग बोलेंगे, समय कम है मैं समझता हूं, नेता प्रतिपक्ष जैसा कहें एक इधर से एक उधर बुलवा लें।

श्री बैजनाथ दूबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह कहा गया कि गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। हमारे यहां मदपुरा चीनी मिल है। वहां पर दो साल से गन्ना मूल्य बकाया है। मिल मालिक उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। किसान परेशान होकर भाग कर शहरों में रिक्शा चला रहे हैं। जब जिला प्रशासन से दबाव पड़ता है तो वे केन्द्र के नेताओं से टेलीफोन करवाते हैं। मान्यवर, 85 प्रतिशत गन्ने मूल्य का भुगतान बकाया है। 16.33 करोड़ रुपया बकाया है। मैं आपसे

निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाय। राज्यपाल के अभिभाषण में अपराध मुक्त भयमुक्त तथा विकास युक्त बातों का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, हमारे जनपद में ऐसे अपराधी हैं जो हत्याएं और लूट कर रहे हैं पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बरदहस्त है। चार्जशीट लगायी गयी है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको अरेस्ट कराया जाय।

हमारे एक भूतपूर्व सदस्य श्री राम देव मिश्रा हैं उनको कटरा बाजार के थानाध्यक्ष [× × ×] ने जूते में दाल पिलाने की कोशिश की। वे 16 साल से वहां पर पड़े हैं क्योंकि [× × ×] उनको वहां से हटाया जाय। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया है कि किसी के प्रति राग द्वेष पूर्ण या भेदभावपूर्ण काम नहीं करेंगे। मान्यवर, जो सवर्ण जाति कि गरीब हैं उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, वे लोग परेशान हैं लेकिन इसमें सवर्ण गरीबों की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं चाहता हूं कि सवर्ण गरीबों के लिए भी कोई योजना बनायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(डा0 शीमा रिज़वी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं!

"वह आये बज्म में मीर ने इतना तो देखा,
फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही।"

श्री अध्यक्ष-

आज रोशनी की इन्तिहा हो गयी। आप भी समझ सकते हैं।

*इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री (डा0 शीमा रिज़वी)-

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार से बेहतर होता है। इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों आया उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहती हूं लेकिन इस अवसर पर यह जरूर कहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को यह एहसास हो रहा है कि उसका वर्तमान और भविष्य उसका निर्धारण सही दिशा में उठाया गया सही कदम है मान्यवर, मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने अपने मंत्रिमण्डल का जो गठन किया है उसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय का ध्यान रखा है। इस अवसर पर मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहती हूं कि "पहले वर्ष ही हमवाश किया जाता है फिर नगमे का आगाज किया जाता है।"

श्री मो0 आजम खां-

अंज़ाम देखिए क्या होता ? और आपके आगाज का अंजाम तो होगा ही।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 शीमा रिज़वी-

मान्यवर, किसी प्रदेश की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रतिपक्ष के मित्र इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारा साथ देंगे। इस काम के लिए कुछ कठोर कदम उठाये जाएंगे। चाहे राजस्व की वृद्धि हो या करों की चोरी रोकने की बात हो। यह बात इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष के मित्रों को जो स्नेह जनता ने दिया है विधान सभा की सीढ़ियां चढ़ाई हैं तो इसलिए कि वे जनता के ख्वाबों को पूरा करें। मैं अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहना चाहती हूं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति उस समय सही हो पाएगी जब समरसता होगी और समरसता तब हो सकती है जब सामाजिक समरसता होगी तथा सामाजिक समरसता तब हो सकती है जब भय निकल जाए। अतः इस भय को निकालना आवश्यक है। यह भय तभी निकल सकेगा जब अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग सलाखों के पीछे हों जैसा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

4 मिनट हो गये।

डा0 शीमा रिज़वी-

मान्यवर, केवल कुछ बातें ही कहना चाहती हूं। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनीं तो कुछ लोगों के पसीने छूट गये। मैं समझती हूं कि इसी भय की आवश्यकता है। किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि प्रतिभाएं सामने आएं। विकृत मानसिकता के लोग सलाखों के पीछे हों।

श्री अध्यक्ष-

5 मिनट हो गये।

श्री मो0 आजम खां-

आप कहें तो हम आपकी कैद में बन्द हो जाएं।

डा0 शीमा रिज़वी-

मान्यवर, किसी को जाम, किसी को कतरा-कतरा। कुछ तो विपक्ष को धैर्य होना चाहिए। यहां पर उल्लेख किया गया उन लोगों का जिन्हें अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। आज आवश्यकता यह है कि उन्हें तालीम वह दी जाय जो आधुनिक हो आधुनिक शिक्षा से वाबस्ता हमारे नन्हें बालक निकलेंगे तब प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बन सकेगी। कान्धा से कान्धा मिलाकर वह अपनी प्रतिभाओं को सामने ला सकेंगे। मान्यवर, मैं भी उन्हीं में से एक हूं इसलिये यह कह रही हूं। मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी तादाद ऐसी है जो मदरसे में शिक्षा हासिल करती है। इन मदरसों को खास कर उन्हें शिक्षा से अरास्ता करने के लिये योजनायें बनायी गयी हैं ताकि इन मदरसों को कम्प्यूटरीकृत किया जाय। कम्प्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा से इस अल्पसंख्यक वर्ग को अरास्ता कर आगे निकाला जाय, यह कुंए के मेढक न रह जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 शीमा रिज़वी-

यह लोगों को बताने की आवश्यकता है कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के विषय में मैं कहना चाहती हूं कि हमारा महिला वर्ग आज किस तरह से, आज आप देखें एक महिला को नहीं सुना जा रहा है, यही महिला जो तीन घर संभालती है, एक जिसमें वह पैदा हुई है, दूसरे जिसमें वह ब्याह कर जाती है और शेष जिसमें वह बाकी जिन्दगी बच्चों के साथ गुजारती है। वहीं प्रतिपक्ष के लोग रामपुर तिराहे जैसी घटना की बात कहते हैं सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें हल्ला बाजी की प्रवृत्ति के लोग हैं वे वही भाषा समझते हैं। आज मुख्य मंत्री मायावती जी के शासनकाल में प्रत्येक महिला सुरक्षित महसूस कर रही है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) उसकी अंदर की छिपी प्रतिभा को अवसर देकर प्रतिभा को सामने लाकर उसे पूरा अवसर दिया जा रहा है।

मान्यवर, मैं समाप्त कर रही हूं, आज इसी स्थिति के चलते विपक्ष के कुछ लोगों की आशायें डोलती हुई नजर आ रही हैं। मान्यवर, हमें प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी सुदृढ़ करना होगा। बहुत सी योजनायें हम सामने लेकर आये हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है और यह उस समय मुमकिन हो जायेगा जब प्रदेश के तमाम लोग एक दिशा में सोचे। इसलिये प्रतिभाओं को सामने लाकर अवसर देने की आवश्यकता है। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपके साथ हमें विदेशों में जाने का अवसर मिला था उस समय यह महसूस हुआ था कि वहां पर बहुत से अप्रवासी ऐसे हैं जो इस प्रदेश में अपना धन लगाना चाहते हैं हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे यहां मस्तिष्क की कमी नहीं है, जरूरत है संसाधन उपलब्ध कराने की जिस समय हम संसाधन उपलब्ध करा देंगे यह उत्तम प्रदेश कहलायेगा। इसलिये योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से जिन योजनाओं को हमने बनाया है उन्हें हम पूरा करके दिखायेंगे।

"अजमें कामिल हो तो कश्ती लबे साहिल होगी

हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का।"

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मान्यवर धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

5 लोग हैं 2-2 मिनट में बोल लें।

श्री सिद्ध गोपाल साहू-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के महोबा क्षेत्र में से मैं आता हूं पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ वहां एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं यह अंधी बहरी सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर 90 प्रतिशत कुओं का पानी सूख गया है हैण्डपम्प सूख गये हैं और वहां पर गरीबों को पानी उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अभी कुछ नहीं किया गया है। वहां सैकड़ों चन्देल कालीन तालाब हैं जिनकी आज क्षमता कम हो गयी है। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को आदेशित करें कि उन तालाबों की खुदाई कराई जाये ताकि उनमें जल ग्रहण की क्षमता बढ़े। जो

कुवें सूख रहे हैं उनका वाटर लेविल ऊपर हो और हैण्ड पम्प का कोटा भी पचास से दो सौ किया जाय। इसके साथ-साथ बिजली विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में पचासों गांव ऐसे हैं जहां पर वर्षों से न तार है, न ट्रान्सफारमर है लेकिन बिजली विभाग 25-25, 30-30 हजार रुपये की आर0सी0 जारी कर रहा है उन आर0सी0 को वापस किया जाय। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का केन्द्र अन्य जनपदों की तरह महोबा में भी होना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो लोग ऐसे मजबूरी वश पलायन करने को मजबूर होंगे। प्रति दिन सैकड़ों लोग दिल्ली मजदूरी के लिए जाते है।

श्री किरण पाल कश्यप-

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है आजादी के 54 साल बाद भी वहां पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र में दो डिग्री कालेज खुलवाने की व्यवस्था की जाय। जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पिछड़े लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए उनको अन्य सुविधा देने के लिए जो बीपीएल बना है, जो मापदण्ड बना है वह सरासर गलत बना है। पूरे प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है और अपात्र व्यक्ति उसमें अन्य आ गये हैं। मेरी मांग है कि पात्र व्यक्तियों की बीपीएल की सूची में रखा जाय। सर्वेक्षण कर दोबारा बी0पी0एल0 की सूचना तैयार हो बिजली के बारे में समानता की बात कही गयी है मेरा क्षेत्र थानाभवन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर मिला हुआ क्षेत्र है। सहारनपुर में 24 और 22 घंटे बिजली जल रही है जबकि मुजफ्फरनगर में 6 और 8 घंटे तो यह असमानता नहीं हो क्या हैं जब समानता की बात है। मान्यवर, नेता सदन आश्वस्त करें कि अगर यह बात सही है तो पूरे प्रदेश में समान विजली की व्यवस्थां की जाय।

* श्री मदन गोपाल वर्मा-

मान्यवर, मैं फतेहपुर जनपद से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं को श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, जहानाबाद क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा है, विकास के नाम पर 54 साल हो गये आज तक कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई गयी जिससे वहां किसानों को गरीबों का भला होने वाला हो। वहां के हालात नाजुक हैं घाटमपुर रजबहा है वहां 13 साल से पानी नहीं पहुंचा है। और वहां का किसान बरबाद हो गया है। हम आपसे मांग करते हैं कि जो इस्टीमेट वहां का 92 लाख का बनाया गया है, उस पैसे को जल्दी दें जिससे वहां काम पूरा होकर सिंचाई हो सके। इसके अलावा मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, हमारे यहां बिजली मात्र दो घंटे आती है और वह भी एक दिन छोड़कर आती है। हमारे क्षेत्र में एक मवई धाम है, जो परमानन्दी का गांव है, एक बार वहां गर्वनर गये, एक बार मुख्यमंत्री गये और वहां पर सड़क बनाने की घोषणा की और पर्यटन केन्द्र बनाने की घोषणा की लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। हमारे जहानाबाद क्षेत्र में एक गौरी गांव है, जिसे अराजक तत्वों द्वारा लूट लिया गया, सारे घर लूट लिये गये, एक चम्मच भी नहीं बचा, जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना से वहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालोनी बनवा देंगे, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं हुआ। मैं नेता सदन से मांग करता हूं कि उनके मकान अविलम्ब बनवाये जायें। इसी के साथ, जो नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 13वीं विधान सभा में भी माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

आप अभिभाषण पर बोलें।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

मैंने 13वीं विधान सभा में नियम-51 के तहत एक सूचना दी थी, जिसके तहत अग्निशमन केन्द्र खोले जाने हेतु प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

इसका संशोधन से कोई मतलब नहीं, आप समाप्त करें। मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बुलवाये जाने का अनुरोध किये जाने पर-व्यवधान)

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर का क्षेत्र है, जहां लाखों लोग गंगा स्नान करने के लिये आते हैं, यहां बहुत बड़ा मेला होता है, जिसका प्रबन्ध जिला पंचायत करती है, लेकिन इस मेले का प्रांतीय जगत में कहीं नाम नहीं जुड़ा है, इसलिये मैं नेता सदन से मांग करता हूं कि इस मेले का प्रांतीय जगत में नामांकन किया जाय। वहां लाखों लोग मेले में आते हैं यहां पर माननीय मंत्री जी भी मौजूद होंगे, जिन्होंने बृजघाट देखा होगा और कई बार वहां से गुजरे भी होंगे और वहां पर आरती भी उतारी होगी। लेकिन आज तक वहां एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। आज तक वहां एक भी अस्पताल नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जबकि लोग वहां मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। वहां कोई भी सुविधा न होने के कारण दाह-संस्कार करना भी दूभर हो गया है। मैं नेता सदन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां विकास के लिये बजट दिया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अजीम भाई-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से विश्वास मत पर या राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है, दो शब्द ही यहां बार-बार आए हैं। एक शब्द के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा और विपक्ष में जितने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी उस पर जोर दिया है, वह शब्द है बेमेल। यह इसलिए कहा गया है कि दो दोस्तों की, दो व्यक्तियों की दोस्ती होती है जब उसमें विचारों की समानता होती है, यह दो पार्टियों की दोस्ती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की समानता है। जब भावनात्मक और विचारों में कोई समानता नहीं होगी तब गठबन्धन नहीं चल सकता। नेता सदन ने भी कहा है कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद हैं, विचारों में मतभेद हैं.....

(सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के 5 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब इसके बाद सत्तापक्ष से डा0 विनोद तिवारी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोलेंगी।

(भारी शोरगुल के बीच श्री अजीम भाई बोलते रहे लेकिन कुछ सुनायी नहीं दिया)।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

(श्री अजीम भाई तथा कई अन्य सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे उन्होंने अपने संशोधन के पक्ष में कहा था कि देश की जितनी बर्बादी 5 वर्षों में हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मान्यवर, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वे स्वयं को देखें। अगर इनको आलोचना करनी है तो ये माननीय प्रमोद कुमार जी की करें जिन्होंने इनको सरकार बनाने में मदद नहीं की। लेकिन सपा के लोग भूल गये हैं कि जब श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी उस समय समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। इसी कारण आज कांग्रेस पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो वह समाजवादी पार्टी ही है। मान्यवर, कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। कश्मीर आज जल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या के लिए अगर कोई दोषी है तो वह प्रमोद कुमार और उनका दल, कांग्रेस पार्टी ही दोषी है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समस्या के समाधान के लिए वहां की यात्रा कर रहे हैं। मैं माननीया नेता सदन से कहना चाहता हूं, वह वधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जायगा। मान्यवर, सपा और कांग्रेस के लोग यह प्रचार कर रहे थे कि मायावती जी की सरकार बनने पर एससी/एसटी का दुरुपयोग होगा लेकिन माननीया नेता सदन ने घोषणा की है इसलिए वह बधाई की पात्र हैं। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बुन्देलखण्ड में और पूर्वांचल में निधि बनायी गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि तराई की बेल्ट पूरे देश को धान गेहूं और गन्ना उत्पादन करके देती है लेकिन तराई का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी तराई निधि बनाने की कृपा करें। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने

कहा था कि विश्व हिन्दू परिषद के 10 हजार लोगों ने त्रिशूल धारण करने की चेष्टा की या कर रहे हैं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि त्रिशूल धारण करने वाले तो भोले नाथ हैं, जिन्होंने सागर मन्थन के समय जब 14 रत्न मिने थे, तब हलाहल को अपने कण्ठ में लिया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह दरअसल त्रिशूल धारण कराने का कार्य अपनी रक्षा के लिये कराया जा रहा है। जहां आवश्यकता होगी इसका उपयोग दुष्टों के दमन के लिये भी होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अब बैठ जाएं, अब आपका समय समाप्त होता है। अब एक भी माननीय सदस्य नहीं बोलेगा। कृपया शान्त बैठें। माननीय पाल जी मैं किन शब्दों में आपके व्यवहार की भर्त्सना करूं। मैं खड़ा हुआ हूं पीठ पर फिर भी नहीं मान रहे हैं। आपकी रोज की यही आदत है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ संकट तथा गन्ना मूल्य भुगतान पर नेता सदन द्वारा प्रकाश डाले जाने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

आज पूर्वाह्न में माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये थे। उनमें एक प्रश्न था पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के संकट से सम्बन्धित और दूसरा प्रश्न था गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में। मैंने सदन को यह सूचित किया था कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण देने के लिए खड़ी होंगी तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन बिन्दुओं पर भी वह प्रकाश डालें।

समाजवादी पार्टी के उप नेता को बोलने का समय दिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष से अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी से पहले हमारे उप नेता को बोलने दिया जाय। अगर समय न हो तो मैं अपना समय इन्हें दे दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपना समय इन्हें दे देंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद संशोधन प्रस्ताव पर आप बोलेंगे, आपके पश्चात् जो प्रस्तावक हैं गयाचरण दिनकर जी वह बोलेंगे।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अगर किसी वजह से वह न बोले तो शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष जी-

समय की बात है और कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं पूर्वाह्न से बारबार कहता रहा हूं कि सदन की कार्यवाही में अनावश्यक समय न लिया जाय। 4.35 तक माननीय उप नेता अपनी बात समाप्त कर दें। समय सकरा है और दिल बड़ा है लेकिन हमें समय के अन्दर सबको समायोजित करना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके पीछे जो घड़ी है उसमें मुझे 4.35 नजर आ रहा है। मान्यवर, इस सदन में दो मिनट अगर आपने मुझे समय दिया है तो मैं इसे आपकी कृपा पर ही खर्च करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं जानता हूं कि आप संक्षेप में बोलने में विश्वास करते हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री गयाचरण दिनकर द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो विगत 4 दिनों से चर्चा चल रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के अन्य सभी नेतागण, दूसरे सभी सदस्यगण और स्वतः अपने द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे बहुत संक्षेप में अपनी बात रखनी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन जितना समय चाहिए उतना दे दीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपकी एक सीमा है लेकिन फिर भी मुझे मेरा अवसर देने की आप कृपा करेंगे। आपकी हम पर बहुत कृपा है। मान्यवर, महामहिम श्री विष्णुकान्त शास्त्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की यह प्रति मिली, उनके अभिभाषण का एक भी शब्द सुनने को तो मिला नहीं। मैंने इसका बहुत गम्भीरता से अध्ययन किया है और मैं इतना जानता हूं कि यह राज्यपाल महोदय का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं है। इसमें लिखा गया एक-एक शब्द सरकार की नीतियों का दस्तावेज है। इसमें राज्यपाल महोदय का अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी राज्यपाल के प्रति नहीं कहूंगा। इस सरकार ने जो तैयार किया, उसको परम्परा के अनुसार महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री जी ने अभिभाषण के रूप में पढ़ने का काम किया है। मान्यवर, जिन किन्हीं परिस्थितियों में यह साझा सरकार दो दलों की बनी है, बहुत जोरदारी से प्रतिवाद किया गया कि यह 'बेमेल' नहीं है। काफी चर्चा हो गयी है, उसको दोहराऊंगा नहीं। आमतौर पर परिपाटी यह है कि जब कई दलों की साझा सरकारें बनती हैं तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनता है। 3 मई को इस सरकार के शपथ ग्रहण के समय तक कहीं नहीं बताया गया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है ? लेकिन माननीया मुख्य मंत्री जी ने सदन में अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र किया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ संख्या-3 पर यह कहा गया है कि "मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा कि प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा हो" इसके पहले भी एक सरकार थी। जिस सरकार के बारे में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, स्वतः माननीया मुख्य मंत्री जी ने तथा इनके दल के साथियों ने जो-जो बातें कही हैं, उसको दोहराऊंगा नहीं लेकिन वह सरकार 3-3 मुख्य मंत्रियों के होते हुए, अन्यायमुक्त, अपराध मुक्त, भय, भूख और भ्रष्टाचार का नाम लेकर ही काम करती रही। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों का जिक्र नहीं किया गया है, न माननीया मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा, न जानकारी दी, बसपा ने अपना मेशन तो छोड़ ही दिया, क्या सिर्फ राजपाट पाने के लिए अपने दल के सभी कार्यक्रमों को छोड़कर ूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को स्वीकार करके समर्पण करने का काम किया है। एक बात बड़े जोरदारी के साथ कही जा रही है जिससे आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था र्जर है। अभिभाषण में भी कहा गया है कि "आय और व्यय के मध्य संतुलन इस हद तक बिगड़ा है कि विकास के काम अवरुद्ध हो रहे हैं।" तत्कालीन वित्त मंत्री श्री हरीश जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, डेढ़ साल तक वित्त मंत्री रहे ने भी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, 3 जून, 1995 से लेकर और आज तक जितने लोग वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री रहे हैं और जिनके इस कार्यकाल में प्रदेश की

अर्थ-व्यवस्था जर्जर होकर वहां तक चली गयी है जो सबके चिन्ता का विषय हो गया है और महामहिम के चिन्ता का विषय हो गया हो तो इससे स्वतः अपने आप स्थिति स्पष्ट है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को तबाह करने के लिए जो अपराधी हैं उनको दंडित करने की कोई चर्चा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं की गयी है। अगर यह छूट गया है और माननीय नेता सदन इस प्रदेश को बदहाली से निकालना चाहती हैं तो ऐसे अपराधियों को दंडित करने के लिये घोषणा करें। मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं-भा0 ज0 पा0 और ब0 स0 पा0 के गठबन्धन को माननीय नेता सदन बेमेल न समझें, टण्डन जी ने भी कहा है कि बेमेल नहीं है, एकमेल और एकसार है, आप मान लीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी सदन में चर्चा आयी थी, समाजवादी पार्टी और ब0स0पा0 का गठबन्धन हुआ था और यह गठबन्धन टूटा। तल्ख और तीखे अनुभव हुये। यहां पर 2 जून का जिक्र आया था और 21 अक्टूबर का जिक्र भी आया था। 2 जून को क्या हुआ यह हम जानना चाहेंगे। 2 जून के बारे में जितनी गलत बयानी हुयी है, गैरजिम्मेदाराना बातें हुयीं हैं उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं हो सकती हैं।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, स्टेट गेस्ट हाउस में आप भी थे और मैं भी था और माननीय नेता सदन भी थीं। अध्यक्ष जी, 2 जून की घटना के आप गवाह नहीं हैं लेकिन 21 अक्टूबर की घटना के आप गवाह हैं। 21 अक्टूबर की घटनाओं को देश और दुनियां के लोगों ने मीडिया में देखा। जब वह गठबन्धन टूटा तो आपके साथ यहां पर क्या सलूक हुआ था उसको सारी दुनियां ने देखा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री सुखदेव राजभर-

जिस चीज का आपने उल्लेख किया वह सही है आप और हम वहां थे। जिस तरह से विधायकों को गाड़ी में भरा जा रहा था उसके रामअचल राजभर जी गवाह हैं। लोग सड़क पर गिर रहे थे उसको सबने देखा है।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 21 अक्तूबर की जो घटना हुयी, नेता सदन यहां बैठी हुयी हैं, लाबी के दरवाजे तोड़कर जिस तरह उनको सुरक्षित लेकर गये सबने देखा है। जिन लोगों ने उनकी जान को खतरा पैदा किया वही लोग थे जिनकी कलाई पर आपने कभी राखी बांधने का काम किया था।

यह हिन्दुस्तान है जहां एक मुस्लिम भाई हाथ पर राखी बंधवा लेता है तो वह राखी की लाज रखने के लिये जान की परवाह नहीं करता है लेकिन आपके बगल में आपके भाई बैठे हुए हैं यह उस समय आपकी जान के प्यासे थे। वह दृश्य हमने देखा है। सारी दुनिया ने देखा है। आप उत्तेजित हो जाते हैं जब मा0 अतीक अहमद 21 अक्टूबर की घटना को आपको याद दिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

समय सीमा से अधिक समय लिये जाने तथा उत्तेजनात्मक वाक्यों के प्रयोग करने पर श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अम्बिका चौधरी-

नेता सदन कहती हैं कि मैं लोगों की आंखों में आंसू ले आऊंगी। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। जिसके दिल में करुणा आंखों में आंसू नहीं होगा तो उससे इस प्रदेश की पीड़ित जनता का भला नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह गांधी का देश है। बुद्ध और कबीर का देश है दिल में करुणा आंखों में नमी नहीं होगी तो प्रदेश की जनता के दर्द को दूर नहीं किया जा सकता। तिलक तराजू-तलवार की बात मैं नहीं कहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कभी-कभी जरूरत से ज्यादा मुरौवत ठीक नहीं होती।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस आशा से समय दिया था कि आप जल्दी संक्षेप में अपनी बात रख देंगे। लेकिन सदन के अन्दर उत्तेजना पैदा करने वाली बातें नहीं होनी चाहिये। मेरा निर्देश मानिये समाप्त कर दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब लिखा नहीं जाएगा।

निर्देश के बावजूद आपने अपनी बात समाप्त नहीं की।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जाएगा। मैंने जब निर्देश दिया उसके बाद जो माननीय सदस्य ने बोला वह एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा। यह परम्परा गलत है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

पीठ के निर्देश के बावजूद कि माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें वह लगातार बोलते रहे। अब वह चाहे समझने वाली बात हो या न समझने वाली बात हो, वह लिखा नहीं जाएगा। माननीय सदस्य के कहने पर मैंने समय बढ़ा दिया। दो मिनट के लिये कहा लेकिन वे फिर भी बोलते रहे। आखिर कोई समय सीमा तो होगी। मैंने एक माननीय सवस्य को रुष्ट कर दिया। असीमित समय तो नहीं मिलेगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

उत्तेजनात्मक वाक्यों के प्रयोग से सदन में उत्पन्न स्थिति की रिकार्डिंग इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा न किये जाने हेतु निर्देश

श्री अध्यक्ष-

इलेक्ट्रानिक मीडिया कोई भी रिकार्डिंग नहीं करेंगे।

(समाजवादी पार्टी के सवस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे। [x x x] नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

इलेक्ट्रानिक मीडिया कोई भी रिकार्डिंग नहीं करेंगे। इस दृश्य को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। अगर रिकार्डिंग की गई और किसी भी चैनल पर प्रदर्शित किया गया तो सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन दोनों की कार्यवाही की जायेगी।

(नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मार्शल, रिकार्डिंग अगर हो गई हो तो कैमरे जब्त कर लीजिये। किसी ने रिकार्डिंग की हो तो जब्त कर लीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 5 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 5 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन पुनः प्रारम्भ होने पर।)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पीठ द्वारा श्री जगदम्बिका पाल के प्रति भर्त्सना शब्द का प्रयोग किये जाने विषयक प्रकरण पर स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष-

अभी स्थगन की कार्यवाही के पूर्व मैंने कहा था कि मैं जगदम्बिका पाल जी की भर्त्सना करता हूं। मेरे कहने का आशय यही था कि पीठ खड़ी है तो उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिये था। "भर्त्सना" शब्द को दूसरे अर्थों में न लें, इसका कोई दूसरा अर्थ न लगायें इसका कोई दूसरा आशय नहीं था।

श्री प्रमोद कुमार-

इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी को मैंने समय दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया है। कभी-कभी हम अपनी भाव भंगिमा से उत्तेजना का वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिये, इसका ध्यान रखा जाना चाहिये कि सदन में उत्तेजना न हो।

थोड़ा बहुत तो इधर से कह दिया उधर से कह दिया चलता है इससे सदन की जीवन्तता बनी रहती है सदन की जीवन्तता के लिये यह जरूरी है। चौधरी जी पांच मिनट का समय आपको दिया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुकम्पा है, श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 2 अक्टूबर की घटना का जिक्र इस तरह से किया जाता है क्षमा करें। 2 जून की घटना का जिक्र हमेशा दूसरे अंदाज में किया जाता है, इसलिये मैंने इसका जिक्र किया। दो दलों के मिलने से जो गठबंधन हुआ फिर सरकार बनी राजनीति में गठबंधन होते हैं लोग मिलते हैं, चले जाते हैं, कुछ फायदा देखकर मिल जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, जैसे 21 अक्टूबर को गठबंधन टूट गया, अब फिर टूटेगा, एक छोटी सी घटना के बारे में इतना जोर दिया गया और उससे बड़ी घटना के बारे में जोर नहीं दिया गया। बार-बार गठबंधन के काम हुए हैं, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर को कमाण्डो न आते तो जाने क्या होता लाबी न टूटती तो कु0 मायावती जी जीवित न बचती मान्यवर,जब भी मायावती मुख्य मंत्री बनती हैं तो प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग शुरू हो जाता है जब वह उत्तर देंगी तो इस बारे में बतायेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारी डेढ़ कमिश्नरी के बराबर है और 800 लोगों के ट्रांसफर हो गये। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में चार सौ आई0ए0एस0 अधिकारी हैं उस हिसाब से उसमें आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 अधिकारी होंगे। फिर सारी कमिश्नरी चपरासी और क्लर्क मिलाकर 800 की होगी। पंजाब में इतना बड़ा कैडर है ही नहीं कि 800 लोगों के ट्रांसफर हो जाये तो यह जरूर स्पष्ट होना चाहिये। मैं अनाड़ी सदस्य हूं मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। अखबारों में खबरें नही छापी जायेंगी, कितने ट्रांसफर होंगे और एक अधिकारी का हफ्ते में तीन बार ट्रांसफर किया जायेगा। एक अधिकारी का चौथी बार एक हफ्ते में ट्रांसफर किया जायेगा ताश के पत्तों की तरह पूरी नौकरशाही फेंटी जायेगी। मुख्य मंत्री सचिवालय के लिये 7-8 सचिव बनाये जायेंगे जो विभाग, दूसरे मंत्रियों को

आवंटित होंगे उनका भी माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव लेखा जोखा रखेंगे, तो माननीय मुख्य मंत्री जी यह सब आडम्बर करने की जरूरत नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं। अगर सब खर्च काट दिया जाय किसी मंत्री और सचिव की आवश्यकता न हो तो आप 7 क्यों 27 सचिव रख दीजिये। फैडरल स्ट्रक्चर की बात कही गयी कहां तक सही है?

(व्यवधान)

गेहूं क्रय की बात कही गयी। इसमें सदन में चर्चा हो चुकी है, राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी चर्चा हो चुकी है मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। यह कहा गया कि सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन आपने तो इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को ही चौपट कर दिया है। तीन साल में जो चुनाव होने थे उसको आपने बढ़ाकर, अध्यादेश लाकर, पांच साल कर दिया इनको मजबूत करने की बात की जा रही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि बिजली की चर्चा हो चुकी है। एक मिनट भी बिजली की चर्चा न की जाय तो अच्छा न होगा। बिजली के बारे में भाषण में बातें कही गयी हैं लेकिन मैं कहूंगा नहीं। पिछड़े वर्ग के लिये अभिभाषण के पृष्ठ-22 में दर्ज है "पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पुत्री की शादी तथा उपचार के लिये आर्थिक सहायता की योजना का जिक्र किया गया है। जब पहली बार हिन्दुस्तान में पिछड़े वर्गों के हितों के लिये मण्डल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का साहस दिखाया था, जो ऐतिहासिक कृत्य किया था, वह हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये आजादी के बाद हिन्दुस्तान में काका कालेलकर की रिपोर्ट और उसके आगे जितने भी लड़ाई चलती रही किसी ने अगर लागू करने का काम किया तो वह माननीय मुलायम सिंह जी ने किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बीच में टोका टाकी न करें । माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में उसका जवाब देंगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और एक बाबू की पोस्टिंग से लेकर थाने के दरोगा की पोस्टिंग से लेकर प्रशासन के जो उच्च पद पर हैं जब-जब मायावती जी और इनके साथी आये हैं, बहन जी के भइया आये हैं पिछड़े वर्गों के साथ क्या हुआ यह प्रदेश जानता है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इन पिछड़े वर्गों की चिन्ता मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। हम इन्हीं पिछड़े वर्ग की ताकत महागठबन्धन बनायेंगे। हम इन 56 प्रतिशत की अनदेखी नहीं होने देंगे। मान्यवर, पिछड़ों की उपेक्षा लम्बे समय तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह लड़ाई सदन के अन्दर और बाहर मा0 मुलायम जी के कार्यकर्ता करेंगे।

(व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

कृषि, पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, श्री अम्बिका चौधरी जी गुजरात के मुख्य मंत्री का उल्लेख कर उन पर आरोप लगा रहे हैं यह संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है। इसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही देख लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सारी दुनिया यह मांग कर रही है कि [× × ×] जो सामने बैठे थोड़े से दुखी हैं, पीड़ितों के हमदर्द हैं हमें उन सबके साथ हमदर्दी है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

"साथ किनारों तक चलकर ही खुद को मीत समझने वालों मैं तो मीत तभी मानूंगा मझधारा में साथ चलोगे।" लाल जी टण्डन जी को हमारी बड़ी पीड़ा है, यह पीड़ा तभी शांत होगी जब हम वहां आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य और नेता समाजवादी पार्टी श्री अम्बिका चौधरी जी का बड़ा सम्मान करता हूं और उन्होंने आरक्षण के बारे में जो बात कही है मैं उसी के बारे में कुछ ऐसी चीजें कहना चाहता हूं ताकि आपका भ्रम दूर हो सके। मान्यवर, आप भी जानते हैं आप भी सरकार में रहे हैं, आज उस पीठ पर हैं।

श्री अध्यक्ष-

सबसे पहले आपने किया था, उत्तर प्रदेश में आपने ही किया था।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम नरेश यादव-

उधर के लोग क्या कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, उनकी नीति, कार्यक्रम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं किस तरह की सोच है, विचार हैं वह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जगह-जगह पर विरोध हुआ था मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि जो सदन का रिकार्ड है वह सही रहे।

श्री अध्यक्ष-

सदन के अभिलेखों में आपकी बात आ गयी।

श्री राम नरेश यादव-

1977 में उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत आरक्षण राम नरेश यादव ने दिया था यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

उप नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में कहा था कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को हिन्दुस्तान में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने लागू किया था तो वह उत्तर प्रदेश ने किया था और मण्डल कमीशन की सिफारिशों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस सदन में लागू किया था (मेजों की थपथपाहट)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष, माननीय राम नरेश यादव जी के प्रति मैं श्रद्धावनत हूं उनके सम्मुख । जब वे 1977 में मुख्य मंत्री थे 15 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों का सबसे पहले उन्होंने लागू किया था मैंने आरक्षण की बात नहीं की है। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के निमित्त 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का काम सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया था। यही मैंने कहा था।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें, मेरी अनुमति के बगैर जो बोलेंगे लिखा नहीं जायेगा। आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आखिरी बात कह दूं, इस सदन के चार बार सदस्य रहे और दो बार सांसद रहे। श्री मित्रसेन यादव जी के बेटे आनन्द सेन इस समय विधायक हैं मित्रसेन जी व आनन्द सेन के प्रति फर्जी मुकदमे लगाने की बात है, यह पूरी सूची मेरे पास है मैं इसकी प्रति आपको भिजवा रहा हूं, इसकी ऐसे किसी अधिकारी से जांच करा लीजिये जिसे डी0 एम0 प्रभावित न कर सकें। निष्पक्षतापूर्वक जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आखिरी बात कहकर--

"सितमगर वक्त के तेवर बदल जाए तो क्या होगा"

हमारा सर तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा"

"अमीरों कुछ न दो, गाली तो न दो इन फकीरों को

जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा।"

मान्यवर, आपने इस चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं द्वारा प्रस्तुत व अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जैसे नये सदस्य को बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित नेता सदन, सम्मानित नेता विपक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता प्रमोद कुमार जी, मैं सभी का आदर करते हुए इस अभिभाषण को जो सरकार का कार्यदर्शन है इसके विरोध में अपना संशोधन रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में भय, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय का जो आंकड़ा है उसमें एक वर्ष में 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हीनियस क्राइम बढ़ा है तो किस प्रकार यह भय का वातावरण खत्म होगा। इस प्रदेश से, भूख के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आबादी दिन रात बढ़ती जा रही है जब 1947 में 35 करोड़ आबादी थी तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे और 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले थे। आज एक अरब 4 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हैं और 20 करोड़ बेरोजगार की संख्या है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक यह बात कहना चाहता हूं पिछली सरकार के 10 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट आपके सामने है। मैं आदरणीय टण्डन जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को इस सदन के सामने रखा जाय और उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, नेता सदन हमारे सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं सहारनपुर की जनता की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं उन्होंने इस विधान सभा में सहारनपुर की सीट हरोड़ा को अपने पास रखी और वहां के नाम को रोशन किया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार 12 वर्ष से आपके प्रदेश में काम कर रही है। मैं अनुरोध करता हूं टण्डन जी से कि 12 वर्ष के अन्दर इस प्रदेश में कितने उद्योग बन्द हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए उसका आंकड़ा आपके समक्ष रखा जाये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की बिजली और पानी की दिक्कत आपके सामने है नये-नये रोजगार की बात कही गयी है इस अभिभाषण में कि नये उद्योगपतियों को लाया जायेगा तो जब बिजली नहीं, पानी नहीं तो किस प्रकार प्रदेश में नये उद्योग-धन्धे स्थापित होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपको धन्यवाद देते हुए इस अभिभाषण के विरोध में अपना मत व्यक्त करता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है अगर आप अवसर दे दें। मेरे ऊपर बार-बार आरोप लग रहा है, जैसे कोई बड़ा पाप कर दिया है, सरकार बनाकर के।

श्री अध्यक्ष-

आप आकर्षण के केन्द्र हैं, इसलिये आपको सम्बोधित किया है।

श्री लालजी टण्डन-

लेकिन मान्यवर, हमारे ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता है कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा दीं लेकिन जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस समय श्री कल्याण सिंह जी के ऊपर आरोप लग रहा था कि उन्होंने तुड़वा दी।

नेता विरोधी दल (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, निधन के निर्देश के बाद जब चर्चा शुरू हुई थी, तब नेता सदन ने गुजरात से शुरू किया और जब चर्चा समाप्त हो रही है, तब लालजी टण्डन जी ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर समाप्त किया है। मैं नाम तो नहीं लूंगा कि कौन किसके साथ है लेकिन आज भी यह पक्ष भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस घिनौने चरित्र की निन्दा करता है। यह बाबरी मस्जिद शहादत की भारतीय जनता पार्टी ने और सहयोग दिया बहुजन समाज पार्टी ने । इसलिये मान्यवर, मैंने उधर बैठे हुए 14 [×××] विधायकों से कहा था कि अपने जमीर की आवाज पर वोट देना।

(दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी पर व्यवधान)

हमें आज लालजी टण्डन से शिकायत नहीं है, बाबरी मस्जिद की शहादत करने वालों से शिकायत नहीं है, हमें तो इन 14 [×××] विधायकों से शिकायत है, मैं इस सदन में आपके माध्यम से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन में सभी विधायक हैं, न कोई हिन्दू है, न कोई मुसलमान है।

श्री मो0 आजम खां-

सदन की कार्यवाही गुजरात से शुरू हुई और बाबरी मस्जिद की शहादत पर खत्म हुई और 14 [×××] विधायक आज भी सरकार की वैशाखी बने हुए हैं। इन 14 विधायकों की कामयाबी पर मैं इनको मुबारकवाद देना चाहता हूं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर-व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर पिछले 4 दिनों से चर्चा चल रही है और इस चर्चा में सभी दलों के माननीय सदस्यों से अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों का उल्लेख किया गया है। जिन पर सत्ता पक्ष की ओर से बहुत कुछ बोला जा चुका है। इसलिये मैं मुख्य 3 बातों की तरफ ही सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। सबसे पहले कानून व्यवस्था दूसरा विकास और तीसरा आर्थिक स्थिति और राजस्व। यह जो 3 मुख्य बातों की तरफ मैंने सदन का ध्यान आकर्षित कराया है, इन तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कानून व्यवस्था का सम्बन्ध विकास से जुड़ा हुआ है और विकास का सम्बन्ध प्रदेश की आर्थिक स्थिति और राजस्व से जुड़ा हुआ है। हम कानून व्यवस्था को लें तो प्रदेश में बढ़िया कानून व्यवस्था बनाने के लिये अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त और भयमुक्त वातावरण पैदा करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिये खास तौर से प्रदेश में किसी भी प्रकार का अन्याय हो अपराधी हो, जो अपराध करते हैं या ऐसे एलीमेंट जो प्रदेश में भय का वातावरण पैदा करते हैं तो इस किस्म के एलीमेंट के

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी। जो क्रिमिनल एलीमेंट हैं, चाहे वह किसी भी मामले में पकड़े जायें, क्राइम-क्राइम ही होता है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है। क्रिमिनल एलीमेंट के खिलाफ ही नहीं क्रिमिनल एलीमेंट को जो पनाह देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। मेरी सरकार में जो अपराधिक तत्व हैं और जो असामाजिक तत्व हैं तो उनकी जगह जेल के बाहर नहीं होगी, जेल के अन्दर होगी। प्रदेश में जो अशान्ति फैलाने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जायेगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन कानून-व्यवस्था को बनाने के लिये हमारी सरकार जो अपराधिक तत्व हैं या असामाजिक तत्व हैं, अशान्ति फैलाने वाले जो तत्व हैं तो उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण पैदा करेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार न्याय के मामले में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखेगी और खास तौर से जो अनुसूचित जाति के लोग है या जनजाति, पिछड़े वर्ग या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से जो सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं जिसमें सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई और बुद्धिष्ट लोग आते हैं, जिनके ऊपर लम्बे अरसे से जुल्म-ज्यादती होती रही है तो उनको जुल्म-ज्यादती से बचाने के लिये सरकार हर प्रकार का प्रबन्ध करेगी। यहां पर एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट का हवाला दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो अन्याय अत्याचार निवारण अधिनियम है, अनुसूचित जाति, जनजाति अन्याय निवारण अधिनियम जो है जिसको अक्सर एससी/एसटी एक्ट के नाम से शार्ट में जाना जाता हैं यह एक्ट भारत सरकार ने बनाया था और इसलिये बनाया था पूरे देश के लिये हर स्टेट में जो शिड्यूल कास्ट/शिड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके ऊपर यदि जुल्म-ज्यादती होती है तो इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो यह एक्ट उनके प्रोटेक्शन के लिये बनाया गया था इस एक्ट को लेकर काफी कुछ हाउस के अन्दर कहा गया है कि इस ऐक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके प्रोटेक्शन के लिये यह एक्ट बनाया गया है तो अनुसूचित जाति के लगभग 95 परसेन्ट लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जी-जान से जुड़े हुए हैं और जो लगभग पांच प्रतिशत लोग हैं वह दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं और एक-आध परसेण्ट हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हों।

श्री बीजू पटनायक-

मान्यवर, इन्हें गलतफहमी हो रही है एक-आध नहीं बल्कि पूरे 36 विधायक हैं, इस समाजवादी पार्टी में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइए, माननीय पटनायक जी, बैठ जाइए। कृपया सब लोग शान्त रहें।

सुश्री मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जो शिड्यूल कास्ट के लोग जो बहुत कम संख्या में हैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाएं, अगर आप लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो हमें नियमों का सहारा लेना पड़ेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जरा इन्हें शान्त कराइये।

सुश्री मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकों कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूं कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह जो एक्ट भारत सरकार ने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन देने के लिये बनाया था हमारी सरकार ने पूर्व में भी और अन्तिम में भी हमने इसका दुरुपयोग नहीं किया। यदि इस एक्ट का दुरुपयोग करने की कोशिश किसी ने की तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने की। इसके एक-दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अम्बेडकर नगर जिला जिसमें अकबरपुर लोकसभा की सीट आती है, वहां से मैं दो बार मेम्बर पार्लियामेण्ट चुनकर आयी हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब मैं वहां से चुनाव लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी ने श्री लालता प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया था। 1997 में मेरे नेतृत्व में सरकार दूसरी बार बनी और जब दूसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी की ओर से यह बड़े पैमाने पर गलत प्रचार किया गया कि यह सरकार एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट का दुरुपयोग कर रही है और खासतौर से अम्बेडकर नगर जिले में। वहां पर मुस्लिम समाज की पापूलेशन काफी है, तो मुसलमानों को गुमराह करने के लिये कि इस एक्ट का आपके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है, उनको हमारे खिलाफ करने की कोशिश की मैंने वहां के जिलाधिकारी को कहा कि आप मुझे एक-दो एक्जाम्पल दीजिए जिसमें इस ऐक्ट के तहत किसी मुसलमान को परेशान किया गया हो तो माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी रिकार्ड के तहत बताना चाह रही हूं कि वहां के जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा का प्रत्याशी रहा है उसने अम्बेडकर नगर जिले में एक टाण्डा कस्बा है, उस कस्बे की एक मुसलमान महिला चेयरमैन हैं, उसके आदमी के खिलाफ एस0 टी0/एस0 टी0 एक्ट के तहत मुकदमा कितने दर्ज कराया ? समाजवादीपार्टी के श्री लालता प्रसाद ने कराया यह गवर्नमेन्ट रिकार्ड बता रहा है। इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष ने.....

(शोर/व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक-

राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर दे रही हैं या लोक सभा चुनाव अकबरपुर का भाषण कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

पटनायक जी, जरूरत से ज्यादा आप बोल रहे हैं। कृपया बैठिये।

सुश्री मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये थे तो उस मौके पर उन्होंने लोकसभा सदस्य श्री सी0 एन0 सिंह के विरुद्ध एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होने की बात सदन के बीच में रखी थी। मैंने इस

मामले में जांच पड़ताल करायी और इस संबंध में आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह मुकदमा मेरे मुख्य मंत्री बनने के पूर्व 15 अप्रैल, 2002 को दर्ज हुआ था, शायद उन्हें यह मालूम नहीं था। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में जब मैंने 3 मई को ओथ ली उसके बाद 14 मई को श्री सी0एन0 सिंह को निर्दोष पाते हुए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इससे ज्यादा निष्पक्षता की उम्मीद मेरी सरकार से क्या की जा सकती है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इस एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज होने की संख्या का सवाल है, हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया गया और पूर्व में भी लगाये जाते रहे हैं कि जब भी बी0एस0पी0 के नेतृत्व में सरकार बनती है तो एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मुकदमें दर्ज होते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहती हूं कि श्री कल्याण सिंह जी के 17 महीने के कार्यकाल में 1991 से लेकर 1992 का रेफरेंश आपके सामने रख रही हूं। इस कार्यकाल में एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत 8257 मुकदमें दर्ज हुए थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं थी । (शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति रहें।

सुश्री मायावती-

उस समय ब0स0पा0, भा0ज0पा0 के साथ सरकार में भी शामिल नहीं थी। अब मैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आंकड़ों की संख्या बताना चाहती हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के 18 महीने के कार्यकाल में, 1993 से लेकर 1995 तक जो उनका कार्यकाल था उसके जो सरकारी आंकड़े हमारे सामने आये हैं तो उस समय एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत 14366 मुकदमें दर्ज हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कोई अपनी ओर से बात नहीं रख रही हूं, यह सरकारी आंकड़े हैं। जब 1997 में 6 महीने के लिये मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मेरे 6 महीने के शासनकाल में केवल 2600 मुकदमें एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत दर्ज हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस एक्ट का मेरी सरकार के दौरान कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और मेरी सरकार इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने देगी। जो लोग भी इस एक्ट का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो चाहे वह अधिकारी हों या दूसरे लोग हों उनके खिलाफ जांच पड़ताल करके मेरी सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

अध्यक्ष जी, जहां तक विकास का मामला है मेरी सरकार विकास के मामले में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र में पूरा ध्यान रखेगी। और खासतौर से समाज का जो गरीब और मजलूम तबका है जिनको विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, वैसे तो समाज का हर वर्ग का ध्यान रखेगी। जिनको विकास के मामले में सबसे ज्यादा जरूरत है एस0सी0/एस0टी0ओ0बी0सी0 माइनारिटी लोगों के विकास के मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेगी। विपक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि इन वर्गों के लिये सरकार ने कुछ नहीं कहा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की ओर से इन वर्गों के लिये डेवलपमेंट के लिये कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कोई कार्यक्रम जो बनाये हों उनको उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहती हूं कि डेवलपमेंट के मामले में इन वर्गों के लिये हर डिपार्टमेंट में हर मंत्रालय में स्कीम बनी हुई हैं जो भारत सरकार ने बनाई है हर स्टेट में उसको लागू करने के लिये हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में इनके लिये बनाई जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू करेगी। मैं अपनी पूर्व सरकारों का

इक्जामपेल देना चाहती हूं। 1995 और 1997 में तीसरी बार सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन पूर्व के अनुभव बताना चाहती हूं कि इन वर्गों के लिये हमारी सरकार ने उस समय भी जो मंत्रालयों में इनके कल्याण के लिये स्कीम बनी हुई हैं उसको सख्ती से लागू कराया था। इसके तहत 1995 और 1997 में डा0 बाबा साहब अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जहां पर इन वर्गों की आबादी ज्यादा है विकास से वंचित थे।

श्री बीजूपटनायक-

कम आबादी में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष कृपया अपने सदस्य को कहें कि थोड़ा संयम रखें।

सुश्री मायावती-

अध्यक्ष जी 1995 और 1997 में ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य को ज्यादा उत्साहित मत करिये।

सुश्री मायावती-

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत लगभग 12 हजार ऐसे गांव चयनित किये गये थे जिनमें इन वर्गों की ज्यादा आबादी थी और इनके हर पहलू को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट के लिये हमने 37 स्कीमें जो डिफरेंट मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थीं और उन 37 योजनाओं को हमने 12 हजार गावों में लागू कराया जिसमें हमारे इन वर्गों की महिलाओं, जिनका कि यहां सदन में जिक्र किया गया, इंतजाम किया गया। सदन में कहा गया कि मुख्य मंत्री एक महिला हैं, जिनको महिलाओं के बारे में ध्यान रखना चाहिये कि देहातों में क्या बुरी हालत है। शौचालय के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूं कि प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी तो हमारी सरकार ने डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 12 हजार गावों का चयन किया गया था और वहां पर शौचालयों का प्रबन्ध किया गया था। शौचालय से लेकर रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। इसका प्रयास हमारी सरकार ने किया था। इन वर्गों में जो भूमिहीन लोग थे, जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं था और खेती करने के लिये भी जमीन नहीं थी उनको हमारी सरकार ने जमीन भी दी और पूर्व की सरकारों ने इन वर्गों के पट्टे काटे थे लेकिन कब्जा दबंग लोगों का था। हमने विशेष अभियान चलाकर उनके कब्जे से छुड़ाया और हर वर्ग को आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध किया।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह याद है। जब आप सदन में तशरीफ लाये थे तो कुछ मुद्दों की तरफ हमने मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया था।

श्री अध्यक्ष-

मैं लिखे हुए हूं। वह भी आ आयेगा। मुझे अच्छी तरह स्मरण है।

(सदस्यों को बोलने पर व्यवधान)

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, हमारे सामने प्राथमिकता इस बात की है कि किसानों को गन्ने का मूल्य मिले, गेहूं का मूल्य मिले। बिजली मिले।

श्री अध्यक्ष-

अभी भाषण समाप्त नहीं हुआ है। आगे आ जायेगा ....

श्री मो0 आजम खां-

78 प्रतिशत किसान और बाकी जो इस प्रदेश का दुःखी व्यक्ति है उसके बारे में आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि जब मुख्य मंत्री जी अपनी बात करेंगी। शुरू करेंगी तो गेहूं के रेट के बारे में बाढ़ के बारे में –

श्री अध्यक्ष-

भाषण तो समाप्त होने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मो0 आजम खां-

जब सारी ऐसी बातें जो सदन से संबंधित नहीं हैं। गरीब आदमी से मुतालिक नहीं है, किसान से संबंधित नहीं हैं। ऐसी बातें अगर सदन में करी जायं या लाई जायं तो इससे आम आदमी का कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है। यह बात साफ होनी चाहिये। इनकी प्राथमिकता किसान नहीं है, गेहूं की खरीद नहीं है, बिजली उपलब्ध कंराना इनकी प्राथमिकता नहीं है, तो फिर विपक्ष के लिये मजबूरी नहीं है कि सदन में बैठकर नेता सदन का ऐसा भाषण सुनने के लिये हम बाध्य नहीं हैं। बिल्कुल बाध्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी भाषण समाप्त नहीं हुआ है।

श्री मो0 आजम खां-

अगर नेता सदन किसानों के सवाल पर, गन्ने के बारे में गेहूं के बारे में, बिजलीं के बारे में, गरीब आदमी की रोटी के बारे में कुछ नहीं कहती तो फिर विपक्ष कुछ भी सुनने के लिये तैयार नहीं है। पहले किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में कुछ ....

श्री अध्यक्ष-

यह तो व्यवधान है।

(व्यवधान)

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, पहले किसानों के बारे में ...

श्री अध्यक्ष-

यह आप निर्देशित नहीं कर सकते। यह तो व्यवधान है। पहले उत्तर समाप्त हो जाने दीजिये।

सुश्री मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जिन विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। उसके ऊपर मैं अपनी बात रखने वाली हूं, इनको धैर्य रखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन उत्तर दे रहीं हैं जितने बिन्दु उठे हैं उनके बारे में अपनी योजनाओं के बारे में,

(घोर व्यवधान)

श्री मो0 आजम खां-

पहले किसानों के बारे में कहें।

(विपक्ष के सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे।)

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपकी मर्जी हो नेता सदन वहीं बोलें। यह आप बाध्य नहीं कर सकते हैं....

(घोर व्यवधान)

यह तो आप बाधा उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री मो0 आजम खां-

नहीं मान्यवर, पहले यह किसानों के बारे में कहें।

श्री अध्यक्ष-

आप संयम और धैर्य के साथ इनकी बात सुनें, आपमें संयम नहीं है।

(घोर व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठ जायं।

श्री मो0 आजम खां-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा, वगैर अनुमति के बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य, [x x x] नारे लगा रहे थे।)

श्री मो0 आंजम खां-

यह सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(मुख्यमंत्री के भाषण से असंतुष्ट होकर के नेता विरोधी दल ने समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह सरकार किसान विरोधी है इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं। (श्री राम गोविन्द चौधरी ने भी सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद कुमार-

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न किसानों के बारे में न बिजली के बारे में और न दलितों के बारे में कुछ कहा गया है इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(कांग्रेस के श्री प्रमोद कुमार ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

सुश्री मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने शुरुआत इसी बात से की थी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कि दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और जब मैंने हमारी सरकार की प्राथमिकताओं और अनियमितताओं के बारे में इन वर्गों को ध्यान में रखकर बताना शुरू किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इससे इनकी दलितों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश होता है । जहां तक उर्दू जबान को रोजी रोटी से जोड़ने की बात है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में 1993 में सरकार बनी थी तो मुस्लिम समाज के हितों को ध्यान में रखकर उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। ऐसा उनका कहना था। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 1993 में बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारी पार्टी चाहती थी उस समय मुस्लिम समाज की जो उर्दू भाषा है उसे रोजी रोटी से जोड़ा जाय। हमने समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाया और उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा गया और उर्दू टीचर्स की भर्ती की गयी। जहां तक दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों का सवाल है हमारी सरकार ने जो पूर्व में 1995 और 97 में थी इनके वेलफेयर के लिये जो भारत में पहली बार कमीशन बनाया था। एस0 सी0 और एस0 टी0 वैलफेयर कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, माइनारटीज कमीशन और इसके सथ-साथ विकलांगों को भी ध्यान में रखा गया था तथा इनके लिये भी एक कमीशन बनाया था। इसके तहत इनके वैलफेयर के लिए योजनाएं बनायी। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं इनके विकास को ध्यान में रखकर आर्थिक मामले में 1995 और 97 में जब मेरे नेतृत्व में बजट रखा गया प्रदेश का, तो दलितों, शोषितों के समाज के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाकर धन की व्यवस्था की थी और इस प्रकार की व्यवस्था को आगे भी इस वर्तमान सरकार में किया जायेगा। जहां तक पिछड़े वर्गों का सवाल है पिछड़े वर्ग के लिये जो योजनाएं बनायी गयी थीं माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो योजनाएं बनायी थी इस सरकार में भी उनको पूरी ईमानदारी से लागू किया जायेगा। यहां पर कहा गया कि बैकवर्ड क्लास के लिये मण्डल कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको लागू कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, फिर दूसरी तरफ से कांग्रेस के श्री राम नरेश यादव जी की ओर से बयान आया कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनके दखल देने से

हुआ। मान्यवर, मैं यह बताना चाहती हूं कि पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिला है वह विपक्ष के लोगों की देन नहीं है यह देन है तो परमपूज्य श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी की। परमपूज्य अम्बेडकर जी ने संविधान में आर्टिकल 340 में व्यवस्था की थीं अगर वे यह व्यवस्था नहीं करते तो पिछड़े वर्ग को यह लाभ नहीं मिलता। जब हम विपक्ष में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार की ओर से अति पिछड़ों और अति दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात आयी तो भी मेरी पार्टी ने इसका सदन के बाहर और सदन के अन्दर समर्थन किया था।

विकास के दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने जो प्रोग्राम बनाये हैं वह महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में हैं। फिर भी कुछ बिन्दुओं पर मैं अपनी सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहूंगी। विकास के मामले में हमारी सरकार सर्व समाज के हर क्षेत्र में ध्यान रखेगी। सिर्फ दबे-कुचले और अकलियतों का ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों का भी हर क्षेत्र में पूरा ध्यान रखा जायेगा। विकास के मामले में गेहूं खरीद का मामला हो या अन्य ग्रामीण विकास का, नगर विकास का, समाज कल्याण, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन या केन्द्र पोषित योजनाओं का हमारी सरकार ईमानदारी से पूरा ध्यान लगाकर काम करेगी। कृषि के मामले में हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। हमारी सरकार किसानों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायेगी। उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। मेरे सामने सबसे पहली समस्या किसानों की यह आई है कि किसानों को उनके गेहूं खरीद का उचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। बिचौलिये उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, 20 तारीख को यह बात सदन के अन्दर विपक्ष की ओर से रखी गयी है। जब यह बात मेरे संज्ञान में आयी तो 20 तारीख को ही उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को यह निर्देश दिये कि आप वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में ज्यादा गेहूं की खरीद होती है उनमें टीमें बना कर भेजें, छानबीन करायें कि किन-किन जिलों में यह बिचौलिये गड़बड़ कर रहे हैं और किसानों को परेशानी हो रही हैं। मेरे निर्देशानुसार 20 मई को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सम्बन्धित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर 19 टीमें बनायी, ऐसे 16 जिलों में भेजा जहां गेहूं की लगभग 80 प्रतिशत खरीद होती है। दो दिन यह 19 टीमें उत्तर प्रदेश के 16 जिलों का दौरा करके आयी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी है चीफ सेक्रेटरी ने मेरे सामने रखी है। इन टीमों को जहां ऐब या बिचौलियों की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। पूरी तत्परता के साथ जो अधिकारी हैं किसानों के गेहूं की खरीद के मामले में वह लगे हुए हैं और उनका जो गेहूं है तो वह जो भारत सरकार ने दाम तय किया है 620 रु0 प्रति कुन्तल उसके हिसाब से इनका गेहूं खरीदा जाय। इस बार जो हमने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 25 लाख मी0 टन गेहूं खरीदेंगे। मैं आपकों बताना चाहती हूं कि लगभग आधे के करीब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि किसानों को गेहूं खरीद के मामले में कोई परेशानी नहीं सामने आयेगी। जहां तक गन्ने के बकाये के भुगतान का मामला है इस सम्बन्ध में भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि 1995 और 1997 में जब दो बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी उस समय समस्या आयी थी गन्ना किसानों के भुगतान का हमने विशेष अभियान चलाया और उत्तर प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को कमिश्नर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर गन्ने का भुगतान 100 प्रतिशत कराया था 1995 और 1997 में (मेजों की थथपाहट) और इस बार विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मेरी सरकार ने जो गन्ना किसानों का बकाया पड़ा है

उसको पूरे मामले को सोच-समझ कर जो भी उसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर करके पूर्व की तरह गन्ना भुगतान का पूरा प्रबन्ध करेगी।

जहां तक ऊर्जा का मामला है प्रदेश में बिजली का संकट कोई अभी पैदा नहीं हुआ है काफी वर्षों से बिजली का संकट है और बिजली के संकट से उबरने के लिये हमें कई पहलुओं के ऊपर गम्भीरता से सोच विचार करना होगा और सोच विचार ही नहीं स्पेशल स्टेप्स लेकर हमें उसके ऊपर कुछ सख्त फैसले लेने होंगे हमें इसमें भारत सरकार की मदद की जरूरत होगी। हम समय-समय पर भारत सरकार की भी इस सम्बन्ध में मदद लेने के लिये उनसे पत्र व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो बिजली की दिक्कत है, जो समस्या है तो उसको दूर करने के लिये मैंने सत्ता सम्भालने के बाद यह विधान सभा का सत्र शुरू होने से पहले ही दो दिन बिजली से सम्बन्धित अधिकारियों की मीटिंग बुला करके बिजली की जो समस्या थी उत्तर प्रदेश में उसको समझा और समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है? क्या-क्या स्टेप्स लेने होंगे स्पेशल स्टेप्स भी उठाये हैं कि बिजली मिले। जो बिजली का बकाया पड़ा है उसको भी कलेक्ट करने के लिये कुछ प्रोग्राम हमने तय किये हैं। तो उसको भी बहुत सख्ती से लागू कराया जायेगा जो बिजली की चोरी है उसको भी रोका जायेगा और जहां तक देहातों में, यह भी विधायकों के द्वारा कुछ शिकायतें मिली हैं कि सरकार ने जो लक्ष्य देहातों का रखा है कि हम 8 घण्टे देहातों को बिजली देंगे तो वह उतनी बिजली देहातों को नहीं मिल रही है तो इसके लिये भी मैंने प्रबन्ध किया है। ऐसी कौन सी कमियां हैं कि सरकार ने जो लक्ष्य रखें हैं वह पूरे नहीं हो रहे हैं तो उस दिशा में भी सरकार पूरा कदम उठायेगी।

उद्योग के मामले में जब हम उद्योग की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश का जो विकास है, तो विकास के लिये उद्योगों का पनपना या मजबूती से उभरना भी उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ समय से यह सुनने को मिल रहा है कि उद्योगों का पलायन हो रहा है और हमारी सरकार, जो यह उद्योगों का धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम हर प्रकार के कदम उठायेंगे और नये उद्योग स्थापित हों इसके लिये उद्योगों को मोटीवेट भी करेंगे और उद्योगों को लगाने में जो भी उद्योगों को लगाने वाले लोग हैं उनको सरकार की ओर से सुविधाएं चाहिए, वह भी देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत उद्योगपतियों को यह रहती है, जब कोई नया उद्योग लगाता है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सही होनी चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में भी जरूरी कदम उठायेगी ताकि नये उद्योग आने में या जो लोग नये उद्योग लगायेंगे उनको कोई दिक्कत न आये।

तीसरी बात कही गयी थी आर्थिक स्थिति और राजस्व। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है वह काफी खराब है और जब आर्थिक स्थिति खराब है तो यह सीधें विकास से जुड़ा हुआ है तो विकास में भी थोड़ी सी कठिनाई आयेगी। विकास के लिए जो प्रोग्राम बनाये हैं उत्तर प्रदेश में, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार जो विकास करेगी उसमें जो आर्थिक पहलू है वह उसमें जुड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमें यह दिक्कत आयेगी कि इस दिशा में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हमारी सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर इसमें पहल करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने आर्थिक कार्यक्रम इससे जुड़े हुए सम्बन्धित अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उनको सख्त निर्देश दिये हैं कि वह इस दिशा में सरकार की मदद करें। हम राजस्व को ही ले तो राजस्व जो एक साल में सरकार के पास इकट्ठा होकर आना चाहिए जो विकास के लिये बहुत जरूरी है,

प्रदेश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है तो जितनी मात्रा में वह आना चाहिए वह बराबर नहीं आ रहा है, प्रतिशत बहुत कम है तो इसके लिये भी हमारी सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में राजस्व चाहे टैक्स के जरिये इकट्ठा हो या नान टैक्स के जरिये इकट्ठा हो इसको तेजी से वसूला जायेगा। इसके लिये वरिष्ठ अधिकारियों की हमने अपने नेतृत्व में बैठक बुलाकर, सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 17 कमिश्नरी को तीन जोन में बांटकर हमने यह निर्देश दिया है कि हर महीने के दूसरे सप्ताह जो राजस्व से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह उत्तर प्रदेश की 17 कमिश्नरी को 3 जोन में बांट कर उनकी मीटिंग लेंगे और उसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे और हर महीने रेवेन्यू की रिपोर्ट देंगे और हम उसकी मानीटरिंग करेंगे। उसमें हमें हर महीने की रिपोर्ट मिलती रहेगी क्योंकि इस समय जब हम रेवेन्यू के बारे में सोच विचार करते हैं तो आय व्यय का संतुलन बिगड़ा हुआ है, आय कम है व्यय बहुत ज्यादा है तो रेवेन्यू को बढ़ाकर उसको संतुलन में लाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष की ओर से पिछली सरकार के मंत्रियों के जेब खर्च का जिक्र किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि हम मंत्रियों के जेब खर्च के मामले में कोई सीमा तय करेंगे, उनको इतनी धनराशि ही खर्च के लिये दी जायेगी ताकि विपक्ष को इस प्रकार का कोई आरोप लगाने का मौका वर्तमान सरकार में न मिले।

मान्यवर, विधायक निधि की बात आई और सदन के अन्दर विपक्ष की ओर से यह बात आयी थी कि विधायक निधि की जो धनराशि है, वह बहुत कम है, यह बढ़नी चाहिये। लेकिन विपक्ष के विधायक जब इस धनराशि को बढ़ाने की बात करते हैं तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, रेवन्यू की स्थिति क्या है ? यदि हम वर्तमान में विधायकों की विधायक निधि बढ़ा देते हैं तो विकास के जो और काम हैं या सरकार को चलाने में बड़ी दिक्कत होगी। आपने पूरे सदन की अनुमति से यह निर्देश दिये थे कि आल पार्टीज लीडर्स की मीटिंग बुलाकर कोई रणनीति तय की जायेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम विधायक निधि की राशि को बढ़ा सकें, लेकिन जो विधायक निधि विधायकों को दी जा रही है वह बराबर समय पर मिले और सही प्रकार से उपयोग हो, तो इस मामले में हमारी सरकार पूरा ध्यान रखेगी, उसमें विधायकों को कोई दिक्कत हो तो हमारी सरकार सख्त कदम उठायेगी।

अधिकारियों के बारे में कुछ बातें जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी। नई सरकार का गठन होने के बाद कानून व्यवस्था और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये हमारी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए मेरिट गुण-दोष के आधार पर, सर्व समाज को ध्यान में रखकर अधिकारियों के तबादले किये। लेकिन जब अधिकारियों के तबादले किये गये तो विपक्ष के सदस्यों को बहुत तकलीफ हुई और विपक्ष की ओर से मेरे बोलने से पूर्व यह कहा गया कि पंजाब स्टेट जो उत्तर प्रदेश के डेढ़ कमिश्नरी के बराबर है, उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्य मंत्री ने कहा कि इस छोटे से स्टेट में 800 के करीब तबादले हुए हैं, यह तो हो नहीं सकता। यह तो अपनी ओर से बोल रहे हैं, लेकिन "आज तक" जो चैनल है उसमें 15-16 मई को पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा था कि मैंने 800 तबादले किये हैं। मेरा अधिकार है तबादला करने का और वह मैं अवश्य करूंगा। यह पंजाब के मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं।

मैं समझती हूं कि उन्होंने किसी आधार पर 800 आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0 के तबादले किये होंगे। लेकिन यह बात विपक्ष को उनसे पूछनी चाहिए कि वहां पर कितने किसके पद हैं या नहीं हैं। मैंने यह बात अपने से नहीं कही है, केवल उनकी कही बात को मैंने कहा है। जहां तक अधिकारियों के बारे में कहा गया, यह सरकार अधिकारियों का ध्यान नहीं रख रही है। अधिकारियों को हमारी सरकार उनकी जिम्मेदारी का अहसास करायेगी और अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को निभायें और अधिकारियों की जो छोटी मोटी समस्यायें होंगी, उनका ध्यान रखा जायेगा, अच्छा कार्य कराने वाले पुरस्कृत किये जायेंगे, लेकिन यह कहना अधिकारियों के मामले में कि तबादले जो हैं, तबादलों को उद्योग बना दिया गया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि इनका समाजवादी पार्टी का इशारा किधर था। मुझे एक-दो दिन से यह बात सुनने को मिल रही थी, सदन के बाहर भी सुनने को मिल रहा है कि अधिकारियों के तबादलों में बहुत धन बटोरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वह अपना पुराना तजुर्बा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दो बार उनकी सरकार बनी, शायद उन्होंने इसको उद्योग बनाया होगा और तबादलों के जरिये पैसा उगाहा होगा। यदि वह हमारी सरकार को ऐसा समझ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि यदि तबादलों के मामले में मेरे ऊपर यह साबित कर दें कि मैंने किसी अधिकारी से पैसा लिया है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगी और यदि वह साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों के जो तबादले किये जा रहे हैं उसमें एक ही वर्ग के लोगों को महत्व दिया जा रहा है, उंनका आशय क्या है ? कि मुख्य मंत्री सिड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखती है इसलिये शायद दलित वर्ग के अधिकारियों को ही महत्व दिया जा रहा हैं सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हैं उनको भी प्रतिपक्ष के लोग गुमराह कर सकते हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, आज की डेट तक जो तबादले हुए है, डी0 एम0, एस0 एस0 पी0, आई0 जी0 जोन और डी0 आई0 जी0 के, जो रिपोर्ट है मैं बताना चाहती हूं। अधिकारियों के मामले में जो यह कहा गया कि एक ही वर्ग के लोगों को अहमियत दी जा रही है, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल जिले 70 हैं, पहले ज्यादा थे। उत्तरांचल स्टेट बनने के बाद कम रह गये हैं। आज तक की स्थिति मैं बताना चाहती हूं जो तबादले हुए हैं। हमारी सरकार में जो जिले के अधिकारी हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं, जाति के हिसाब से मैं बताना चाहती हूं। 70 जिलों में अपर कास्ट के जो अधिकारी हैं वह 42 हैं, अनुसूचित जाति/जनजाति के जिलाधिकारी केवल 15 हैं और प्रचार किया जा रहा है कि सिड्यूल कास्ट के अधिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तक की रिपोर्ट में बता रही हूं, पिछड़ी जाति के 11 हैं और अल्पसंख्यक समाज के 2 हैं अब यह कैसे आरोप लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एक ही वर्ग के लोगों को महत्व दिया जा रहा हैं इसलिए मान्यवर, जो आज तक की स्थिति है उसे मैं सदन के सामने रखना मुनासिब समझती हूं और जहां तक मण्डल के आयुक्तों की बात है, कमिश्नर की बात है, उत्तर प्रदेश में 17 मण्डल हैं, तो इस समय आज की तारीख तक बताना चाहती हूं कि जो मण्डलायुक्त हैं, हाई कास्ट के जो मण्डल कमिश्नर है वह 17 में से 12 हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के मण्डल कमिश्नर केवल 3 हैं, पिछड़ी जाति का एक और अल्पसंख्यक का एक है। जहां तक पुलिस महकमे की बात है वह भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूं । उत्तर प्रदेश में आई0 जी0 जोन 7 हैं, जो आज तक की रिपोर्ट है तो 7 आई0 जी0 जोन में से

सिड्यूल कास्ट का केवल एक है, बैकवर्ड क्लास का कोई भी नहीं है, हैं ही नहीं इस लायक, हैं तो उसकी जांच चल रही है, माइनारिटी का है और हाई कास्ट के 5 हैं। बतायें कहा हाई कास्ट की अवहेलना हुई है? डी0 आई0 जी0 रेन्ज 17 है, इसमें से सिड्यूल कास्ट के डी0 आई0 जी0 5 हैं, बैकवर्ड क्लास का कोई नहीं है, माइनारिटी से 1 है और अपर क्लास के 11 हैं यह जो बीच में खुसड़-फुसड़ हो रहा था उसको मैंने स्पष्ट करना जरूरी समझा। इसी प्रकार एस0 एस0 पी0 के, जो 70 जिले हैं इसमे से सिड्यूल कास्ट के एस0 एस0 पी0 19 हैं और सिड्यूल ट्राइब के 5 हैं, बैकवर्ड क्लास के 7 हैं और माइनारिटी के 6 तथा अपर क्लास के 33 हैं। अब बताओ कि इसमें अपर कास्ट की हम किधर से अवहेलना कर रहे हैं। हम और हमारी सरकार, अधिकारियों के तबादलों के मामले में भी मेरिट, गुणों के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, उनका पालन करते हुए हमने यह तबादले किये हैं। जहां तक प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का सवाल है, वह भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। अब ये बड़े अधिकारियों को ले लें। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वह अपर कास्ट का है, डी0जी0पी0 अपर कास्ट का है और मैं तो इनमें से शिड्यूल कास्ट को बना सकती थी, लेकिन वर्तमान में इस लायक है नहीं लायक तो है लेकिन इस कैटेगरी तक नहीं पहूंच पाये तो हम उसको उत्तर प्रदेश का डी0 जी0 पी0 कैसे बना देते। जब हमारे पास थे तो हमने बनाया। 1995 में जब उत्तर प्रदेश में मेरी पहली बार सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी शिड्यूल कास्ट का बनाया था और 1997 में जब मेरी दूसरी बार सरकार बनी तो मैंने बनाया था लेकिन वर्तमान में न तो चीफ सेक्रेटरी के लिये न तो डी0 जी0 पी0 के लिये मेरे पास कोई इस रैंक का अधिकारी है तो मैं उसे उत्तर प्रदेश का डी0 जी0 पी0 या चीफ सेक्रेटरी बना सकूं। तो यह जो बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं तो अपोजीशन की तरफ से उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि अपर कास्ट की अवहेलना हो रही है। इसलिये मैंने स्थिति स्पष्ट करना सदन के अन्दर जरूरी समझा है। अब जहां तक माईनारिटी में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज, उनकी भागीदारी का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पूर्व में जब हमारी सरकार रही। बी0 एस0 पी0 के नेतृत्व में बनी तो हमारी सरकार ने मुसलमानों को सरकारं बनाने के मामले में उचित प्रतिनिधित्व दिया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भी सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष को केवल अकेला मंत्री बनाया। यदि बनाया तो बसपा ने बनाया। पिछली सरकार में तीन बनाया और इस बार दो बन चुके हैं। अगर मंत्रिमण्डल का विस्तार होता है तो और भी बनाये जायेंगे। लेकिन वह भागीदारी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का चाहे छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, हमने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनकी भागीदारी से ज्यादा टिकट दिये। हमारी सरकार में मुस्लिम समाज का पूरा आदर किया जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष की तरफ इंगित करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि इस गठबन्धन की सरकार में मुस्लिमों को आई0 एस0 आई0 का अड्डा कहा जायेगा। मुझे मालूम है । आ बैल मुझे मार, कोई कह नहीं रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया, यह कहा गया कि निर्दोष मुसलमानों पर "पोटा" लगाया जायेगा, उनकी मस्जिदों को गिराया जायेगा। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी ओर से मनगढ़न्त बातें कही हैं। ऐसी बातें क्यों कही हैं जिससे प्रदेश में माहौल खराब हो? यदि नेता प्रतिपक्ष इधर होते तो मैं उनसे पूछती कि जिस किस्म की वह बातें सदन के अन्दर रखते हैं उससे ऐसा लगता है कि वह समाज को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। इससे आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो

सकता है क्योंकि उनकी पार्टी में मुस्लिम को छोड़कर जो दूसरे विधायक हैं इस किस्म के उनके भाषण सुनकर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं सत्तापक्ष में आने के लिये मजबूर न हो जायं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा अपने भाषण में कि नेता सदन ने 3 मई को मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछली सरकार थी श्री राजनाथ सिंह जी की थी, वह उनके फैसलों को बदलेगी। जबकि ऐसा मैंने प्रेस मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा है कि पूर्व में जो श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सरकार के फैसले बदले जायेंगे। यह बात मैंने न 3 मई को, न उसके बाद कही है लेकिन इस तरह का गलत प्रचार करके यह कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भरतीय जनता पार्टी में कुछ मतभेद पैदा किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। यदि प्रदेश के हित में किसी भी निर्णय की समीक्षा करनी पड़े तो वह राजनीतिक व्यक्तिगत द्वेष की भावता से नहीं की जायेगी, प्रदेश का हित सर्वोपरि होगा। यह भी कहा गया। विपक्ष की ओर से कि सरकार में जो शामिल दल हैं, उसमें बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। यह विपक्ष की ओर से कहा गया कि एक तरफ सरकार यह कहती है कि हम अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करेंगे लेकिन जब उनकी सरकार में शामिल दल के विधायकों का आपराधिक इतिहास है तो उस काम में वह कैसे कामयाब हो पायेंगी। विपक्ष इधर मौजूद नहीं है लेकिन "प्रेस मीडिया" के लोग इधर मेरी बात को सुन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह तो सत्ता में शामिल दल हैं उनमें कुछ विधायकों के आपराधिक इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है उसको में स्पष्ट करना चाहती हूं। जब पिछली बार हमारी सरकार 1997 में बनी थी, 6 महीने मेरे नेतृत्व में सरकार चली, तो उस समय सरकार बनने से पहले 1996 में असेम्बली के इलेक्शन हुए तो हमारी सरकार ने मऊ जिला से मुख्तार अंसारी को टिकट दिया उधर के लोगों ने नाम भेजा मैंने टिकट दे दिया पेपर में उसके बारे में छपा जब उसका पर्चा दाखिल हो गया और उसने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो पेपर में मुझे पढ़ने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी ने जिसका आपराधिक इतिहास था ऐसी छवि रखने वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया मेरे पास प्रेस मीडिया के लोग अपराधिक इतिहास की इन्वीडेंस लेकर आये और कहा कि इतनी धारायें उसके खिलाफ हैं और आपने उसको टिकट दे दिया है आप कैसे अपराध पर कंट्रोल कर पायेंगी। तो मैंने उस समय प्रेस मीडिया के लोगों से कहा कि ठीक है मुख्तार अंसारी से उसके बारे में पूछताछ करूंगी। मुख्तार अंसारी ने मुझसे कहा कि मैं कोई अपराधिक छवि वाला व्यक्ति नहीं था लेकिन कुछ राजनीतिक और दूसरे द्वेष की भावना से मेरे ऊपर गलत मुकदमें चलाये गये। मैंने कहा ठीक है, आप एम0 एल0 ए0 बन जायेंगे लेकिन उसके बाद मुझे यह सुनने के लिये मिला कि आप फिर से अपराधिक एक्टीविटीज में इन्वाल्व हो रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। बाद में मुझे सुनने को मिला कि उसने अपनी एक्टीविटीज को नहीं छोड़ा है तो हमने उसको पार्टी से निकाल कर बाहर किया और दोबारा टिकट नहीं दिया। मैंने प्रेस से यह जरूर कहा था कि बी0 एस0 पी0 या शामिल दल के विधायक यदि अपराधिक इतिहास के पूर्व में रहे हैं यदि उनको खासतौर से मुख्य मंत्री की सेफ्टी मिल जाती है और वह अपने आपमें सुधार ले आते हैं तो उनको सुधारने का मौका जरूर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, नेता विरोध पक्ष को ब0स0पा0 के मुसलमानों की बड़ी चिन्ता है।

विश्वास के मत के मौके पर बड़ी चिन्ता उन्होंने जाहिर की और आज भी चिन्ता जाहिर की। वह इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि नेता विपक्ष अपने विधायकों की चिन्ता करें। मैंने पहले भी कहा था और उसको फिर दोहराना चाहती हूं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि आपके दल के जो दूसरे विधायक मुसलमानों के अलावा हैं, आपके इस किस्म के भाषण को सुनकर जो समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करता है, कहीं आपसे तंग आकर के, तिलांजलि देकर यहां हमारे साथ आने को मजबूर न हो जायं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बोलने से पहले बाढ़ के बारे में चिन्ता प्रकट की गयी। आपने कहा कि नेता सदन सरकार की ओर से इस पर बात रखूंगी। मुझे बाढ़ के बारे में पहले से चिन्ता है, हालांकि अभी बरसात का सीजन नहीं लगा है लेकिन मैंने 3-4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके बरसात शुरू होने से पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बरसात के दौरान खासतौर से पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में या उत्तर प्रदेश के उन इलाकों जहां पर अक्सर बाढ़ आती है और जनता बड़ी त्रस्त होती है तो बाढ़ आने के पहले एहतिहात के तौर पर कदम उठाने को मैंने कहा है। मैंने, चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जल्दी ही इससे संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर हर जिले के कलेक्टर और मंडल कमिश्नर को निर्देश देकर जरूरी स्टेप्स उठाने का निर्देश उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को दिया है। अध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में कहा गया कि प्रदेश में पेयजल की बड़ी समस्या है। विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि पहले विधायकों को हर विधान सभा क्षेत्र में 50 हैंड पम्प दिये जाते थे। जो पहले सुविधा मिलती थी अब यह सुविधा विधायकों को नहीं मिल रही है। अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो पेयजल की समस्या है चाहे वह समाज का गरीब तबका हो, मध्यम वर्ग हो, अमरी तबका हो सबको प्रभावति करती है। इस मामले का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिये हमारी सरकार जो जरूरी कदम उठा सकती है वह उठायेगी। विधायकों ने कहा कि हर विधान सभा क्षेत्र में जो पूर्व में उनको 50-50 हैण्ड पम्प मिलते थे वह नहीं मिल रहे हैं। मैं आज यह घोषणा करती हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में सरकार की ओर से 50-50 हैण्ड पम्प हर विधायक को दिये जायेंगे।

(हैण्ड पम्पों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कुछ सदस्यों द्वारा मांग किये जाने पर)

प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे ही सुधरेगी इसे ज्यादा भी कर देंगे। अन्त में मैं पक्ष और विपक्ष की ओर से महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनका मैं आदर प्रकट करती हूं और साथ ही विपक्ष के लोग तो हैं नहीं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि उन्होंने जो संशोधन रखे हैं तो संशोधन रखने की जरूरत नहीं थी। सारी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आ चुकी हैं। अध्यक्ष जी मेरा यही कहना है कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। इसको पास कराकर सरकार के जो कार्य हैं, जो प्राथमिकतायें हैं, नीतियां हैं उस पर आप अपनी मुहर लगायेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष या कोई अन्य माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन दिया है। मेरे सामने तो अनुपस्थित हैं लेकिन यदि कोई बल देना चाहे ?

श्री उदय भान-

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण नहीं। संशोधन पर बल देने के लिये कोई नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष या जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिया है राज्यपाल के अभिभाषण पर, उनमें कोई उपस्थित नहीं है।

श्री गयाचरण दिनकर जी आप कुछ कहेंगे।

मैं तो नियमावली के अनुसार चलूंगा। मैं मतदान कराये देता हूं। उसके पहले गयाचरण जी जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कर दें।

श्री गया चरण दिनकर-

अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव में विस्तार से चर्चा हो गई है। अभिभाषण के माध्यम से नवगठित सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों के संबंध में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। प्रतिपक्ष के साथियों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जो भी भूमिका अदा की है। वह बेबुनियाद है जो भी आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं। सरकार कृषि के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र व जन कल्याण के हर पहलू में तथा प्रदेश के समाज के हर वर्ग के साजाजिक आर्थिक शैक्षणिक हितों की गारण्टी के लिये बल देती है। किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने जैसे उन्हें खाद, बीज, पानी, बिजली, कीटनाशक दवायें आदि समय से व उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिये व्यवस्था करेगी। जन जीवन और जन कल्याण से अछूता कोई बिन्दु नहीं रह गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन साथियों ने प्रस्ताव के पक्ष में बल दिया और अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष व अन्य साथियों की ओर से जो संशोधन रखे गये हैं उसके विषय में कहना चाहता हूं कि उनको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं पुनः मा0 सदन से प्रस्तुत प्रस्ताव को यथावत् पारित कराने हेतु निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई अन्य सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मतदान तो कराना है।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन नेता विरोधी दल और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य जिन विपक्ष के माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, वे भी अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2002 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदस्यों के उठने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी थोड़ा सा कार्य और शेष हैं इस सत्र के समापन पर अभी आपको राष्ट्र-गान भी करना है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 मई, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं। अनुपयुक्त को छोड़ते हुए सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :--

पहली सूचना श्री श्याम नरायन व श्री दिनेश सिंह की है जो जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में बाढ़ की चपेट से हुए किसानों के फसलों के नुकसान के मुआवजे के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कामेश्वर उपाध्याय की है जो जनपद उन्नाव थाना कोतवाली में दर्ज एफ0 आई0 आर0 संख्या 602/2002 के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है जनपद वाराणसी के निवासी श्री ए0 जी0 बनर्जी, सेवानिवृत्त जेलर को उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ देते हुए उनकी पेंशन के भुगतान के संबंध में है। चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की है जनपद पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर तहसील में 94 राजस्व गांव को जोड़े जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री जयवीर सिंह की है जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र धिरौर के अन्तर्गत कटैना हर्षा से दरिगापुर भौरोल तक में मिनी नहर की खुदाई के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री बैजनाथ पासवान की है जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत करहां बाजार में बालिका डिग्री कालेज तथा रानीपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री देव नारायन उर्फ जी0 एम0 सिंह की है जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के भदरखी ताल ड्रेन की खुदाई के संबंध में। आठवीं सुचना श्री रमापति उर्फ रमकान्त की है जनपद कुशीनगर टाउन एरिया हाटा के सी0 ओ0 एवं कोतवाल (पुलिस) के कार्यों की जांच एवं उसके स्थानान्तरण के संबंध में हैं। नौवीं सूचना श्री उदय राज की है जनपद उन्नाव के असीवन ब्रान्च तथा उससे जुड़ी छोटी माइनरों व रजबहों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जनपद शाहजहांपुर तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत रामगंगा व बहगुल नदी पर कोलाघाट के नाम से प्रस्तावित पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की है। जिल एटा के अन्तर्गत श्री राम आदर्श इण्टर कालेज, भांवर में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री वसीम अहमद की है जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में बिलरियागंज रौनापार मार्ग तथा कन्धरापुर, कप्तानपुर, अतरौलिया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जनपद बलिया के बिल्थरा रोड नगर से मऊ नगर को सीधी सड़क मार्ग से लेपन स्तर तक जोड़ने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की है। जनपद सीतापुर में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है। जनपद गोण्डा के देवीपाटन मण्डल में सजोई नाला, चारू नाला, जीरा भारी बक्शी भारी नालों की सफाई के सम्बन्ध में है।

16वीं सूचना श्री अनवर महमूद की है — जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में क्वाना नदी के पुल को एप्रोच मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में ।

17वीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की है — जनपद रामपुर की टाउन एरिया किठौर में मनमाने ढंग से सैकड़ों मकानों को ध्वस्त कराये जाने एवं पीड़ित लोगों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में ।

18वीं सूचना मो0 रिजवान की है — जनपद मुरादाबाद के अहमद बोन मिल के द्वारा किये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में।

19वीं सूचना श्री शहलिन इस्लाम की है — जनपद बरेली के मोहल्ला काजीटोला, थाना बारादरी में स्थित पुराने कुंवर बाल विद्या मंदिर स्कूल पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये कब्जे से हटाये जाने के संबंध में।

20वीं सूचना श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया की है — जनपद गोण्डा के करनैलगंज विधान सभा क्षेत्र में बालिका राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।

21वीं सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की है — जनपद गाजीपुर की देवकली पम्प कैनाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट के संबंध में।

22वीं सूचना श्री मशहूद खां की है — जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर व हरैया सतघरवा में पेयजल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी संकट को देखते हुए रिंग बोरिंग कराये जाने के संबंध में।

23वीं सूचना श्री बंशीधर राज की है — जनपद लखीमपुर खीरी में एक इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में।

24वीं सूचना श्रीमती माया प्रसाद की है — जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के ब्लाक फूलबेहड़ में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।

25वीं सूचना श्री नारद राय की है — जनपद बलिया में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता जांच के संबंध में।

26वीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है — जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे हो रहे कटान को रोके जाने के संबंध में।

27वीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है — प्रदेश में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के संचालकों का पंजीकरण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में।

28वीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल व संबंध श्री प्रमोद कुमार की है — प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया धन के भुगतान के में ।

29वीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह राणा की है गगोह-नानौता-देवबन्द राजमार्ग को चौड़ा एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के संबंध में ।

30वीं सूचना श्री मदन भैया की है जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र खेखड़ा अन्तर्गत हिंडन नदी को प्रदुषण मुक्त कराये जाने के संबंध में।

31वीं सूचना सुश्री विद्या चौधरी की है जनपद आजमगढ़ में राजकीय महिला इण्टर कालेज एवं राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में ।

32वीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की है जनपद गाजीपुर में वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग रौजा पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में।

33वीं सूचना श्री हरिशंकर तिवारी की है उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजेटरी कमेटी स्थापित किये जाने के संबंध में तथा

34वीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है जनपद आजमगढ़ में उपकेन्द्र टेउंगा फूलपुर में अर्द्धनिर्मित 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :--श्री राकेश सचान, श्री महबूब अली, श्री यशपाल चौधरी, श्री मिथलेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार और श्री शहजिल इस्लाम (दो सूचना के आधार पर निरस्त)।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

जिला सहकारी बैंक बलिया में करोड़ों रुपये के घोटाले की विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

आपने बहिष्कार समाप्त कर दिया। आपने विशेष उल्लेख की कोई सूचना के लिये कहा था, कह दें अगर कहना हो तो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे विशेष उल्लेख के तहत अनुमति दी है। जिला सहाकारी बैंक लिमिटेड, बलिया में वर्तमान प्रभारी सचिव और महाप्रबन्धक श्री ओ0 एन0 राय द्वारा अपने ढाई साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। जिला सहकारी बैंक, बलिया में पिछले दो साल से 40 प्रतिशत से भी कम वसूली की गई है। बैंक शाखा भीमपुरा में सचिव, महाप्रबन्धक की मिलीभगत से लाखों रुपये का गबन घोटाला कर लिया गया है। इस समय बलिया सहकारी बैंक लि0 वर्ष 1997 से ही धारा-11 में चल रहा है बैंक के पास किये गये घोटालों के कारण बैंक के पास अपनी पूंजी नहीं रह गयी है। बैंक की वसूली मात्र 17 प्रतिशत के आसपास है। इसको नजरंदाज करके सचिव, महाप्रबन्धक ने नयी बिल्डिंग बनवाने के नाम पर 20 लाख रुपये खर्च कर दिया तथा इसमें तत्कलीन उपनिबंधक आजमगढ़ को गलत आंकड़े पेश करके भवन बनवाने की स्वीकृति ले ली गई है। यही नहीं बैंक के संचालन मंडल के रहते करोड़ों रुपये का घोटाला एक सचिव महाप्रबन्धक द्वारा किया गया है इससे संचालक मंडल के अध्यक्ष की भी मिलीभगत लगती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सुश्री सुतपा चटर्जी भूतपूर्व प्रधानाचार्य सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल वाराणसी की हत्या के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 21 मई, 2002 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री सुदिप्त चटर्जी, जो मृतका का भाई है, की सूचना पर सुश्री सुतपा चटर्जी, अवकाश प्राप्त प्राचार्या की दि0 01 मई, 2002 को हुई हत्या के बारे में थाना लक्सा, वाराणसी पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0-34/2002 धारा 302 भा0 द0 वि0 की विवेचना में पाया गया है कि मृतका, उम्र 67 वर्ष, म0 नं0-डी-52/9ए लक्ष्मी कुंड, लक्सा में बचपन से ही विगत 60 वर्षों से किराये पर रहती थी और अविवाहित थी। माता-पिता की मृत्यु के बाद इनके भाइयों के अलग हो जाने के उपरान्त इस मकान पर वे अकेले रहने लगी। यह मकान पूर्व में श्री पवन सरावगी, निवासी मंगलौर का था, जिसे दिनांक 06-12-2000 को श्याम मंडल ट्रस्ट द्वारा खरीदा गया। श्याम मंडल ट्रस्ट के लोगों द्वारा दो-तीन बार मकान खाली करने का अनुरोध किया गया जिसे मृतका ने अस्वीकार कर दिया था इसी कारण श्याम मंडल ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ की गयी और घटना स्थल पर रखे कप, प्लेट, गिलास पर उपलब्ध फिंगर प्रिंट जनपद की फील्ड यूनिट द्वारा लिये गये जिसे मिलान हेतु भेजा गया।

विवेचना में पाया गया है कि मृतका सुश्री सुतपा चटर्जी के विभिन्न बैंकों में 6.00 लाख रुपये के कुल पांच बैंक एकाउन्ट हैं, जिनमें से तीन खातों में श्री कुंवर जी अग्रवाल व अर्चना अग्रवाल को सह खातेदार बनाया गया एवं दो फिक्स डिपाजिट तथा एल0 आई0 सी0 में भी नामिनी बनाया गया। मृतका के द्वारा नाट्य संस्था चलाने हेतु मोहल्ला खोजवा, भेलूपुर में लिये गये तीन बिस्वा प्लाट पर सुश्री चटर्जी द्वारा वसीयतामा के जरिये श्री कुंवर जी अग्रवाल व अर्चना अग्रवाल को केयर टेकर बनाया गया। घटना के पूर्व मृतका का कुंवर जी अग्रवाल से कुछ अन-बन होने की बात प्रकाश में आयी है।

प्रकरण की विवेचना में कोई उल्लेखनीय प्रगति न हो पाने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा दि0 16 मई, 2002 को इस अपराध के अनावरण एवं सही अभियुक्तों का पता लगाकर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री अजय प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में तीन पुलिस उप निरीक्षकों की अलग से एक विशेष टीम गठित की गयी है। इस विशेष टीम को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर श्री डी0 के0 राय के पर्यवेक्षण में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा स्वयं विवेचना की प्रगति का अनुश्रवण किया जा रहा है। इस प्रकार हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिये स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं गहन प्रयास किये जा रहे हैं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्व0 रिजवानुल हक एवं मजीमुल हक की हत्या के उपरान्त उनके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में श्री शमीमुल हक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 21 मई, 2002 को दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद अनुपस्थित हैं.लेकिन इसको पढ़ा हुआ मानते हैं । मद संख्या-12, मद संख्या-13, मद संख्या-14, मद संख्या-15, मद संख्या-16, मद संख्या-17, मद संख्या-18, मद संख्या-19, मद संख्या-20, मद संख्या-21 तथा मद संख्या-22 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग एवं मसकनवां सिकन्दरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामबिशुन आजाद द्वारा दिनांक 21–5–2002 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (सुश्री अनुराधा चौधरी)-

[उपरोक्त सूचना निम्नलिखित दो मार्गों के बारे में है, जिसकी स्थिति विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार है :--

(1) दर्जी कुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग

दर्जी कुआं से प्रारम्भ होकर मनकापुर होते हुए बभनान तक प्रमुख जिला मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 66.00 किलोमीटर है और चौड़ाई (3.75 मीटर) है। यह सड़क किलोमीटर 1 से 47 तक, 51 से 55 तक तथा किलोमीटर 58 एवं 59 अर्थात कुल लम्बाई 54.00 किलोमीटर संतोषजनक अवस्था में है एवं करीब-करीब गड्ढामुक्त है। किलोमीटर 65 एवं 66 में सड़क पानी से खराब होने के कारण कटस्टोन का खड़ण्जा लगाया जा रहा है। शेष 10 किलोमीटर लम्बाई खराब हालत में है। गन्ने के भारी वाहनों के गुजरने के कारण तथा क्रस्ट की मोटाई कम होने के कारण सड़क खराब होती रहती हैं सुदृढ़ीकरण के बिना

इसकी स्थिति सुधारी नहीं जा सकती है। फिर भी उपलब्ध संसाधनों से मार्ग को यातायात के लिए ठीक रखने का इंतजाम किया जा रहा हैं।

(2) मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग

जनपद गोण्डा में 5.00 किलोमीटर लम्बाई का यह ग्रामीण मार्ग है इस मार्ग पर पानी भरा रहता है। इस सड़क में ईट की रोड़ी पर डामर लेपन किया हुआ है। बभनान चीनी मिल के गन्ने के भारी वाहनों के कारण सड़क खराब होती रहती है। सीमित वित्तीय संसाधन से मार्ग की मरम्मत कराई जा रही है एवं यातायात को चालू रखा जा रहा है। इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है किन्तु वित्तीय संशाधनों की कमी के कारण अभी यह सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इन दोनों मार्गों पर कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया था और न ही कोई टेण्डर प्राप्त हुआ है।]

जनपद लखीमपुर में लखीमपुर मैगल मार्ग पर स्थायी पक्का पुल के निर्माण के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा 21 मई, 2002 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

सुश्री अनुराधा चौधरी-

[लखीमपुर खीरी मैगलगंज मार्ग के किलोमीटर 11 में जमवारी नदी पर लगभग 100 साल पुराना 24 मीटर स्पान का एक पुल था जो 21-12-2001 को ट्रक और टैंकर की टक्कर से टूट गया।

ट्रैफिक फौरन चालू करने के लिये 12-2-2002 को इस स्थान पर पान्टून पुल तैयार कर चालू कर दिया गया।

पुराना पुल कमजोर होने के कारण पहले से ही भारी वाहनों के लिये असुरक्षित था और भारी वाहनों को ओयल बेहजम मार्ग से आने-जाने की व्यवस्था थी।

बरसात के दौरान वाहनों के लिये ओयल बेहजम मार्ग मौजूद है ।

2-स्थाई पक्का पुल बनाया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

विधान सभा क्षेत्र–गोपालपुर के अन्तर्गत मदियापार ड्रेन एवं देवनई ड्रेन की खुदाई न होने के कारण हो रहे जलभराव को रोकने के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 21–5–2002 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की महमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[श्री वसीम अहमद, माननीय सदस्य, विधान सभा ने अपने विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में मदियापार ड्रेन एवं देवनई ड्रेन की खुदाई न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि कई महीनों तक जलमग्न रहना तथा किसानों द्वारा अपनी खेती न कर पाना, की सूचना देते हुए जल्द से जल्द ड्रेनों की खुदाई कराने हेतु नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी है।

2-माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मदियापार ड्रेन एवं देवनई ड्रेन की खुदाई न होने के कारण ये ड्रेनें मिट्टी से पट गयी हैं, इनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तद्नुसार इनकी खुदाई की योजना बनाकर मुख्य अभियन्ताओं की समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य अभियन्ता समिति के अनुमोदन के उपरान्त राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन कराने के उपरान्त उपलब्ध धन के अनुसार कार्य कराया जायेगा।]

प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दि0 21 मई, 02 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग एक हजार शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।

उक्त के सन्दर्भ में सूच्य है कि वर्तमान में प्रवक्ता संवर्ग के 1170 पद रिक्त हैं जिनमें 50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा भरा जाना है। उक्त के प्रति प्रवक्ता पुरुष के सीधी भर्ती के 87 पद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 476 (पुरुष/महिला) कुल 563 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को क्रमशः निदेशालय के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2000 एवं 1-12-2001 द्वारा भेजा जा चुका है। शेष 47 सीधी भर्ती के पदों को अधियाचित करने की कार्यवाही गतिमान है। लोक सेवा आयोग द्वारा उपर्युक्त पर कार्यवाही की जा रही है। प्रवक्ता के 560 पद पदोन्नति कोटे के हैं इसमें पुरुष तथा महिला संवर्ग के पदों के विरुद्ध 179 पुरुष तथा 285 महिला शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को दिनांक 4-12-2001 तथा 5-12-2001 को प्रेषित किया जा चुका है। सम्प्रति इस पर भी कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

उपर्युक्त में से शेष 96 पदोन्नति के पदों के कुछ विषयों तथा आरक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

यह भी सूच्य है कि प्रवक्ता पद पर पदोन्नति पूर्व में प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विभाग द्वारा की जाती थी किन्तु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 8 फरवरी, 1999 के अनुसार प्रवक्ता संवर्ग की पदोन्नति भी आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दी गई है। शासनादेश के अनुरूप नियमावली के संगत प्राविधानों में संशोधन किया जाना वांछित है। नियमावली के प्राविधानों में संशोधन हेतु पत्रावली कार्मिक नियमावली सेल को संदर्भित की गई थी। कार्मिक नियमावली सेल द्वारा कई बिन्दुओं पर विस्तृत जिज्ञासायें अंकित की गई है, जिसके समाधान हेतु निदेशालय से सूचना प्राप्त कर पुनः पत्रावली कार्मिक विभाग को संदर्भित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त होने पर नियमावली के प्राविधानों में संशोधन पूर्ण होते ही पदोन्नति की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करायी जायेगी।

जहां तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल0 टी0 वेतनक्रम के पदों को भरने का प्रश्न है, सूच्य है कि प्रदेश में इस वेतनक्रम के 1082 पद (जून, 2002 की रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) पुरुष/महिला के पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्तियां किये जाने हेतु नवम्बर, 2001 में विज्ञापन निकाला गया था किन्तु मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल प्रदेश द्वारा कुछ याचिकाओं में स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण इस वेतनक्रम के अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही सम्प्रति अवरुद्ध है।]

कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर के परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र प्राप्त न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दि0 21 मई, 2002 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

श्री सुखदेव राजभर-

[राधेश्याम जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा ने नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर के प्राचार्य डा0 राजेश वार्ष्णेय द्वारा परीक्षार्थियों के साथ मनमाना व्यवहार किया जा रहा हैं बहुत से छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जा रहे हैं। श्री प्रदीप सिन्हा को एम0 ए0 प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र) की परीक्षा के दिन तक प्रवेश-पत्र नहीं दिया गया और वे परीक्षा देने से वंचित रह गये। दिसम्बर, 2001 में सम्पन्न करायी गयी संस्थागत परीक्षाओं में भी उक्त प्रधानाचार्य ने प्रवेश-पत्र देने में धांधली की थीं

2-माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार आर0 एम0 पी0 कालेज, सीतापुर, "कानपुर विश्वविद्यालय" का व्यक्तिगत परीक्षा केन्द्र है यहां के सभी अर्ह परीक्षार्थियों के

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रवेश-पत्र दिनांक 8 मई, 2002 को महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित कर दिये गये थे। प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित छात्रों के प्रवेश-पत्र दिनांक 13 मई, 2002 से वितरित किये गये हैं तथा सम्बन्धित छात्र श्री प्रदीप सिन्हा को भी प्रवेश-पत्र निर्गत किया गया है जहां तक वर्ष 2001 की संस्थागत परीक्षा में प्राचार्य द्वारा प्रवेश-पत्र देने में धांधली किये जाने का प्रश्न है, वर्तमान प्राचार्य-तत्समय उक्त कालेज के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष नहीं थे, अतः उन पर किसी प्रकार की अनियमितता का आरोप निराधार है।]

सम्पूर्ण प्रदेश में भू–गर्भ जल के अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दि0 21–5–2002 को दी गई सूचना पर संसदीय–कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

श्री सुखदेव राजभर-

[मा0 सदस्य द्वारा अन्य तथ्यों के अलावा अपने नोटिस में सम्पूर्ण प्रदेश में भू-गर्भ जल के अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में बात उठाई गयी है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भू-जल के अधिक दोहन के फलस्वरूप भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। प्रदेश सरकार ने भू-जल स्तर में सुधार हेतु कई योजनायें प्रारम्भ की हैं, जो ग्राम्य विकास विभाग लघु सिंचाई विभाग व अन्य विभागों के माध्यम से कार्यान्वित कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा भी प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पेयजल) में स्वीकृति धनराशि का 25 प्रतिशत वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की योजनाओं पर व्यय किये जाने का प्राविधान है। जिन जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट की समस्या है वहां वर्षा जल संचयन/भू-जल रिचार्ज के कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये तालाब बनाना, पुराने तालाबों की सफाई, चेक डैम आदि कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। वर्षा जल संचयन के सम्बन्ध में अभी हाल में दिनांक 19 एवं 20 अप्रैत, 2002 को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कराया गया था जिसमें प्राप्त संस्तुतियों/सुझावों के अनुसार वर्षा जल संचयन सम्बन्धी कार्यों को वृहत रूप से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

3-वर्षा जल संचयन के सम्बन्ध में कुंओं व तालाबों का गहरीकरण, सामुदायिक तालाबों से अतिक्रमण हटाना, क्षणिक संस्थान एवं शासकीय भवनों को वर्षा जल संचित करने वाले निर्माण के रूप में विकसित करना, जन जागरण एवं विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्य, मानव संसाधन विकास सम्बन्धी गतिविधियां आदि महत्वपूर्ण आयाम हैं।

4-प्रदेश में प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गुणता प्रभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की योजना

संचालित की जा रही है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी है, उसकी जांच कराई जा रही है।]

जनपद गोण्डा में जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान की रोकथाम के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दि0 22-5-02 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

श्री सुखदेव राजभर-

[देवी पाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र/विकास खण्ड मनकापुर के वन क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले अधिकांश गांवों के किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा प्रतिवर्ष भारी नुकसान किया जाता है जिससे किसानों की लाखों रुपये की फसल का नुकसान होता है। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को भारी पैमाने पर नुकसान करने से कृषकों में भारी असन्तोष है। वन विभाग, जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को रोके या सरकार किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को दे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् प्रदेश में वन क्षेत्र अत्यन्त सीमित रह गया है तथा बनों में रहने वाले जंगली जानवरों की संख्या भी इसी अनुपात में बहुत सीमित रह गई हैं मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित वन क्षेत्र में सीमित संख्या में हिरण एवं दूसरे वन्य जीव जीवित बचे है। कृषि को अधिकांश क्षति वनों से बाहर रहने वाले वनरोज (नीलगाय) नामक वन्य जीव द्वारा पहुंचाई जाती है। स्थानीय स्तर पर भ्रान्तिवश वनरोज (नीलगाय) को गोवंश का माना जाता है जबकि वनरोज गोवंश परिवार के सदस्य नहीं है। वनरोज से कृषकों को होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों का इनके आखेट हेतु वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर अनुज्ञा जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषक, उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह भी अवगत कराना है कि किसानों की फसल को जंगली हाथी द्वारा क्षति पहुचाये जाने पर क्षतिपूर्ति का नियम है, किन्तु मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में जंगली हाथी नहीं पाया जाता है। अतः जंगली हाथी से फसलों को क्षति पहुंचने की कोई समस्या इस क्षेत्र में नहीं है।]

पूर्वांचल में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दि0 22 मई, 02 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

श्री सुखदेव राजभर-

[दिनांक 10-5-2002 की रात्रि में आये आंधी-तूफान/चक्रवात के कारण प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जनपदों में जन/धन की हानि हुई है। प्रश्नगत सूचना में इंगित विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर जनपद-आजमगढ़ में आता है एवं जिलाधिकारी कार्यालय की सूचना के अनुसार जनपद-आजमगढ़ के 8 ग्राम-नोबरार दिवारा जतीट किता-I, बडहरडीह, महेशपुर, शान्तिपुर, तेजपुर, बावन, टीकट पैठान, गद्दीपुर उक्त तूफान से प्रभावित हुए है। तीन मानव हानि हुई है। मृतक परिवारों के वारिसान को रु0 50-50 हजार की राहत सहायता वितरित की गई है।

पांच पशु-हानि (तीन बड़े व दो छोटे पशु) हुई है। चार मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये है। पशु हानि व क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में राहत सहायता का वितरण जनपद स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित किया जा रहा है। तूफान से कुछ पेड़ क्षतिग्रस्त हुए है व विद्युत के तार टूटे है। टूटे विद्युत तारों को जुड़वाकर विद्युत सप्लाई चालू करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि दैवीय आपदा के कारण होने वाली क्षति के परिप्रेक्ष्य में राहत सहायता वितरण हेतु शासन द्वारा अग्रिम रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों को रु0 10-10 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित की जा चुकी है। आपातकालीन परिस्थितियों में धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर राहत वितरण तत्काल सुनिश्चित करें। इस प्रकार जनपद स्तर पर राहत वितरण हेतु धनराशि का कोई अभाव नहीं है।

शासन समस्या के प्रति पूर्णतः सजग है एवं समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के भी निर्देश है कि वे किसी भी प्रकार की आपदा आने पर उसकी एवं उससे हुई क्षति की सूचना उसी दिन शासन को उपलब्ध करायें।]

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दि0 22 मई, 02 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

उर्जा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

[सम्पूर्ण प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों का पंजीकरण यू0 पी0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट, 1939 के अन्तर्गत किया जाता है। पंजीकृत चिकित्सकों में से जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन सूची में उनका नाम अंकित है, इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा उक्त सूची को नवीनीकरण के माध्यम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से अद्यावधिक किये जाने की मांग की गयी है ताकि उक्त सूची के आधार पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् समिति में प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो सके। मा0 सदस्य ने कहा है कि चुनाव न होने से प्रदेश के हितों का नुकसान हो रहा है। मा0 सदस्य द्वारा यह भी कहा गया है कि पूंजीकरण एक बार के स्थान पर प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी मांग की गयी है कि मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार देने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद् के सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनोदश का नवीनीकरण किया जाय।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि :-

(अ) यू0 पी0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सों का पंजीकरण किये जाने का प्राविधान है। यह सत्य है कि पंजीकृत चिकित्सकों में से जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी नाम पंजीकरण सूची में यथावत् अंकित है। मा0 सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रकरण में विचार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

(ब) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् समिति में प्रदेश के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यह सूचनीय है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्देशानुसार माह नवम्बर, 1999 में शासन द्वारा आयुर्वेद निदेशालय पर सम्बद्ध प्रभारी अधिकारी शिक्षा डा0 रक्षा गोस्वामी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(स) जहां तक रजिस्ट्रेशन जीवन में एक बार करने के स्थान पर प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य के सुझाव पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(द) मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार देने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद् के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत तथा मा0 सदस्य के पत्र में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 27-10-1950, 21-4-1953 तथा 17-3-1961 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार संशोधित शासनादेश जारी कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बलिया के तुर्तीपार-श्रीनगर तटबन्ध के बीच हो रहे कटान की रोकथाम में श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दि0 22-5-2002 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[श्री राम गोविन्द चौधरी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-5-2002 को जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में तुर्तीपार श्रीनगर बांध के उत्तर से घाघरा नदी द्वारा हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे कटान के कारण दर्जनों गांव यथा महराजपुर, वधोवन, चकिया उर्फ दयाछपरा, भोजछपरा, भोपालपुर, रामपुर, दियेरपट्टी, रामपुर मगरीब, कल्हुआड़ा, भोपालपुंर पूर्वी, भोपालपुर, पश्चिमी आदि के नदी में कटकर गिरजाने तथा नया महराजपुर, गढ़वालपुर, मोलकला, सिंगही, महेन्द्रपुर, मथौली, बभनौली, ताहिरपुर, कुसौरीकला, हड़ियाखुर्द, हड़ियाकला, चकिया उर्फ दया छपरा, भोजछपरा, भोपालपुर, कोटिलवा, दतहा, छपरा आदि गांव के नदी में कटकर विलीन होने के कगार पर तथा तुर्तीपार श्रीनगर बंधा आदि कट जाने से पूरा बलिया तबाह होने से बचाव के लिए इस बांध के कि0 मी0 065.8 से कि0 मी0 77.8 के बीच चार रुपये बनाये जाने हेतु सूचना दी है।

2-अवगत कराना है कि जनपद बलिया के तुर्तीपार श्रीनगर बंधे के किमी0 67 के निकट कटान रोकने के लिए पक्के स्पर के निर्माण हेतु रु0 75.0 लाख की योजना तैयार की गयी है। जिसके सापेक्ष पूर्वांचल पैकेज के अंन्तर्गत रु0 55.00 लाख की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2001-2002 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से आय-व्ययक में व्यवस्था करके शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2002 द्वारा उक्त धनराशि को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के निवर्तन पर रखे गये थे। समयावधि कम होने के कारण उक्त धनराशि उपयोग वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रमुख अभियन्ता द्वारा नहीं किया जा सका और उनके द्वारा धनराशि समर्पित कर दी गयी। उक्त के सापेक्ष पूर्वांचल पैकेज के अन्तर्गत रु0 55.00 लाख का परिव्यय उपलब्ध है। इसके सापेक्ष अग्रतर कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र के पुरवा के विकास खण्ड असोहा में स्थित झील तथा कस्बापुरवा व मौरावां के मध्य स्थित बसहा झील के पानी की निकासी के संबंध में श्री उदयराज, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 22-5-2002 को संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन के सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[माननीय सदस्य ने जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-पुरवा के विकास खण्ड असोहा में ग्राम-मिर्री तथा ग्राम-भादिन के मध्य स्थित झील तथा कस्बापुरवा व मौरावां के मध्य स्थिति बसहा झील के पानक के निकासी की व्यवस्था न होने के कारण उक्त क्षेत्र के क्रमशः लगभग 10 एवं 50 गांवों में जलभराव एवं लगभग 1000 एकड़ भूमि के जलमग्न रहने के कारण उक्त पर कोई पैदावार न होने की सूचना देते हुये ध्यान आकृष्ट किया है।

2-उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सूचना में उल्लिखित ग्राम मिर्री तथा ग्राम भादिन के मध्य स्थित झील तथा कस्बापुरवा व मौरावां के मध्य स्थित बसहा झील की जल निकासी हेतु स्थित का आंकलन तथा सर्वेक्षण कराकर परियोजना मुख्य अभियन्ताओं की तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। समिति के अनुमोदनोपरान्त परियोजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार, पर धनावंटन के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।]

अनिश्चित काल के लिये सदन का स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रीय गान

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठेंगे लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरँग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 23 मई, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 325 विधान सभा (554)-12-11-2002-813 (कम्प्यूटर)।